भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (1927 का 16)

भारतीय वन अिधिनयम, 1927 एवं उसके अन् तगर्त बने िनयम एवं संशोधन वनों, वनोपज के अिभवहन, इमारती लकड़ी और अन् य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल् क से सम् बद्ध िविध के समेकन के िलए अिधिनयम। वनोपजों के अिभवहन और इमारती लकिडयों और अन् य वनोपज पर उमहणीय शुल् क से (सम् बद्ध) िविध का समेकन करना समीचीन है। अत: एतत् िनम् निलिखत रूप में वह अिधिनयमत िकया जाता है-

सार संमह : तात् पयर् - इस अिधिनयम के अिधिनयिमत होने के पूवर् भारत में भारतीय वन िवधान 1878 ूभावशाली था। इस अिधिनयम के बनने के उपरान् त इसके चार संशोधनों, जो 1890, 1901, 1918 एवं 1919 में हुए, का एकीकरण िकया गया है। िवधेयक के उद्देँय एवं कारणों का ूकाशन भारतीय राजपऽ 1926 खण् ड 5 पृष्ठ 165 में िदया गया है।

मध् यूदेश शासन के िविध तथा िवधायी कायर् िवभाग की अिधसूचना ब. 12023-XX-I-अ (िव. सं. 74)िदनांक 12 जून, 1974 द्वारा "दी इिण्डयन फारेः ट एक् ट" का िहन् दी अनुवाद जो राजभाषा अिधिनयम, 1963 (बमांक 19, वषर् 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण् ड (क) के अधीन ूािधकृत िहन् दी पाठ म. ू. राजपऽ भाग 4 (ख) िदनांक 28-5-76 पृष्ठ सं. 441 आिद पर सवर्-साधारण की जानकारी के िलए ूकािशत िकया गया है।

अध् याय 1

ारिम्भक

धारा 1 - संिक्षप् त नाम व िवः तार - (1) इस अिधिनयम का संिक्षप् त नाम "भारतीय वन अिधिनयम, 1927" है।

(2) इसका िवः तार उन राज् य क्षेऽों को छोड़कर, जो ूथम नवम् बर, 1956 के ठीक पूवर् भाग 'ख' (Part B) राज् यों में समािवष्ट थे सम् पूणर् भारत पर है।

(3) यह उन राज् य क्षेऽों को लागू है, जो ूथम नवम् बर 1956 के ठीक पूवर् िबहार, बम् बई, कुगर्, िदल् ली, मध् यूदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत् तरूदेश तथा पिश्चमी बंगाल में समािवं ट थे। कोई भी राज् य सरकार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा, इस अिधिनयम को, पूणर् राज् य में या उसके िकसी िविशं ट भाग में, िजस पर इसका िवःतार है, पर वहाँ यह ूवतर्न (Force)में नहीं है, ूवत् तर्न में ला सकेगी।

िटप् पणी - मध् य ूदेश िवधान ब. 23, वषर् 1958 की धारा 3 द्वारा ूितः थािपत ।

(क) धारा (1) के खण् ड (2) के अंत में िनम् न ूितः थािपत :

•'मध् यूदेश राज् य के मध् य भारत एवं िसरोंज क्षेऽ छोडकर'

(ख) नवीन उपधारा (3) ूितः थािपत।

(3) इसका िवः तार मध् यूदेश राज् य के मध् य भारत, िवन् ध् य ूदेश, भोपाल एवं िसरोंज क्षेऽ पर भी िकया जाता है। यह िनयम भारत के संिवधानीय पिरवतर्न के फलः वरूप एडाप् टेशन लॉ आडर्र 1937, 1950, 1956 में सिम्मिलत (Adapt) िकया गया।

तदनुसार यह अिधिनयम मध् यूदेश की िरयासतों में िदनांक 25 फरवरी, 1973 से ूभावशील हुआ।

[G.S.R. 42 (E) िदनांक 1 फरवरी, 1973] धारा 2 - िनवर्चन खण् ड - इस अिधिनयम में जब तक िक कोई बात िवषय या सन् दभर् के िवरूद्ध न हो : (1) "पशु" के अन् तगर्त हाथी, ऊँट, भैंस, घोडे, घोिड़याँ, खः सी पशु, टट्टू, बछेडे, बछेिड़याँ, खच् चर, गधे, सुअर, भेडें, भेिडयां, मेमने, बकिरयाँ, और बकिरयों के मेमने हैं।

(2) "वन अिधकारी" (Forest Officer)"वन अिधकारी"से ऐसा कोई व् यिक्त अिभूेत है िजसे राज् य सरकार या राज् य सरकार से सशक् त अिधकारी द्वारा िकये गये इस अिधिनयम के, सब या िकसी, ूयोजन को पूरा करने के िलये, अथवा इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िकसी िनयम के अधीन वन अिधकारी द्वारा िकये जाने के िलये आपेिक्षत कोई बात करने के िलए िनयुक् त करे।

िटप् पणी

वन अिधकारी को वन-भूिम के अितबामकों को ऐसी अितबिमत भूिम को पट्टे पर देने या तत् संबंध में समझौता करने का अिधकार नहीं है। (रतनिसंह राजपूत वगै. िव. म.ू. राज् य वगे 2012 (3) म.ू.लॉ.ज. 173 खंडपीठ, म.ू.)

(3) "वन अपराध" (Forest Offence) से इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िकसी िनयम के अधीन दण् डनीय कोई अपराध अिभूेत है।

िटप् पणी

"कत् था" एवं "कुच् च" वन उपज की पिरभाषा अंतगर्त सिन्निहत हैं। (म.ू. राज् य िव. सेल् स एजोन् सीज 2005 (1) िविध भाः वर 163 (सु.को.)= A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 िब.लॉ.ज. 1832 = 2004 = सु.को. के (िब. 1313)।

(4) "वनोपज" के अन् तगर्त िनम् निलिखत वःतुएँ :

(क) िनम् न वःतुएँ भले ही वन में पाई जावे, वन से लाई गई हों या नहीं यथा

अथार्त् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल (resin),1(सैलक (Shellac), गोंद),ूाकृितक वािनर्श, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ बीज, 2(तेन् दू पत् ता), कुथ (Kuth) और हरार्, बहेड़ा, आँवला (myrobolans)हैं।

(ख) िनम् निलिखत जब वन में पाई जावे अथवा वन से लाई जावें तब :

(i) वृक्ष और पत् ते, फूल एवं फल और वृक्षों के इससे पूवर् अविणर्त सब अन् य भाग एवं उपज,

(ii) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और जैसे पौधों के सब भाग व उपज या घांस, बेलें नरकुल, काई सिहत,

---

1. म.ू. राज् य संशोधन िनयम ब. 9 वषर् 1965 द्वारा जोड़ा गया।
2. भारतीय वन (म.ू. संशोधन) अिध. 1989 (1 वषर् 1990) के द्वारा तेन् दू पत् ता म. ू. (असाधारण) गजट िदनांक 10.1.90 को ूकािशत से जोड़ा गया)

(iii) वन पशु, पशु की खालें, हाथी दांत, सींग, हिड्डयाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन् य भाग एवं उत् पादन,

(iv) पीट (peat) सतहीिमट्टी(Surface soil), चट्टान(rock)एवं खिनज(minerals)िजसमें चूने के पत् थर, लेटराइट (लाल मुरूम), खिनज तेल और खानों (mines) एवं खदानों से ूाप् त िमनरल आईल एवं तेलीय पदाथर् सिम्मिलत हैं।

1(4-क) "ः वामी" के अन् तगर्त ऐसी सम् पित्त के बारे में ूितपाल् य अिधकरण आता है जो ऐसे अिधकरण के अधीक्षण या भार साधन में हैं।

(5) "नदी" के अन् तगर्त कोई सिरता (Stream) नहर(Canal), बीक या अन् य धारा(Channel)है। चाहे ूाकृितक अथवा बिऽम (Artificial) हो।

(6) "इमारतीलकड़ी" के अन् तगर्त वृक्ष आते हैं जो िगर गये हों या िगराये गये हों और समः त लकड़ी, जो िकसी ूयोजन के िलये काटी गई हो (Cut up), फैशन की गई हो(Fashioned) या खोखली की गई हो(Hollowed) या न की गई हो।

(7) "वृक्ष" के अन् तगर्त ताड़, बाँस, ठूँठ, झाड़ी, और बेंत ूजाित सिम्मिलत हैं।

नोट : (1) इस अिधिनयम में 'वन' शब् द की पिरभाषा नहीं दी है। ूथम बार 'वन' शब् द की व् याख् या खण् डपीठ नागपुर(A.I.R. Nagpur), लआ मण इच् छाराम िव. वन मण् डलािधकारी, रायगढ़ के ूकरण में पिरभािषत की गई है जो िनम् न है :

'वन' ऐसे भूखण् ड जो वृक्षों एवं छोटे वृक्षों आच् छािदत हों, या ऐसा वृक्षों वाला भूखण् ड, जो वन ूाणी िशकार के िलये हो, या िबना काँ त की जंगली जमीन हो।

नोट : (2) वन अिधकारी (Forest Officer) भारतीय दण् ड ूिबया संिहता की धारा 21 के अन् तगर्त लोक सेवक (Public Servant) है।

2नोट: (3) नमर्दा िवकास ूािधकरण में कायर्रत अिधकारी समकक्ष वन अिधकारी हैं।

नोट : (4) चन् दन तेल वन उपज है। खुशबू इन् टरूाइज एवं अन् य (सवोर्च् च न् यायालय िव. केरल सरकार (28.5.93)

---

1. भारतीय वन संशोधन अिधिनयम (3) वषर् 1933 के अन् तगर्त ूित सः थािपत
2. म.ू. शासन वन िवभाग की अिधसूचना ब. ष-5-खखख-84 दस-3 के अन् तगर्त नमर्दा घाटी िवकास ूािधकरण के वन संरक्षक, वन मण् डलािधकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेऽपाल, उपवन क्षेऽपाल, वनरक्षक को समकक्ष क्षेऽीय वन अिधकारी िनयुक् त िकया।

अध् याय 2
आरिक्षत वनों के सम् बन् ध में

धारा 3 - वनों को आरिक्षत करने की शिक्त - राज् य सरकार ऐसी िकसी वन भूिम या पड़त भूिम (Wasteland) जो सरकार की सम् पित्त है या िजस पर सरकार के सम् पित्त के अिधकार हैं, या िजसकी वनोपज की पूरी अथवा िकसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पँ चात् उपबिन्धत रीित से आरिक्षत वन बना सकेगी।

िटप् पणी - इस धारा में वन भूिम तथा पड़त भूिम शािमल है, चाहे वह िकसी के कब् जे में हो, लेिकन अन् य भूिम तभी इसके अन् तगर्त आवेगी जब वह िकसी के मािलकाना, कब् जे में न हो (1980 All LJ NOC 77)।

धारा 4 - राज् य सरकार द्वारा अिधसूचना - जब िकसी भूिम को आरिक्षत वन (Reserved Forest) बनाने का िनँ चय कर िलया गया हो तब राज् य सरकार राजपऽ में िनम् न आशय की अिधसूचना जारी करेगी -

(क) यह घोषणा करने वाली िक यह िविनिश्चत िकया गया है िक ऐसी भूिम को आरिक्षत बनाया जावेगा।(ख) ऐसी भूिम की िःथित एवं सीमा को यथा-सम् भव िविनिदर्ं ट करने वाली।
(ग) ऐसी सीमाओं में समािवं ट िकसी भूिम में, या भूिम पर या िकसी वन उपज में या वन उपज पर िकसी व् यिक्त या व् यिक्तयों के अिधकारों के दावों की जाँच एवं
अवधारण करने के िलये और उनके सम् बन् ध में ऐसी कायर्वाही करने के िलये जैसी इस अध् याय में उपबिन्धत है, अिधकारी िजसे इसमें या इसके पँ चात् "वन व् यवः थापन अिधकारी" (Forest Settlement Officer) कहा गया है को िनयुक् त करने वाली।

ः पं टीकरण

(1) खण् ड (ख) के ूयोजन के िलये यह पयार्प् त होगा िक वन की सीमाये मागोर्ं निदयों पुलों या अन् य सुिविदत एवं सहज समझी जाने वाली सीमाओं से विणर्त की जावें।
(2) उपधारा 1 के खण् ड (ग) के अधीन िनयुक् त अधिकारी सामान् यत: ऐसा व् यिक्त होगा िजसने वन िवभाग के अन् तगर्त वन व् यवः थापन अधिकारी के अतिरक् त कोई अन् य वन पद(Forest Officer)नहीं धारण कर रखा हो।
(3) इस धारा की कोई बात, राज् य सरकार को, इस िनयम के अधीन अधिकतम तीन तक अधिकारी वन व् यवः थापन अधिकारी का कत् तर्व् य पालन करने हेतु िनयुक् त करने से िनवािरत नहीं करेगी िजसमें अधिकतम एक अधिकारी "वन अधिकारी" भी हो सकता है।

धारा 5 - अधिकारों के ूोद्‌भूत होने का वजर्न - धारा 4 के अन् तगर्त अिधसूचना जारी होने के उपरान् त, ऐसी अिधसूचना में समािवं ट भूिम में, या भूिम पर, कोई अधिकार, उत् तरािधकार के जिरये या सरकार द्वारा या ऐसे व् यिक्त या उसकी ओर से िजसमें ऐसा अधिकार िनिहत था, जबिक अिधसूचना िनकाली गई थी, िलिखत रूप में िदये गये अनुदान या की गई संिवदा के अधीन विजर्त होने के िसवाय, अिजर्त न होगा, न ही राज् य शासन द्वारा बनाये िनयमों के अितरक् त ऐसी भूिम में कृिष या अन् य ूयोजन के िलये कटाई, वनों की सफाई की जा सकेगी।

िटप् पणी धारा 5 : धारा 4 के अन् तगर्त अिधसूचना जारी होने के उपरान् त राज् य शासन द्वारा इस सम् बन् ध में बनाये िनयमों के अितरक् त उक् त वन में लकड़ी कटाई अथवा वनों की सफाई धारा 26 (1) के अन् तगर्त वन अपराध (Forest Offence) है, चाहे उसका उद्देँय कुछ भी हो।

धारा 6 - वन व् यवः थापन अधिकारी द्वारा उद्‌घोषणा - धारा 4 के अन् तगर्त अिधसूचना ूकािशत होने के उपरान् त वन व् यवः थापन अधिकारी सम् बिन्धत भूिम के आस-पास बसे समः त मामों में, ः थानीय भाषा में, िनम् न उद्‌घोषणा ूकािशत करावेगा -

(क) ूः तािवत वन की िःथित एवं सीमाओं को यथा सम् भव िविनिदर्ं ट करने वाली।
(ख) ऐसे वन के आरक्षण होने पर एवं उसके पँ चात् होने वाले पिरणामों तथा उपबन् धों की व् याख् या एवं जानकारी देने वाली सूचना।
(ग) ऐसी घोषणा करने की तारीख से कम से कम तीन माह की अविध िनयत करने वाली तथा धारा 4 या 5 में विणर्त िकसी अधिकार का दावा करने वाले हर व् यिक्त से यह अपेक्षा करने वाली िक वह वन व् यवः थापन अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकार के ः वरूप का, और उसके सम् बन् ध में दावाकृत ू ितकार के पिरमाण और िविशिष्टयों का िविनिदर्ं ट करने वाली िलिखत सूचना ऐसी कालाविध में ू ः तुत करे या उपिःथत होकर कथन करे।

िटप् पणी (1) : यिद वन व् यवः थापन अधिकारी ने पड़त भूिम के सम् बन्ध में िकसी व् यिक्त का आक्षेप िनरः त कर िदया है तथा कलेक् टर ने वन अिधनयम की धारा 17 के अधीन अपील िनरः त कर दी है और ऐसी िनरः त अपील के िवरूद्ध कोई िनगरानी नहीं ूः तुत की गई हो तो व् यवहार न् यायालयों (Civil Courts) को उस भूिम का मुआवजा िदलाने का अधिकार नहीं है (देखें महालआ मी बैंक िल. िव. बंगाल ूान् त (ए. आई. आर. 1942 कलकत् ता पृष्ठ 371)।

िटप् पणी (2) उपधारा (ग) : के अन् तगर्त केवल वे ही व् यिक्त अधिकार का दावा ूः तुत कर सकते हैं िजनका उस भूिम पर सूचना ूकाशन की ितिथ को अधिकार था। धारा 4 के अन् तगर्त सूचना ूकाशन के उपरान् त (Assignee)इस धारा के अन् तगर्त वाद ूः तुत करने का हक नहीं है। इस पिरिःथित में Limitation Act की धारा 5 का भी लाभ नहीं िमलेगा।(1981, All LJ NOC 23)

धारा 7. वन व् यवः थापन अधिकारी द्वारा जाँच - वन व् यवः थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन िदये गये अधिकार के दावे से सम् बिन्धत वादों की सुिवधाजनक ः थान पर जाँच करेगा इसके अितरक् त, उन अधिकारों की, जो धारा 4 एवं 5 में विणर्त हैं, या शासकीय अिभलेखों में उपलब् ध है अथवा िजनकी जानकारी ऐसे व् यिक्तयों के कथनों से िजन् हें अधिकारों का ज्ञान है, लेिकन धारा 6 के अन् तगर्त दावा ूः तुत नहीं हुआ है परन् तु उनसे ूाप् त कर उनकी भी जाँच सुिवधाजनक ः थान पर करेगा।

धारा 8. वन व् यवः थापन अधिकारी की शिक्तयाँ - ऐसी जाँच के ूयोजन के िलये वन व् यवः थापन अधिकारी िनम् न शिक्तयों का उपयोग कर सकेगा - अथार्त् -

(क) िकसी भूिम पर, ः वयं या इस ूयोजन के िलये अपने द्वारा ूािधकृत िकसी अधिकारी को, ूवेश करने सवेर्क्षण करने (To Survey), सीमांकन करने (Demarcate) या उसका नक् शा बनाने की शिक्त और
(ख) वादों के िवचारण में िसिवल न् यायालयों की शिक्तयाँ।

धारा 9. अधिकारों का िनवार्पन - वे अधिकार, िजनका दावारा धारा 6 के अधीन नहीं िकया गया है और िजनके अिःतत् व की जानकारी धारा 7 के अन् तगर्त की गई जांच द्वारा नहीं िमली है, जब तक िक उन अधिकारों का दावा करने वाला व् यिक्त, वन व् यवः थापन अधिकारी का समाधान िक धारा 6 के अधीन िनयत कालाविध के अन् दर ऐसा दावा न कर सकने के िलए उसके पास पयार्प् त कारण था, धारा 20 के अधीन अिधसूचना के ूकािशत होने के पूवर् नहीं कर देता, िनवार्िपत (extinct) हो जावेंगे।

नोट I . यिद भूिम धारा 3 के अन् तगर्त सिम्मिलत नहीं है, तब दावा करने वाले ने समयाविध में दावा नहीं िकया है तो भी उनके दावे िनवार्िपत नहीं होंगे। (उत् तर ूदेश राज् य िव. महन् त अवधनाथA.I.R. 1977, All. 129)

धारा 10. ः थानान् तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धित सम् बन् धी दावों का िनराकरण -

(1) वन व् यवः थापन अिधकारी ः थानान् तरी खेती की पद्धित (Shifting Cultivation) से सम् बिन्धत दावे की अवः था में दावेदारों का कथन िलिपबद्ध करेगा िजनमें बाद का िववरण हो तथा उस िनयम या आदेश का िववरण ूाप् त करेगा, िजसके अन् तगर्त इस ूकार की खेती ूचिलत है, तथा यह कथन एवं िववरण अपनी राय सिहत, िजसमें यह ः पं ट करेगा िक इस पद्धित की अनुमित दी जावे या पूणर्त: अथवा अंशत: ूितबिन्धत की जावे, राज् य सरकार को ूः तुत करेगा।

(2) राज् य सरकार उस कथन एवं राय के ूाप् त होने पर, इस पद्धित को पूणर्त: या अंशत: अनुज्ञात या िनिषद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।

(3) यिद ऐसी पद्धित पूणर्त: या अंशत: अनुज्ञात की जाती है तो वन व् यवः थापन अिधकारी :

(क) बन् दोबः त वाली भूिम की सीमायें इस ूकार बदल दें िक इस पद्धित की खेती हेतु उिचत ूकार की, आवँ यक माऽा (Suficient extent), में तथा वािदयों के िलये सुिवधाजनक ः थान की भूिम दावदारों के िलये अपविजर्त हो जावे, या

(ख) बन् दोबः त वाली भूिम के कितपय ूभागों का पृथक् से सीमांकन (Demarcation) कराकर और उसमें ऐसी शतोर्ं के अधीन, जो िविहत करे, ः थानान् तरी खेती की पद्धित के िलये दावेदारों को अनुज्ञा देकर उसके ूयोग का ूबन् ध कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन िकये गये सब इन् तजाम राज् य सरकार की पूवर् मन् जूरी के अधीन होंगे।(5) स् थानान् तरी पद्धित से खेती के सम् बन् ध में यह समझा जावेगा िक यह ऐसा िवशेषािधकार है िजसे राज् य सरकार िनयिन्ऽत, िनबर्िन्धत, और उत् सािदत कर सकती है।

धारा 11. ऐसी भूिम को अिजर्त करने की शिक्त िजस पर अिधकार का दावा िकया गया है - वन व् यवः थापन अिधकारी िकसी भूिम से या पर ऐसे िकसी अिधकार िवषयक िकये गये दावे की दशा में, जो मागर् अिधकार, चराई अिधकार, वनोपज सम् बन् धी अिधकार या जल मागर् सम् बन् धी अिधकार से िभन् न है, उसे पूणर्त: या भागत: मन् जूर या खािरज करने वाला आदेश देगा।

(2) यिद ऐसा दावा पूणर्त: या अंशत: मंजूर िकया जाता है तो व् यवः थापन अिधकारी या तो :

(i) ऐसी भूिम को ूभािवत वन की सीमाओं से अपविजर्त (exclude) करेगा या -

(ii) ऐसे अिधकारों के अभ् यपर्ण (surrender) के िलये ः वामी से करार (Agreement) करेगा।(iii) भूिम अजर्न अिधनियम, 1894 (1894का1) द्वारा उपबिन्धत रीित से ऐसी भूिम को अिजर्त करने की कायर्वाही करेगा।

(3) ऐसी भूिम को इस ूकार अिजर्त करने के िलए :

(क) वन व् यवः थापन अिधकारी की बावत यह समझा जावेगा िक वह भूिम अजर्न अिधनियम, 1894 (1894का1) के अधीन कायर्वाही करने वाला कलेक् टर है।

(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जावेगा िक वह उक् त अिधनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हािजर होने वाला िहतबद्ध व् यिक्त है।

(ग) इस अिधनियम की पूवर्वतीर् धाराओं के उपबन् धों के बारे में यह समझा जावेगा िक उनका अनुपालन हो चुका है, और

(घ) दावेदार की सम् मित से, या न् यायालय दोनों पक्षकारों की सम् मित से भूिम के रूप में या भागत: भूिम और भागत: धन के रूप में ूितकर कलेक् टर के अिधकार अनुसार अिधिनणर्त कर सकेगा।

धारा 12. चराई या वन उपज पर के दावों के अिधकारों के सम् बन् ध में आदेश- चराई या वन उपज पर अिधकारों से सम् बद्ध दावे की दशा में वन व् यवः थापन अिधकारी उन् हें पूणर्त: या अंशत: मंजूर या खािरज करने वाला आदेश पािरत करेगा।

िटप् पणी - (धारा 12) माननीय उच् च न् यायालय ने म. ू. बीकली नोट्स 1978, पाटर् 1, बमांक 342) हरार् व् यापारी संघ िव. म. ू. राज् य में यह िनणर्य ूदान िकया है िक राज् य शासन को यह अिधकार ूाप् त है िक वह धारा 12 के अन् तगर्त वनोपज का िनवतर्न िकसी भी रीित से कर सकता है।

धारा 13. वन व् यवः थापन अिधकारी द्वारा तैयार िकये जाने वाले अिभलेख- वन व् यवः थापन अिधकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पािरत करते समय िनम् निलिखत को यथासाध् य अिभिलिखत करेगा -

(क) अिधकार का दावा करने वाले व् यिक्त का नाम, उसके िपता का नाम, जाित, िनवास, उपजीिवका, और

(ख)उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यिद कोई हों) का नाम, िःथित और क्षेऽफल तथा उन सब भवनों के (यिद कोई हों) नाम और िःथित, िजनके िवषय में अिधकारों का दावारा िकया है।

धारा 14. जहां दावा मंजूर िकया गया है वहां अिभलेख- यिद वन व् यवः थापन अिधकारी धारा 12 के अधीन िकसी दावे को पूणर्त: या अंशत: मंजूर कर लेता है, तो वह उन पशुओं की संख् या और िववरण, िजन् हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह ऋतु िजसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञप् त है, उस इमारती लकड़ी और अन् य उपज का पिरमाण िजसे वह

समय-समय पर लेने या ूाप् त करने के िलये अिधकृत है, और ऐसी अन् य िविशष्टयाँ जैसी उस मामले में अपेिक्षत हों, िविनिदर्ं ट करके यह भी अिभिलखत करेगा िक कहाँ तक दावा इस ूकार मंजूर िकया गया है। वह यह भी अिभिलखत करेगा िक दावाकृत अिधकारों के ूयोग द्वारा ूाप् त इमारती लकड़ी या अन् य वन उपज बेची जा सकेगी या वः तु िविनमय की जा सकेगी या नहीं।

धारा 15. मंजूर िकये अिधकारों का ूयोग- वन व् यवः थापन अिधकारी ऐसे अिभलेख तैयार करने के पँ चात् अपनी सवोर्त् तम योग् यता के अनुसार और िजस आरिक्षत वन के सम् बन् ध में दावा िकया गया है, उनको बनाये रखने का सम् यक ध् यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पािरत करेगा िजससे इस ूकार मंजूर िकये गये अिधकारों का िनरन् तर ूयोग सुिनिश्चत हो जावे।

(2) वन व् यवः थापन अिधकारी इस ूयोजन के िलए :

(क) इस ूकार आरिक्षत िकये जाने वाले वन खण् ड के अितिरक् त कोइर् दूसरा पयार्प् त िवः तार वाला और युिक्तयुक् त रूप में सुिवधाजनक ः थान में िःथत वन खण् ड को ऐसे दावेदारों के ूयोजन के िलये उपविणर्त कर सकेगा, और इस ूकार मंजूर िकये िवः तार तक यथािःथित चराई या वन उपज का अिधकार ूदान करने वाला आदेश पािरत कर सकेगा।

(ख) ूः तािवत वन की सीमाओं को इस ूकार बदल सकेगा िक दावेदारों के ूयोजनों के िलये पयार्प् त िवः तार की और युिक्तयुक् त रूप से सुिवधाजनक ः थान की वन भूिम अपविजर्त (exclude) हो जावे।

(ग) ऐसे दावेदारों को, यथािःथित, चराई या वन उपज के अिधकार ऐसे मन् जूर िकए िवः तार तक, आदेिशत ऋतु में, तथा ूः तािवत वन के ऐसे ूभागों के अन् दर, और ऐसे िनयमों के अधीन जो राज् य सरकार द्वारा इस िनिमत् त बनाये जावें, चालू रखने वाला आदेश अिभिलखत कर सकेगा।

धारा 16. अिधकारों का रूपान् तरण (Commutation)- यिद वन व् यवः थापन अिधकारी, आरिक्षत वन को बनाये रखने का सम्यक् ध् यान रखकर धारा 15 के अन् दर ऐसे व् यवः थापन करना असम् भव पाता है िजससे इस ूकार मन् जूर िकये गये िवः तार तक उक् त अिधकारों का िनरन् तर ूयोग सुिनिश्चत हो जाता है, तो वह ऐसे िनयमों के अधीन रहते हुए िजसे राज् य सरकार इस िनिमत् त बनावें, उसके बदले में ऐसे व् यिक्तयों को धनरािश के संदाय द्वारा, या भूिम के अनुदान द्वारा, या िकसी अन्य रीित से, िजसे ठीक समझता है, ऐसे अिधकारों रूपान् तरण कर सकेगा।

धारा 17. धारा 11 धारा 12 धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पािरत आदेशों के िवरूद्ध अपील - ऐसा कोई व् यिक्त, िजसने इस अिधनियम के अधीन दावा िकया है, या कोई वन अिधकारी या राज् य सरकार द्वारा इस िनिमत् त साधारणत: या िवशेषत: सशक् त अन् य व् यिक्त, दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व् यवः थापन अिधकारी द्वारा पािरत आदेश की तारीख से तीन मास के अन् दर ऐसे आदेश के िवरूद्ध अपील राजः व िवभाग के कलेक् टर से अिनम् न पंिक्त के ऐसे अिधकारी के समक्ष कर सकेगा िजसे राज् य सरकार ऐसे आदेश के िवरूद्ध अपील की सुनवाई के िलये राज् य-पऽ में अिधसूचना द्वारा िनयुक् त करे :

परन् तु राज् य सरकार एक न् यायालय, िजसे इसमें इसके पँ चात् वन न् यायालय (Forest Court) कहा गया है, ः थािपत कर सकेगी जो राज् य सरकार द्वारा िनयुक् त तीन व् यिक्तयों से िमलकर गिठत होगी और जब यह न् यायालय ः थािपत हो जावे तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष ूः तुत की जावेंगी।

नोट : (1) मध् य ूदेश शासन ने अिधसूचना बमांक 1028-3769-10-64 जो मध् य ूदेश राज् य पऽ भाग 1 िदनांक 20-11-64 पृष्ठ 2765 में ूकािशत है, धारा 17 के अधीन अपने क्षेऽों में िजलाध् यक्ष (Collector) को अपील सुनने के िलये ूािधकृत िकया है।

िटप् पणी 1. (धारा 17) वन अिधिनयम की धारा 17 के अधीन कलेक् टर को अपील सुनने हेतु अिधकृत िकया है तो कलेक् टर "परसोना डेिजगनेटा" (Persona Designeta) है देखें ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 472, इलाहाबाद लॉ जनर्ल 1967।

यिद ऐसी अपील के अिधकार कलेक् टर को सौंपे गये हैं तो केवल कलेक् टर ः वयं ही अपील सुन सकता है।

िटप् पणी 2. इस धारा के अन् तगर्त अपील करने हेतु वन अिधकारी (Forest Officer) को भी ूािधकृत िकया है और वही अपील मेमो पर हः ताक्षर करेगा। ऐसा वह राज् य शासन की ओर से कर रहा है। (उ.ू. शासन िव. िडिःशक्ट जज, फैजाबाद एवं अन् य, AIR 1971, Allahabad 229)

धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील (1) धारा 17 के अधीन हर अपील िलिखत अजीर् द्वारा दी जायेगी और वन व् यवः थापन अिधकारी को दी जावेगी जो उसे सुनवाई के िलये सक्षम अिधकारी को भेज देगा।

(2) यिद अपील धारा 17 के अन् तगर्त िनयुक् त अिधकारी के समक्ष की जावे तो भू-राजः व से सम् बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के िलये िविहत रीित से उसकी सुनवाई की जावेगी।

(3) यिद अपील वन न् यायालय (Forest Court) के समक्ष की जावे, तो न् यायालय, अपील की सुनवाई के िलये कोई िदन, तथा ूः तािवत वन के आसपास ऐसा सुिवधाजनक ः थान, िनयत करेगा और इसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तद्नुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पद, यथाि◌ःथित, ऐसे अिधकारी द्वारा, न् यायालय द्वारा या ऐसे न् यायालय के सदः यों के बहुमत द्वारा पाि◌रत आदेश, केवल राज् य शासन के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अिन्तम होगा।

धारा 19, अिधवक् ता (Pleaders) - राज् य सरकार या कोई व् यिक्त, िजसने इस अिधनियम के अधीन दावा िकया है, इस अिधनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व् यवः थापन अिधकारी, अपील अिधकारी या न् यायालय के समक्ष हाि◌जर होने, अिभवचन करने (Plead) और अपनी ओर से कायर् करने के िलये िकसी व् यिक्त को िनयुक् त कर सकेगा।

धारा 20. ू◌ः तािवत वन को "आरिक्षत वन" (Reserved Forest) घोिषत करने की अिधसूचना -

(1) जब िक िनम् निलिखत घटनायें घिटत हो गई हों, अथार्त् -

(क) जबिक दावा करने के िलए धारा 6 के अधीन िनयत कालाविध समाप् त हो गई हो तथा धारा 6 एवं 9 के अधीन सब दावों का (यिद कोई हों) वन व् यवः थापन अिधकारी द्वारा िनपटारा कर िदया गया हो।

(ख) यिद ऐसे दावे िकये गये हों तो ऐसे दावों पर वन व् यवः थापन अिधकारी द्वारा पाि◌रत आदेशों के िवरूद्ध अपील करने के िलए धारा 17 द्वारा पिरसीिमत कालाविध समाप् त हो गई हो और कालाविध में ू◌ः तुत की गई सभी अपीलों का िनपटारा अपील अिधकारी या न् यायालय ने कर िदया हो, और

(ग) जबिक ू◌ः तािवत वन में सिम्मिलत की जाने वाली सब भूिमयाँ (यिद कोई हों) िजन् हें धारा 11 के अन् तगर्त वन व् यवः थापन अिधकारी ने भू-अजर्न अिधनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1984) के अधीन अिजर्त करने के िलये चुना है, उस अिधनियम की धारा 16 के अधीन राज् य सरकार में िनिहत की गई हो।

तब राज् य सरकार पिरसीमन सीमा-िचन् हों के अनुसार या अन् यथा उस वन की िजसे आरिक्षत िकया जाता है, सीमाओं को पिरिनिश्चत रूप से िविनिश्चत करने वाली अिधसूचना द्वारा िनयत तारीख से उसे आरिक्षत वन घोिषत करने वाली अिधसूचना "राजपऽ" में ूकािशत करेगी।

(2) ऐसा वन इस ूकार िनयम तारीख से आरिक्षत वन (Reserved Forest) समझा जावेगा।

1धारा 20-अ-वन भूिम या पड़त भूिम आरिक्षत वन माने जावेगें- इस अिधनियम या वतर्मान में ूभावशील कोई अन् य अिधनियम में अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी ऐसे भारतीय राज् य की सीमा के अन् तगर्त की वन भूिम (Forest Land)या पड़त भूिम (Waste Land) उन राज् यों के िकसी एिककृत राज् य(Integrated State)में िवलय होने की ि◌तिथ से और अब उस राज् य का भाग होने से इस धारा में अन् यऽ "संि◌वलियत राज् य" के नाम से सम् बोि◌धत िकया जावेगा(Merger Territories) -

(i) संि◌वलयन (Merger) की ि◌तिथ (1.11.56) के ठीक पूवर् उस समय ूचिलत िकसी कानून, रीि◌त- िरवाज (Custom), िनयम, अिधनियम, आदेश या अिधसूचना के अधीन िजस भूिम को सम् बिन्धत राज् य शासन के "आरिक्षत वन" (Reserved Forest) के रूप में मान् यता दी हो, या(ii) किथत ि◌तिथ के ठीक पूवर् िकसी ूशासकीय िरपोटर् में समािवं ट, या िकसी कायर् आयोजन (Working Plan) के अनुसार या िकसी रिजः टर में अिभिलिखत (Recorded in Register) या रिजः टर के अनुसार मान् य ओर किथत ि◌तिथ के बाद भी जा उस रूप में मानी गई है।

_ 1. मध् य ूदेश अिधनियम ब. 9 वषर् 1965 की धारा 20 (अ) ूि◌तः थािपत

इस अिधनियम के ूयोजनों के िलये "आरिक्षत वन" (Reserved Forest) माने जावेंगे।

(2) ूँ नाः पद सीमा में ूभावशील इस अिधनियम के अन् तगर्त कोई िनयम, आदेश या अिधसूचना के अभाव में िकसी अन् य अिधनियम में िकसी बात के िवपरीत होते हुए भी उपधारा (1) में विणर्त कोई िवधान, िरवाज, िनयम, िविनयम, आदेश या अिधसूचना िविधवत् ूभावशील उसी तरह माने जावेंगे जैसे िक वे िनयम, आदेश, अिधसूचना इस िनयम के अन् तगर्त ही बनाये गये हैं और वे तब तक ूभावशील रहेंगे जब तक िक उन् हें िनरः त, पिरवतर्न या सुधार िविधवत् न िकया जावे।

(3) उिल्लिखत कोई िरपोटर्, कायर् आयोजना या पंजी या उसमें कोई ूिविष्ट के सम् बन् ध में िववाद, व् यवहार न् यायालय में पः तुत नहीं िकया जा सकेगा, बशतेर् िक राज् य शासन यह ूमािणत न कर दें िक किथत िरपोटर्, कायर् योजना या पंजी, किथत शासक के ूािधकार के अन् तगर्त िवलयन की ि◌तिथ के पूवर् तैयार िकया गया है और उसके बाद राज् य शासन द्वारा उनके ूािधकार के अन् तगर्त मान् यता ूाप् त है और अिवरत एवं ूचिलत है।

(4) संि◌वलियत राज् य सीमा में माम वन, संरिक्षत वन या आरिक्षत वन के अितिरक् त अन् य कोई, िकसी नाम से ज्ञात या ः थानीय नाम से ज्ञात मान् यता ूाप् त वन इस अिधनियम के ूावधानों के अनुसार संरिक्षत वन (Protected Forest) माने जावेंगे और उपधारा (2) एवं (3) के अन् तगर्त यथा आवँ यक पिरवतर्न सिहत (Mutatis Mutandis) ूभािवत होंगे।

ः पं टीकरण 1. कायर् योजना (Working) से तात् पयर् कोई कायर्-योजना (Plan) पिरयोजना (Scheme), ूोजेक् ट (Project), नक् शे (Maps), िचऽ (Drawings) एवं अिभन् यास (Layouts) से है जो वन के कायर्, या ूबन् ध के दौरान कायर्वाही को सम् पन् न करने के िलये तैयार िकये गये हों।

ः पं टीकरण 2. शासक (Ruler) से तात् पयर् संि◌वलयन की ि◌तिथ से पूवर् दरबार ूशासन से है और ः टेट गवनर्मेंट (State Government) से तात् पयर् किथत ि◌तिथ के बाद उत् तराि◌धकारी शासन से है।

ः पं टीकरण 3. एकीकृत राज् य से तात् पयर् भारतीय संिवधान के अनुच् छेद 366 के खण् ड (15) में भारतीय राज् य का जो अिभकथन है, वही अथर् होगा।

ः पं टीकरण 4. एकीकृत राज् य से तात् पयर् मध् य ूदेश राज् य, राजः थान, मध् य भारत राज् य, िवन् ध् य ूदेश और भोपाल राज् य जो 1.11.56 के पूवर् िवद्यमान थे, होगा।

नोट - आरिक्षत वन में वन अपराध होने पर उसका न् यायालय में चालान करते समय "आरिक्षत वन" ूमािणत करने के िलए धारा 20 के अन् तगर्त जारी अिधसूचना आवँ यक होती है। (अब् दुल वहाव िव. राज् य, MPLJ 1963 SN 37)

[(1969) 35 Cut. LT पृष्ठ 343]

(1970)-36 Cut. LT 395

धारा 21. ऐसी अिध सूचना के अनुवाद का वन के आस-पास के मामों में ूकाशन - ऐसी अिधसूचना द्वारा िनयत ितिथ के पूवर्, वन अिधकारी, इस अिधसूचना का ः थानीय भाषा में अनुवाद कराकर वन के आसपास के हर नगर एवं गाँव में ूकािशत करावेगा।

धारा 22. धारा 15 या 18 के अधीन िकये गये ूबन् ध का पुनरीक्षण करने की शिक्त - राज् य सरकार, धारा 15 या 18 के अधीन िकये गये िकसी ूबन् ध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन जारी अिधसूचना के ूकाशन के पांच वषर् के अन् दर कर सकेगी। धारा 15 या 18 के अधीन िकसी आदेश को इस ूयोजन के िलये िवखिण्डत (Resuned) या रूपान् तिरत (Modify) कर सकेगी और िनदेर्श दे सकेगी िक धारा 15 में िविनिदर्ं ट कायर्वािहयों में से कोई कायर्वाही ऐसी कायर्वािहयों में से िकसी अन् य के बदले में की जावे या धारा 12 के अधीन मन् जूर िकये गये अिधकारों का धारा 16 के अधीन रूपान् तरण (Commute) िकया जावे।

धारा 23. आरिक्षत वन में कोई अिधकार इसमें उपबिन्धत रीित के अनुसार अिजर्त होने के िसवाय अिजर्त नहीं होगा- आरिक्षत वन में या उस पर िकसी ूकार का कोई अिधकार, केवल उत् तरािधकार द्वारा या सरकार द्वारा उसकी ओर से िकसी व् यिक्त द्वारा, िजसमें ऐसा अिधकार धारा 20 के अधीन जारी अिधसूचना के समय िनिहत था, या उसकी ओर से िदये गये अनुदान या की गई िलिखत संिवदा के अधीन अिजर्त िकये जाने के िसवा, अिजर्त नहीं होगा।

िटप् पणी

वन-भूिम के अितबामकों को पट्टे पर देने की शिक्त राज् य शासन को नहीं है। वह इस संबंध में समझौता करने की शिक्त भी नहीं रखती है। (रतनिसंह राजपूत वगै. िव. म.ू. राजय वगै. 2012 (3) म.ू.लॉ.ज.
173 (खण् डपीठ, म.ू.)।

धारा 24. िबना ःवीकृित अिधकारों का अन् य संबामण (Alienated)न िकया जावेगा-धारा 23 में िविनिदर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अिधकार जो धारा 15 की उपधारा (2) के खण् ड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज् य सरकार की मंजूरी के िबना अनुदान द्वारा, िवबय द्वारा, पट्टे बन् धक (Mortage) या अन् यथा अन् य संबान् त न िकया जावेगा।

परन् तु जब िक ऐसा कोई अिधकार िकसी भूिम या गृह से अनुलग् न (Appended) है तब वह ऐसी भूिम या गृह के साथ बेचा या अन् य संबान् त िकया जा सकता।

(2) ऐसे िकसी अिधकार के ूयोग में अिभूाप् त कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, उस माऽा तक के िसवाय जो धारा 14 के अधीन आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या िविनमय नहीं की जा सकेगी।

धारा 25. आरिक्षत वनों में के पथों एवं जल मागोर्ं को बन् द करने की शिक्त- वन अिधकारी, आरिक्षत वन में िकसी लोक या ूायवेट मागर् या जल मागोर्ं को राज् य सरकार अथवा उसके िनिमत् त सम्यक् रूप से ूािधकृत िकसी अिधकारी की पूवर् ःवीकृित से बन् द कर सकेगा, परन् तु वह यह तभी कर सकेगा जबिक इस ूकार बन् द िकये मागर् या जल मागर् की बजाय ऐसा ूित ः थानी पथ या जल मागर् िजसको राज् य सरकार युिक्तयुक् त रूप से सुिवधाजनक समझती है, पहले से ही िवद्यमान है या वन अिधकारी द्वारा उसके बदले में उपबिन्धत या िसिम्मर्त (Constructed) िकया गया है।

िटप् पणी - धारा 25 वन िवभाग द्वारा िनिमर्त वन मागर् सावर्जिनक मागर् नहीं है तथा वन िवभाग ऐसे मागोर्ं के उपयोग को िनयिन्ऽत कर सकता है। वन िवभाग द्वारा वन मागर् पर शक/बस के पिरवहन हेतु शुल् कवसूल करना संिवधान के आिटर्कल 265 के िवपरीत नहीं है, बिल्क ऐसी सेवा देने के उपलआ य में हैं। (आनन् द शांसपोटर् कं. ूायवेट िल. िव. वन मण् डलािधकारी - रायपुर (दिक्षण) वन मण् डल AIR 1959, Madhya Pradesh, 224)

धारा 26. ऐसे वनों में ूितिषद्ध कायर्- (1) कोई व् यिक्त जो -

(क) धारा 5 के अधीन ूितबद्ध नई कटाई, सफाई करेगा या

(ख) आरिक्षत वन में 1या उस क्षेऽ की भूिम में िजसके सम् बन् ध में राज् य सरकार द्वारा धारा 4 के अन् तगर्त आरिक्षत वन बनाने की अिधसूचना जारी कर दी है, आग लगावेगा, या राज् य सरकार द्वारा बनाये िकसी िनयमों का उल् लंघन करते हुए ऐसी रीित से आग जलायेगा या जलते छोड़ देगा िजससे ऐसे वन संकटापन् न हो जावे।

या जो आरिक्षत वन में

1. म. ू. अिधनियम ब. 9 वषर् 1965 द्वारा संशोिधत।

(ग) ऐसी ऋतुओं में, के िसवाय, िजन् हें वन अिधकारी इस िनिमत् त अिधसूिचत करे, कोई व् यिक्त न तो आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा।

(घ) पशुओं का अितचार (Trespass) करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अितचार करने की अनुमित (Permit) देगा।

(ङ) िकसी वृक्ष की कटाई या 1से ले जाने में लापरवाही से वन को हािन पहुँचाएगा।

(च) िकसी वृक्ष को काटेगा (Fells), वृक्षके सूखने के उद्देँ य से उसके चारों ओर गहरा घाव (Girdle) बनायेगा, छाँटेगा (पत् ती या डाल काटना) (Lopping), छेवेगा (गोंद आिद िनकालने के उद्देँ य से घाव बनाना) (Tap), या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतारेगा या पित्तयाँ तोड़ेगा या उसे अन् यथा नुकसान पहुँचाएगा। 1या िकसी अन् य वन उपज को नुकसान पहुंचावेगा। (छ) पत् थर की खुदाई करेगा (Quarries), चूना अथवा लकड़ी की कोयला फूँकेगा (Burns) या िकसी वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या िविनमार्ण की ूिबया में वनोपज का संमहण या पिरवहन करेगा।

(ज) खेती या अन् य ूयोजन के िलये 1िकसी आरिक्षत वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या काँ त करता है या अन् य िविध से काँ त करने का ूयास करता है।

(झ) राज् य सरकार द्वारा इस िनिमत् त बनाये गये िकसी िनयम के उल् लंघन में िशकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल िवषैला करेगा या पाश या जाल िबछाएगा, या

(ञ) ऐसे िकसी क्षेऽ में जहाँहाथी पिररक्षण िनयम, 1879 (1879) का 6) ूवृत्त नहीं है,

इस ूकार बनाये िकन् हीं िनयमों के उल् लंघन में हािथयों का वध करेगा या उन् हें पकड़ेगा। या वन को नुकसानपहुँचानेके कारण, ऐसे ू ितकार के अितिरक् त िजसका संदाय िकया जाना, िसद्ध दोष करने वाला न् यायालय िनिदर्ं ट करे या ऐसी अविध के कारावास से जो 1(1 वषर्) तक हो सकेगा या जुमार्ने से जो 2(पन् िह हजार) रूपया तक हो सकेगा या दोनों से दिण्डत िकया जायेगा।

(2) इस धारा की बात के बावत यह न समझा जायेगा िक वह -

(क) वन अिधकारी की िलिखत अनुज्ञा या राज् य सरकार द्वारा बनाये गये िकसी िनयम के अधीन िकये गये कायर्, को या

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खण् ड (ग) के अधीन चालू रखे गये या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा (23) के अधीन िकये गये अनुदान या की गई िलिखत संिवदा द्वारा ूदत् त िकसी अिधकार के ूयोग को ूितिषद्ध करती है।

(3) जब िकसी आरिक्षत वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शािःत लगाई गई है) राज् य सरकार िनदेर्श दे सकेगी िक ऐसे वन या उसके िकसी ूभाग में चराई या वनोपज से सम् बिन्धत सब अिधकारों का ूयोग उतनी कालाविध के िलये िजतनी वह ठीक समझती है, िनलिम्बत रहेगा।

---

1. म. ू. अिधनियम ब. 9 वषर् 1965 द्वारा संशोिधत।
2. म. ू. अिधनियम ब. 7 वषर् 2010 द्वारा संशोिधत।

िटप् पणी

ािथमक सूचना अपराध को ूभािवत करने हेतु महत् वपूणर् लेखपऽ है। उसके िलखे जाने में िवलम् ब पँ चातवतीर् सोच का जनक होता है। ऐसी पिरिःथित में दोष िसिद्ध संभव नहीं होती है। (म.ू. राज् य िव. जमादार 2004 (1) मिनसा 27 (म.ू.)।

आरिक्षत वन क्षेऽ में वहाँ की भूिम को खोदकर िनकाला गया फ्लेग ः टोन शक में रख िदए जाने के उपरांत उसे उसी वन क्षेऽ की पिरसीमा में जिप्त उपरांत शक के समय हरण की कायर्वाही वैध थी। (म.ू. राज् य िव. शब् बीर खान, 2006 (2) म.ू.लॉ.ज. 50 (म.ू.)।

(1) धारा 26 (1) के अन् तगर्त अपराध में यहा ूमािणत करना आवँ यक है िक आरिक्षत वन से लकड़ी काटी गई एवं ले जाई गई। यह सबूत करने का अिभयोजन पक्ष का उत् तरदाियत् व है। (AIR 1959, SC 147)

(2) वन भूिम से वृक्ष िगराना नहीं, ले जाना भी अपराध है।

(3) मध् य ू देश संशोिधत 9, वषर् 1965 काफी व् यापक है संशोिधत ू ावधान के अनुसार यह ू मािणत करना काफी है िक अपराधी काँ त करता है या काँ त करने का ूयास करता है चाले वह; वह व् यिक्त न हो िजसने सवर्ूथम की थी। अपराधी की दलील िक वन भूिम पर पूवर् से की काँ त होती आ रही है मानने योग् य नहीं है। अपराधी काँ त करने का दोषी है।

(State Vs. Jaimal, 1974 MPLJ SN 117, AIR 1924 Nag. 190 Dist.)

(4) मध् य ूदेश बीकली नोट्स 1983 ब. 379 कािन्तलाल िव. म. ू. शासन, में यह िनणर्य ूदान िकया गया है िक धारा 26 (1) सहपिठत धारा 379 भा. द. िव. के अपराध में आरोप लगाने के िलये सारभूत कारण ूथम दशर्नीय उपबन् ध है िक अिभयुक् त के पास इस सम् बन् ध में कोई युिक्तसंगत ः पं टीकरण या समाधान कारक उत् तर नहीं है िक उसने ताजी काटी गई काफी माऽा में इमारती लकड़ी का

आधिपत् य कैसे ूाप् त किया है।

ऐसी िःथित में माननीय उच्च-न् यायालय ने द.ू.सं. 1973 की धारा 482 के अधीन आपराधिक आरोप को िनरः त करने का आवेदन अः वीकार िकया है।

(5) कोई व् यिक्त, उस वन भूिम में (िजसके आरिक्षत करने के शासन की मंशा के अनुरूप धारा 4 के अन् तगर्त सूचना जारी कर दी है लेिकन धारा 6 अथवा 20 की कायर्वाही शेष है) काँ त के िलये भूिम तोड़ता है, तब यह काफी है िक धारा 4 के अन् तगर्त अिधसूचना जारी हो गई है तथा धारा 20 के अन् तगर्त अिधसूचना आवँ यक नहीं है। (1972 Cri L.J. 706)

(6) उपधारा (घ) के अन् तगर्त वन अपराध में िलप् त पशु भी उसी ूकार राजसात् (Confiscation) के योग् य है िजस ूकार अवैध इमारती लकड़ी का पिरवहन करते गाड़ी बैंल AIR 1938 Nag. 385) (7) ू त् येक वृक्ष को काटना अलग-अलग अपराध है कोई व् यिक्त िजतने वृक्ष काटेगा उतने अपराध करेगा। (AIR 1918 All. 351)

धारा 27. यह घोिषत करने की शिक्त िक वन आरिक्षतवन नहीं रहा है - (1) राज् य सरकार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा िनदेर्श दे सकेगी िक इस अिधिनयम के अधीन कोई आरिक्षत वन या उसका ू भार, ऐसी अिधसूचना द्वारा िनयम तारीख से, आरिक्षत वन नहीं रह जावेगा।

(2) इस ूकार उक् त तारीख से ऐसा वन या उसका ूभार आरिक्षत वन नहीं रह जावेगा िकन् तु उसमें वे अिधकार (यिद कोई हो) जो िनवार्िपत (extinguished) हो गये हों, ऐसा न रहने के पिरणामः वरूप पुनजीर्िवत(Revive)नहीं हो जावेंगे।

अध् याय 3

माम वनों (Village Forest) के सम् बन् ध में

धारा 28. माम वनों का िनमार्ण - (1) राज् य सरकार िकसी ऐसी भूिम के ूित या उस पर, जो आरिक्षत वन (Reserved Forest) कर दी गई है िकसी माम समुदाय को शासन के अिधकार समनुदेिशत कर सकेगी और समनुदेशन (Assignment) रद्द कर सकेगी। इस ूकार समनुदेिशत वन "माम वन" कहलावेंगे।

(2) िजस माम समुदाय (Village Community) को ऐसा समनुदे शन िकया गया है, उस माम समुदाय के िलये इमारती लकड़ी, या अन् य वन उपज या चराई का उपबन् ध िजन शतोर्ं के अधीन िकया जा सकेगा, उन् हें ऐसे वन के संरक्षण एवं सुधार के िलये, उनके कत् तर्व् यों को िविहत करने वाले िनयम राज् य सरकार माम वनों के ूबन् ध को िविनयिमत करने के िलये बना सकेगी।

(3) इस अिधिनयम के वे सब उपबन् ध, जो आरिक्षत वनों से सम् बद्ध है, वहाँ तक (जहाँ तक िक वे इस ूकार बनाये िनयमों से असंगत नहीं है) माम वनों को लागू होंगे।

अध् याय 4

सरंिक्षत वनों के सम् बन् ध में

धारा 29. सरंिक्षत वन - (1) राज् य सरकार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा घोिषत कर सकेगी िक इस अध् याय के उपबन् ध, िकसी वन भूिम या पड़त भूिम (Waste Land) में जो आरिक्षत वन नहीं है, परन् तु वह शासन की सम् पित्त है या उस पर शासन का सम् पित्तक अिधकार है, या कुछ या समः त वन उपज िजसका शासन हकदार है, लागू होंगे। (2) इस अिधसूचना में सिम्मिलत समः त वन भूिम या पड़त भूिम को 'संरिक्षत वन' कहा जावेगा।(3) ऐसी अिधसूचना तब तक जारी नहीं की जावेगी जब तक उस भूिम पर सरकार या ूायवेट व् यिक्तयों के अिधकारों के ः वरूप और िवः तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सवेर्क्षण या बन् दोबः त अिभलेख में या अन् यिकसी ऐसी रीित से, जैसी राज् य सरकार पयार्प् त समझती है, उन् हें अिभिलिखत नहीं कर िलया जाता, तथा ऐसे हर अिभलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी िक वे सही (Correct) है जब तक िक ू ितकूल (Contrary) सािबत न कर िदया जावे:

परन् तु यिद िकसी वन भूिम या पड़त भूिम की बाबत राज् य सरकार, यह समझती है िक ऐसी जाँच एवं अिभलेख आवँ यक है, िकन् तु उनमें इतना समय लगेगा िक इस बीच राज् य सरकार के अिधकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज् य सरकार ऐसी जाँच लिम्बत रहने तक ऐसी भूिम को संरिक्षत वन घोिषत कर सकेगी, िकन् तुइससे िकसी व् यिक्त या समुदाय के अिधकार ूभािवत नहीं होंगे।

धारा 30. वृक्ष आिद को आरिक्षत करने की अिधसूचना िनकालने की शिक्त - राज् य सरकार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा -

(क) संरिक्षत वन के िकन् हीं वृक्षों या वृक्षों के वगर् (class of trees) को अिधसूचना द्वारा िनयत तारीख से आरिक्षत घोिषत कर सकेगी।

(ख) राज् य सरकार अिधसूचना द्वारा घोिषत कर उस वन के िकसी भाग को अिधकतम तीस वषर् तक, जैसा राज् य सरकार उिचत समझे, बन् द कर सकेगी, तथा इस कालाविध में ऐसे ूभाग पर ूायवेट व् यिक्तयों के अिधकार, ऐसी अविध के दौरान िनलिम्बत रहेंगे, परन् तु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग पयार्प् त हो तथा वह उस क्षेऽ के व् यिक्तयों, िजनके अिधकार िनलिम्बत हुए हैं, के ूयोग के िलये पयार्प् त तथा युिक्तयुक् त ः थान में हो, या

(ग) ऐसे वन की िकसी भूिम में पत् थर िनकालना (Quarrying of stones), चूने का भट्ठा लगाना (Burn Lime) या कोयला बनाना (Burn Charcoal), वन उपज का संमहण कर िविनमार्ण की ू िबया करने, या वन उपज का पिरवहन करने (Removal) और वन में काँ त करने, भवन बनाने या पशुओं को रोधने (Herding of Cattles) या अन् य कारण से वनों की सफाई करना और भूिम तोड़ना पूवोर्क् त िनयत तारीख से ूाितिषद्ध कर सकेगी।

धारा 31. अिधसूचना के अनुवाद का आस-पास के क्षेऽों में ूकाशन - कलेक् टर, धारा 30 के अन् तगर्त िनकाली गई अिधसूचना का ः थानीय भाषा में अनुवाद कराकर संदिभर्त वन के आस-पास के ूत् येक माम व नगर में सहज दृँय ः थान लगवायेगा।

धारा 32. संरिक्षत वनों के बारे में िनयम बनाने की शिक्त - राज् य सरकार िनम् निलिखत बातों के िविनयमन के िलये िनयम बना सकेगी, अथार्त्

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई (Cutting) िचराई (Sawing), संपिरवितर्त (Conversion), करना और हटाना (Removal) तथा संरिक्षत वन की वनोपज का संमहण (Collection), िविनमार्ण (Manufacture) या पिरवहन (Removal)।

(ख) संरिक्षत वन के समीप के नगरों एवं माम के िनवािसयों को अपने उपयोग के िलये वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने हेतु अनुज्ञिप्त लेना (License) और ऐसे व् यिक्तयों द्वारा ऐसी अनुज्ञिप्तयों का पेश और वापस िकया जाना।

(ग) व् यापार के ूयोजनों के िलये वनों से वृक्षों, या इमारती लकड़ी को काटने (Feeling) या हटाने (Removing) एवं अन् य वन उपज का पिरवहन करने वाले व् यिक्तयों को अनुज्ञिप्तयाँ (License) ू दान करना और ऐसे व् यिक्तयों द्वारा ऐसी अनुज्ञिप्तयाँ पेश और वापस िकया जाना।

(घ) खण् ड (ख) एवं (ग) में विणर्त व् यिक्तयों द्वारा जैसे वृक्षोंको काटने अथवा इमारती लकड़ी या वन उपज संमिहत करने एवं हटाने की अनुज्ञा के िलये, िकये जाने वाले भुगतान (Payments) यिद कोई हों।

(ङ) ऐसे वृक्षों इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के बारे में िकये जाने वाले अन् य भुगतान (Payment) और वे ः थान जहाँ ऐसा संदाय िकया जावेगा।

(च) ऐसे वनोंपज को जो संरिक्षत वन से बाहर जावे, जांच कराने के सम् बन् ध में।

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन् य ूयोजन के िलये भूिम की कटाई, सफाई और भूिम तोड़ना।(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी एवं धारा (30) के अन् तगर्त आरिक्षत वृक्षों की अिग्न से सुरक्षा।

(झ) ऐसे वनों से घास कटाना एवं पशु चराना।

(ञ) ऐसे वनों में िशकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल िवषैला करना, पाश या जाल िबछाना और ऐसे वनों के उन क्षेऽों में जहाँ हाथी पिररक्षण अिधिनयम, 1879 (1797 का 6) ू वृत् त नहीं है, हािथयों को पकड़ना।

(ट) धारा (30) के अधीन वन के िकसी बन् द ूभाग का संरक्षण और ूबंध और

(ठ) धारा (29) में िनदेर्िशत अिधकारों का ूयोग।

िटप् पणी (1) - (1) मध् य ूदेश शासन मोहलाइन पत् तों को ठेके पर दे सकता है तथा शासन को ऐसे पत् तों को घोष िवबय के िलये िववश नहीं िकया जा सकता (देखें 1965, एम.पी.एल.जे. िटप् पणी 129)।

िटप् पणी (2) - अिधकार शुल् क केवल उन पर लगाई जा सकती हे जो संरिक्षत वन से उपज लें। (सूरजदीन िव. शासन 1960 रा. िन. 39)।

धारा 33. धारा 30 की अिधसूचना या धारा 32 के अधीन बने िनयमों के उल् लंघनों के िलये शिक्तयाँ - (1) जो कोई व् यिक्त िनम् निलिखत अपराधों में से कोई अपराध करेगा अथार्त् -

(क) धारा 30 के द्वारा आरिक्षत 1िकसी वृक्ष, वन या वनोपज को िगरायेगा (Fells), वृक्षको सूखने के उद्देँय से उसके चारोंओर घाव करेगा (Girdles), पत् ते या डाल छांटेगा (Lopping), गोंद आिद िनकालने के िलये छेवेगा (Taps) या उसकी छाल या पत् ती िनकालेगा (Strips off the Break or leaves) या अन् य ूकार से वृक्ष को हािन पहुँचावेगा।

(ख) धारा 30 के अधीन वाले िकसी ूितषेध(Prohibition) के ूितकूल (Contrary) पत् थर की खुदाई (Quarry) करेगा, या चूने का भट्टा लगावेगा (Burns Lime) या कोयला बनावेगा (Burns Charcoal) या िकसी वन उपज का संमहण करेगा, और उससे कोई िविनमार्ण ूिबया चलायेगा या िकसी वनोपज को हटावेगा।

2(ग) िकसी संरिक्षत वन में धारा 30 के अधीन िकसी ूितषेध के ूितकूल, िकसी भूिम को खेतीया अन् य ूयोजन के िलये तोड़ेगा या साफ करेगा काँ त करेगा या काँ त करने का ूयत् न करेगा या अन् य िविध से काँ त करेगा (Cultivate in any other manner),

(घ) ऐसे वन में आग लगावेगा या िबना युिक्तयुक् त पूणर् सावधानी बरते आग जलावेगा िजससे धारा 30 के अधीन आरिक्षत िकसी वृक्ष को, चाहे वह खड़ा हो, िगर गया हो, या िगराया गया हो, क्षित पहुँचे या धारा 30 (ख) के अधीन ऐसे बन् द िकये क्षेऽ में फैल जावे।

---

1. म. ू. अधिनियम ब. 9 वषर् 1965 द्वारा संशोिधत।
2. म. ू. अधिनियम ब. 7 वषर् 2010 द्वारा संशोिधत।

(ङ) ऐसे िकसी वृक्ष या बन् द ूभाग के समीप में उसके द्वारा जलाई आग को जलती छोड़ देगा। (च) िकसी वृक्ष को इस ूकार िगरावेगा या इमारती लकड़ी को इस ूकार 1हटावेगा िक िजससे धारा 30 के अन् तगर्त आरिक्षत वृक्ष को हािन पहुँचे।

(छ) इस ूकार के वृक्ष को पशुओं के द्वारा हािन पहुँचावेगा।

(ज) धारा 32 के अन् तगर्त बनाये िनयमों का अितलंघन (Infringe) करेगा।

(1) वह उस अविध के कारावास से जो 1एक वषर् तक की हो सकेगी या जुमार्ने से जो 1पन् िह हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण् डनीय होगा।

(2) जब िकसी संिक्षत वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज् य सरकार इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शािःत लगाई गई है, िनदेर्श दे सकेगी, िक ऐसे वन में या उसके िकसी ूभाग में चराई या वनोपज के िकसी अिधकार का ूयोग उतनी अविध के िलये िजतना राज् य सरकार ठीक समझती है, िनलिम्बत करेगा।

िटप् पणी - (1) यिद कोई व् यिक्त अनिधकृत रूप से संरिक्षत वन में ूवेश करे तो उस व् यिक्त के िवरूद्ध धारा 33, अथवा भा.द.िव. की धारा 447 के अधीन मामला चलेगा।

(2) िबिमनल लॉ जनर्ल (Criminal Law Journal), 1983 पृष्ठ 64 पर िहमाचल ूदेश उच् च न् यायालय ने यह अिभनणीर्य िकया है िक धारा 33 के वन अपराध में नरम रूख नहीं अपनाना चािहए, इस धारा के अधीन कठोर दण् ड िदया जाना चािहए।

इस िनणर्य में भारतीय उच् च न् यायालय ने वन से सम् बिन्धत अपराध पर वन अिधकािरयों को त् विरत कायर्वाही िनं ठा से करने का बल िदया है।

(3) धारा 33 (1)(क) के अन् तगर्त अपराध जमानत योग् य(Congnizable Offence) है। और अपराधी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

धारा 34. इस अध् याय की कोई बात कितपय मामलों में िकये गये कायोर्ं का ूितषेध नहीं करेगी - इस अध् याय की कोई बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा िक ऐसे िकसी कायर् का ूितषेध करती है जो वन अिधकारी की िलिखत अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाये गये िनयमों के अनुसार िकया गया है, जो धारा 29 के अधीन अिभिलिखत िकसी अिधकार के ूयोग में, या धारा 30 के अधीन बन् द िकये गये िकसी वन के ूभाग के िवषय में, या िकन् हीं उन अिधकारों के िवषय में िजनका ूयोग धारा 33 के अधीन िनलिम्बत िकया गया है, िकये जाने के अलावा िकया गया है।

134 अ. संरिक्षत वन नहीं होने की घोषणा की शिक्त - राज् य शासन अिधसूचना द्वारा िनधार्िरत ितिथ से ऐसे संरिक्षत वन या उसके भाग को "संरिक्षत वन" न होने की अिधसूचना िनगर्िमत कर सकता है।

इस ूकार िनयत ितिथ से सं रिक्षत वन या उसे भाग 'संरिक्षत वन' नहीं रहेंगे िकन् तु वे अिधकार, (यिद कोई हो) जो समाप् त हो गये हैं, संरिक्षत वन की समािप्त पर पुन: जीिवत नहीं होंगे।

---

1. म. ू. अधिनियम ब. 9 वषर् 1965 से धारा 34 (अ) जोड़ी गई।

अध् याय 5

जो वन और भूिमयाँ सरकार की सम् पित्त नहीं हैं उन पर िनयंऽण के सम् बन् ध में

धारा 35. िवशेष ूयोजनों के िलये वनों का संरक्षण - (1) राज् य सरकार राजपऽ में िकसी अिधसूचना द्वारा िकसी वन या पड़त भूिम (Waste land) में :

(क) खेती के िलये भूिम तोड़ना या साफ करना।

(ख) पशु चराना (या)

(ग) वनः पित (Vegetation) को जलाना या साफ करना।

(घ) पौधों या वृक्षों का काटना।

उस सूरत में िविनयिमत या ूितिषद्ध कर सकेगी िजसमें िक ऐसा िविनयिमत या ूितषेध िनम् निलिखत ूयोजनों में से िकसी एक के िलए आवँ यक ूतीत होता है अथार्त्

(i) आंधी (Storms), तेज हवा (Winds), लुढ़कते पत् थर (Rolling Stones), बाढ़ (Floods), और िहमानी (Avalanches) से संरक्षण।

(ii) पहाड़ी भूभागों के िशखरों, ढलानों एवं घािटयों पर मृदा का पिररक्षण (Soil preservation), भू: खलन (Landslips) या खादर (Ravines) और बेगधारा (Torrents) के बनने से रोकना, या भूिम का कटाव (Soil erosion) या उस पर बालू, पत् थर, बजरी के जमाव से भूिम का संरक्षण।

(iii) झरना (Springs), निदयों, तालाबों में जलपूितर् बनाये रखना।

(iv)मागोर्ं, पुलों, रेलों के संचार मागर् एवं अन् य मागोर्ं का संरक्षण।1(iv-a) वनों की हािन को रोकने एवं वनों के िवकास एवं सुरक्षा के िलये।

(v) लोक ः वाः थ् य (Public Health) का पिररक्षण (Preservation)

(2) राज् य सरकार, िकसी ऐसे ूयोजन के िलये, ऐसे संकल् प कायर् (Works), जैसे वह ठीक समझती है, िकसी वन या पड़त भूिम पर अपने व् यय से बनवा सकेगी।

(3) जब तक िक ऐसे वन या भूिम के ः वामी को इस बात के समािहत करने वाली सूचना दे दी गई हो िक तुम ऐसी सूचना से िविनिदर्ं ट, युिक्तयुक् त कालाविध के अन् दर यह हेतुक दिशर्त करो, िक यथाििःथित ऐसी अिधसूचना क् यों न िनकाली जावे या संकल् प (Work) क् यों न बनाया जावे और जब तक िक उन अपेक्षाओं की, यिद कोई हों, और िकसी साआ य की, जो वह उसके समथर्न में पेश करे, सुनवाई उस अिधकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो इस िनिमत् त सम्यक् रूप से िनयुक् त िकया गया हो, और राज् य सरकार उस पर िवचार न कर चुकी हो, तब तक धारा (1) के अधीन कोई अिधसूचना नहीं िनकाली जावेगी और न ही उपधारा (2) के अधीन कोई कायर् (Work) आरम् भ िकया जावेगा।

धारा 36. वनों का ूबन् ध संभालने की शिक्त - (1) 35 के अधीन िकसी िविनमय या ूितषेध की अपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में या, उस धारा के अधीन होने वाले संकल् प (Work) के ूयोजनाथर्, राज्य सरकार ऐसे वन या भूिम के ः वामी को िलिखत सूचना के पँ चात् तथा उस सूचना पर उसके आक्षेपों की सुनवाई के पँ चात् उसे वन अिधकारी के िनयंऽण के अधीन कर सकेगी और घोिषत कर सकेगी िक आरिक्षत वनों से सम् बन्ध इस अिधनियम के सब उपबन् ध या उसमें से कोई उपबन् ध इस भूिम पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूिम के ूबन् ध से उत् पन् न होने वाले शुद्ध लाभ, यिद कोई हों, तो उक् त भूिम के ः वामी को िदये जावेंगे।

---

1. म. ू. अिधनियम ब. 26 वषर् 1950 से (IV-a) जोड़ा गया।
2. म. ू. अिधनियम ब. 26 वषर् 1950 द्वारा धारा 36 (3) जोड़ी गई।

1(3) शुद्ध लाभ की गणना करते समय वन के कायर् एवं ूबन् ध में कुल िकये गये खचर् की गणना, गणना की ित िथ तक तथा कायर् व ूबन्ध से ूाप् त कुल लाभ में समायोिजत कर िनकाली जावेगी।

(4) उपधारा (3) के ूयोजन के िलये :

(अ) कुल आय की गणना में वनोपज के सम् बन् ध में वन अपराधों में की गई जिप्तयाँ (जो अपराध भूिम ः वामी ने नहीं िकये हों) के राजसात् से ूाप् त कीमत होगी उसमें से सूचना देने वाले को कोई पािरतोिषक िदया होगा वह घटाये जाने के बाद शेष रािश बचेगी, वह होगी।

(ब) कुल खचर् में िनम् न खचर् सिम्मलित िकये जावेंगे -

(i) कुल आय का 20 ूितशत राज् य सरकार को पयर्वेक्षण व् यय (Supervision Charges) के रूप में देय होगा।

(ii) ऐसे वन के राज् य सरकार के ूबन् ध में आने की ितिथ के पँ चात् भूिम ः वामी द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत या कोई अिजर्त लाभ।

(iii) वन ूबन् ध के सम् बन् ध में वन-िवभाग के कमर्चािरयों को िदये गये वेतन एवं अन् य भत् ते।(iv) ऐसे अन् य आकिःमक व् यय, जो वन अिधकारी द्वारा िकये गये हों िजनमें वन-उपज (Article) के संमहण, पिरवहन या िवबय का व् यय तथा वन-उपज के जप् त (forfeit), या राजसात (Confiscate) का व् यय सिम्मलत होगा।

धारा 37. कुछ अवः थाओं में वनों का ः वत् व हरण - (1) इस अध् याय के अधीन ऐसे िकसी मामले में िजसमें राज् य सरकार यह समझती है िक वन या भूिम को वन अिधकारी के िनयन् ऽण में रखने के बजाय उसे लोक ूयोजन के िलये अिजर्त िकया जावे, तब राज् य सरकार, भूिम अजर्न अिधनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंिधत रीित से उसे अिजर्त करने के िलये कायर्वाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 में समािवं ट िकसी अिधसूचना की तारीख से अन् यून तीन वषोर्ं में या अनिधक बारह वषर् के अन् दर िकसी भी समय भूिम ः वामी यह अपेक्षा कर सकेगा िक ऐसा वन या भूिम यिद लोक ूयोजन के िलये अिजर्त की जाना आवँ यक हो तो राज् य सरकार ऐसे वन या भूिम को अिजर्त कर लेगी।

धारा 38. ः वािमयों की ूाथर्ना पर वनों का संरक्षण - (1) िकसी भूिम का ः वामी, या उसके एक से अिधक ः वामी हैं, तो उनमें से कम से कम दो ितहाई अंशों के ः वामी, इस दृिष्ट से िक इस भूिम पर रोपण या संरक्षण िकया जावे, कलेक् टर को अपनी इस इच् छा का िलिखत अभ् यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे िक -

(क) हमारी ओर से ऐसी भूिम का आरिक्षत या संरिक्षत वन के रूप में, वन अिधकारी द्वारा, ऐसे िनबर्न् धनों के अधीन जो परः पर करार पाये जावें ूबन् ध िकया जावे।

(ख) इस अिधनियम के सब उपबन् ध या कोई उपबन् ध (Provisions) ऐसी भूिम को लागू कर िदए जावें।

(2) दोनों में हर अवः था में, राज् य सरकार ऐसी भूिम को इस अिधनियम के ऐसे उपबन् ध राजपऽ में अिधसूचना द्वारा लागू कर सकेगी िजसे वह ऐसी भूिम की पिरिःथितयों में उिचत समझते हों और जो आवेदकों द्वारा वांिछत हो।

अध् याय 6

इमारती लकड़ी और अन् य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

धारा 39. इमारती लकड़ी और अन् य वन-उपज पर शुल् क आरोिपत करने की शिक्त -

(1) केन् िीय सरकार ऐसी रीित से, ऐसे ः थानों में और ऐसी दरों पर, जैसी वह अिधसूचना द्वारा घोिषत करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल् क उद्ग्रहीत कर सकेगी -

(क) जो उन राज् यों के क्षेSों, में िजन पर इस अिधिनयम का िवः तार है, उत् पन् न होते हैं, और िजसके िवषय में सरकार को कोई अिधकार ूाप् त है, या

(ख) जो उन िनयमों के क्षेSों में, िजन पर इस अिधिनयम का िवः तार है, बाहर के िकसी ः थान से लाया जाता है।

(2) ऐसे हर मामले में, िजसमें ऐसे शुल् क की बाबत यह िनिदर्ं ट िकया गया है िक वह मूल् यानुसार उद्ग्रहीत की जावे, केन् िीय सरकार वैसी ही अिधसूचना द्वारा, वह मूल् य िनयत कर सकेगी िजस पर ऐसा शुल् क िनधार्िरत होगा।

(3) इमारती लकड़ी या अन् य वनोपज पर जो शुल् क या उस समय, जब वह अिधिनयम िकसी राज् य क्षेS में ूवृत्त होता है, राज् य सरकार के ूािधकार के अधीन उसमें उद्ग्रहीत होते हैं, उन सबके बाबत यह समझा जावेगा िक वे इस अिधिनयम में उपबन् धों के अधीन उद्ग्रहीत होते हैं, और सम् यक् रूप से उद्ग्रहीत रहे हैं।

(4) जब तक िक संसद (Parliament) द्वाराूितकूलत: उपबन् ध नहीं िकया जाता, राज् य सरकार इस धारा में िकसी बात के होते हुए िकसी भी शुल् क को लगातार उद्ग्रहीत कर सकेगी, िजसे वह संिवधान के ूारम् भ के पूवर् इस धारा के उस समय ूवृत्त रूप में िविध पूणर्त: उद्ग्रहीत करती थी। परन् तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे िकसी शुल् क का उद्ग्रहण ूािधकृत नहीं करती जो राज् य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज् य के बाहर के ः थान की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य उपज के पूवर् किथत के पक्ष में िवभेद करती है, या जो राज् य के बाहर िकसी ः थान की इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज के मामले में, िकसी एक ः थान की इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज के बीच िवभेद करता है।

िटप् पणी - इस धारा के अन् तगर्त केन् िीय सरकार इमारती लकड़ी या वनोपज पर शुल् क लगा सकती है, चाहे वह इस अिधिनयम के क्षेS में उत् पन् न की गई हो। (देखें AIR 1965, Madhya Pradesh 215)।

धारा 40. सीमा सम् बन् धी उपबन् ध, बय धन या ः वािमत् व के सम् बन् ध में लागू नहीं होगा - इस अध् याय की िकसी बात की बाबत यह समझा जावेगा िक वह उस रािश को, यिद कोई हो तो जो िकसी इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज पर बयधन या ः वािमत् व के रूप में ूभायर् है, सीिमत करती, भले ही ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अिभवहन के दौरान उस पर रीित से उद्ग्रहीत होता है, िजसमें से शुल् क उद्ग्रहीत होता है।

अध् याय - 7

अिभवहन के दौरान इमारती लकड़ी एवं वन उपज के िनयंSण के संबंध में

धारा 41. वन उपज के अिभवहन (Transit) को िविनयिमत करने के िलये िनयम बनाने की शिक्त Ð

(1) इमारती लकड़ी को बहाकर पिरवहन करने के िलये िवषय में, सब निदयाँ और उनके स्तर्ोतो का िनयन् Sण और थल या जल द्वारा अिभवहन में कोई इमारती लकड़ी और अन् य वन-उपज के अिभवहन करने के िलये राज् य सरकार को अिधकार है तथा वह इमारती लकड़ी या वनोपज के पिरवहन के िविनयिमत (Regulate) करने संबंधी िनयम बना सकेगी।

(2) िवशेषत: और पूवर्वतीर् शिक्त की व् यापकता पर ूभाव डाले िबना ऐसे िनयम Ð

(क) उन मागोर् को िविहत कर सकेगे िजनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन् य वनोपज राज् य में आयात या राज् य से िनयार्त या राज् य के अन् दर पिरवहन की जा सकेगी।

(ख) ऐसे अिधकारी के पास िबना, जो उसे देने िलये सम् यक् रूप से ूािधकृत है, या ऐसे पास को ू ितिषद्ध कर सकेंगे।

(ग) ऐसे पासों को िदये जाने, पेश करने, या वापस करने के िलये तथा उसके िलये फीस के िदये, जाने के िलये उपबन् ध कर सकेंगे।

(घ) अिभवहन में, इमारती लकड़ी या अन् य वनÐउपज को, िजसके िवषय में यह िवँ वास करने का कारण है िक उसकी कीमत के कारण या उसकी देय िकसी शुल् क, फीस, या ः वािमत् व या ूभार के कारण कोई शुल् क सरकार को देय है, या िजस पर इस अिधिनयम के ूयोजन के िलये िचह्न लगाना (Affix a mark) वांछनीय है, उसके बारे में िरपोटर् देने, रोकने, उसका परीक्षण करने, (Examination) िचिह्नत करने के िलये रोककर उपलब् ध कर सकने के िनयम बना सकेंगे।

(ड) उन िडपो (Depot) की ः थापना और िविनमय के िलये िजनसे िकसी इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज व् यिक्तयों द्वारा, िजनके भार-साधक में वह है, परीक्षा के िलये, या ऐसे धन के िदये जाने के िलये, या उस पर

िचह्नलगाने के िलये, ले जाई जावेगी तथा उन शतोर् का, िजनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज ऐसे िडपो को लाई जावेगी, उनमें संमहीत की जावेगी, और उनसे हटाई जावेगी, उपलब् ध कर सकेंगे।

(च) इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज के अभिवहन के िलये ूयुक्त िकसी नदी की धारा या तट को बन् द करना या बािधत करना या ऐसी िकसी नदी में घास, शाखायें या पित्तयाँ फेंकना या ऐसा कोई कायर् करना िजससे ऐसी नदी का मागर् बन् द या बािधत हो जावे, ूितिषद्ध कर सकेंगे।

(छ) ऐसी नदी की धारा या िकनारों की िकसी बाधा के िनवारण या हटाने के िलये उस व् यिक्त से, िजनके कायोर् की उपेक्षा के कारण यह आवँ यक हुआ है, ऐसे िनवारण या हटाने का खचर् वसूल करने के िलये उपबन् ध कर सकेंगे।

(ज) िविनिदर्ं ट ः थानीय सीमाओं के अन् दर, लकड़ी की िचराई मशीन के िलये गढ्ढ़ा बनाना, इमारती लकड़ी को संपिरवितर्त (Convert) करना, काटना, जलाना, िछपाना (Concealing) या िविनयर (Vineer) बनाना या लकड़ी पर लगे िचह्नों को पिरवितर्त करना (Altering) या नये िचह्न लगाना (Effacing) या इमारती लकड़ी को िचिह्नत करने वाले हथौड़े (Making Hammer) का अपने आिधपत् य में रखना या साथ ले जाना, पूणर्रूप से या शतोर् के अधीन ूितिषद्ध कर सकेंगे।

(झ) इमारती लकड़ी के िलए संबंधी िचह्नों के ूयोग और ऐसे िचह्नों के रिजःशीकरण को िविनयिमत कर सकेंगे। उस समय को िविहत कर सकेगे, िजनके िलये रिजःशीकरण ूभावी रहेगा, एसे िचह्नों की उन संख् या को सीिमत कर सकेंगे, जो िकसी व् यिक्त द्वारा रिजःशीकृत कराये जा सकेंगे तथा ऐसे रिजःशीकरण के िलये फीसों के उदाहरण के िलए उपबन् ध कर सकेंगे।

(2) राज् य सरकार िनदेर्श दे सकेगी िक इस धारा के अधीन बनाया गया कोई िनयम इमारती लकड़ी या अन् य वन-उपज के िकसी िविनिदर्ं ट वगर् को या िकसी िविनिदर्ं ट ः थानीय क्षेऽ को लागू नहीं होंगे।

धारा 41-क. कःटम ून्टियर के पार इमारती लकड़ी के पिरवहन िवषयक केन्िीय सरकार की शिक्तयाँ - धारा 41 में िकसी बात के होते हुए भी केन्िीय सरकार उस मागर् को िविहत करने के िलए िनयम बना सकेगी,िजसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन्य-उपज ऐसे िकन्हीं कःटम ू िन्टयर के पार,जो केन्िीय सरकार द्वारा पिरिनिश्चत है, आयात, िनयार्त या राज्यक्षेऽों में िजन पर इस अिधनयम का िवःतार है या उनसे आयात-िनयार्त या ःथानान्तिरत पिरवहन जा सकेगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई िनयम,इस धारा के अधीन बनाए गए िनयमों के अधीन रहकर ही ूभावी होंगे।

अ॥ याय 8

बहती ॅई या अटकङॅई लकड़ी के संՍहण के स॓

ब३ ध मॽ

धारा 45 कितपय ॰कार कङ इमारती लकड़ी , जब तक ठक उसके बारे मॽ हक सािबत नहՑ होता, सरकार कङ

स॓ पिॐसमझी जावेगी और तदनुसार संՍिहत कङ जावेगी -

(1) बहती ॅई (Adrift),ठकनारे लगी (Bcached), अटकङॅई (Stranded), या डूबी ॅई (Sunk) सम̐ त लकड़ी -

सम̐ त का̤ ट (Wood) या इमारती लकड़ी , िजस पर ऐसे िच३ ह लगे ह. तो धारा 41 के अधीन बनाये

िनयम के अनुसार रिज̐ՀीकृŊत नहՑ है, या िजनके िच३ ह अि या अ३ य कारण से िमट गये,

बदल गये या िबगड गये ह., और

ऐसे ॑ऽे॒० मॽ जो रा३ य सरकार िविनंद्᳸ ट करॽ, सम̐ त िचि३हत (unmarked) का̤ ठ और इमारती

लकड़ी ।

जब तक कोई ᳞ यि इस अ॥ याय मॽ उपबि३धत ॿप से अपना अिधकार और हम िस नहՑ कर दे,

शासकङय संपिॐ समझी जावेगी।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी, ৪कसी वन अिधकारी या अ३ य ३ यि□ के ᳇ारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाये ৪कसी िनयम के अ३ तगᭅत संᮕहण करने का हकदार है, संᮕिहत क১ जावेगी और ऐसे िडप□ मᱶ लाई जा सकᱶगी िजसे वह अिधकारी बहती ᱟई लकड़ी क১ ᮧाि᳙ के िलये अिधसूिचत करᱶ।

(3) रा३ य सरकार, राजपᮢ मᱶ अिधसूचना के ᳇ारा, ৪कसी लकड़ी के ৪कसी वगᭅ को इस धारा के उपबंध□ से छूट दे सकेगी।

धारा 46. बहती ᱟई इमारती लकड़ी के दावेदार□ को सूचना - धारा 45 के अ३ तगᭅत संᮕिहत इमारती लकड़ी क১ समय-समय पर वन अिधकारी ᳇ारा सूचना जारी क১ जावेगी। सूचना मᱶ इमारती लकड़ी का िववरण अ३ तᳶवᭅ᳥ ट होगा तथा इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले ३ यि□ से अपेᭃा क১ जावेगी ৪क वह ऐसी सूचना क১ तारीख से दो माह से अ३ यून अविध मᱶ अपने दावे का िलिखत कथन ᮧ᭭ तुत करᱶ।

धारा 47. ऐसी इमारती लकड़ी पर ৪कये गये दावे के बारे मᱶ ᮧ৪ᮓया

(1) पूव□□ त अनुसार, दावे का कथन ᮧ᭭ तुत होने पर वन अिधकारी ऐसी जाँचकरने के प᳟ चात् िजसे वह ठीक समझता है, या तो दावे को र□ करने के कारण दशाᭅते ᱟए, दावे को र□ करेगा या दावेदार को इमारती लकड़ी का ᮧदान कर सकेगा।

(2) य৪द एक से अिधक ३ यि□य□᳇ारा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा ৪कया जाता है, वह वन अिधकारी ऐसे ३ यि□य□ को िसिवल ३ यायाल को िनद᳸शत करेगा, ३ यायालय से उसके िनराकरण(Disposal) स᭥ ब३ धी आदेश होने तक अपने क᭣ जे मᱶ रख सकेगा।

(3) िजस ৪कसी ३ यि□ का दावा इस धारा के अधीन खाᳯरज ৪कया जा चुका है, वह अपने ᳇ारा दावाकृत इमारती लकड़ी का क᭣ जा लेने के िलये खाᳯरजी के तीन माह के अ३ दर, वाद संि᭭थत कर सकेगा, ৪क३ तु कोई ३ यि□ऐसी खᳯरजी, या ৪कसी इमारती लकड़ी को रोककर रखे जाने, या हटाने, या इस धार के अधीन अ३ य ३ यि□को पᳯरदान के कारण कोई हजाᭅना (Compensation) या क১मत (Cost) सरकार से या वन-अिधकारी से वसूल नहᱭ कर सकेगा।

(4) जब तक ৪क ऐसी कोई इमारती लकड़ी पᳯरद० त नहᱭ क১ गई है या उसके स᭥ ब३ ध मᱶ बाद संि᭭थत नहᱭ৪कया गया है, तब तक ऐसी लकड़ी ৪कसी िसिवल ३ यायालय, ৪ᮓिमनल या राज᭭ व ३ यायालय के आदेश (Process) के अधीन नहᱭ होगी।

धारा 48. िजसका दावा नहᱭ৪कया, उस लकड़ी का ३ ययन (Disposal) - य৪द यथा-पूव□□ त ऐसे कोई दावा ᮧ᭭ तुत नहᱭ৪कया जाता, या दावेदार धारा 46 के अधीन िनकाली सूचना ᳇ारा िनयम कालाविध के अ३ दर दावा नहᱭ करता है या उसके ᳇ारा इस ᮧकार दावा ৪कये जाने पर उसका दावा खाᳯरज ৪कया गया हो या ऐसी इमारती लकड़ी का क᭣ जा

लेने के िलये धारा 47ारा िनयम अपील कालाविध के अ३ दर बाद संिथत करने का लोप करता है तो ऐसी इमारती लकड़ी का वािम० व सरकार म िनिहत होगा या धारा 47 के अधीन अ३ य यि को पदरद० त होने क िथित म ऐसे यि म ऐसी लकड़ी का वािम० व सब इ५ जाम(Encumbrances) से मु त होकर िनिहत होगा िज३ ह उसने सृ ट (Create) नहकया है।

धारा 49. ऐसी लकड़ी को ए नुकसान के िलये सरकार और उसके अिधकारी उ० तरदायी नह हगे - कसी हािन या नुकसान के िलये, जो धारा 45 के अधीन संहीत कसी लकड़ी को ई है, सरकार उ० तरदायी नह होगी और जब तक क कोई वन अिधकारी, ऐसी हािन या नुकसान उपेा, िवेष या कपट से नह करता, तक तक वह ऐसी हािन या नुकसान के िलये उ० तदायी नह होगा।

धारा 50. इमारती लकड़ी के पदरदान के पूव दावेदार ारा दी जाने वाली अदायगी - जब तक कोई यि, ऐसी रािश जो, धारा 51 के अधीन बने कसी िनयम के अधीन देय है, वन अिधकारी या अ३ य यि को, जो उसे ा त करने का हकदार है, चुका नह देता, तब तक वह उपरो त इमारती लकड़ी का हकदार नह है।

टपणी

धारा 50. वन अिधकारय ारा वन अपराध म ज त वाहन को दांिडक करण के लंिबत रहते उ५ लंघन करने वाले वाहन को अंतरम प से सुपुदगी म दने का आदेश पारत करने म संबंिधत मिजट सम है। (दलीप मीया िव. म.. रा३ य 2012 (1) म..लॉ.ज. 137 (म..)।

धारा 51. िनयम बनाने व शियाँ िविहत करने क शि

(1) रा३ य सरकार िन िनिलखत बात का िविनयम करने के िलये िनयम बना सकेगी : अथात्:

(क) धारा 45 म वणत सब इमारती लकड़ी का उरण (Salving), संहण (Collection) या यन (Disposal)।

(ख) इमारती लकड़ी के उरण और संहण के िलए यु त नाव का योग व रिजीकरण।

(ग) इमारती लकड़ी के उरण और संहण, थाना३ तरण, भ डारन काय के िलए रािश का भुगतान।

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी को िचि३हत करने के िलए योग म आने वाले हथौड़े और अ३ य उपकरण का योग एवं रिजीकरण।

(2) रा३ यशासन इस धारा के अधीन बने क३ ह िनयम के उ५ लंघन के प म शाितय के प म ऐसी अविध का कारावास जो 1 वष तक का हो सकेगा और अथ द ड जो 2प३ह हजार पये तक या दोन िविहत कर सकेगी।

1.

म.ञ्र. िवधान ᐃ. 1 वषᇑ2010ᅧᏄᅧारा संशोिधत।

2. म.ञ्र. िवधान ᐃ. 25 वषᇑ1983ᅧᏄᅧारा संशोिधत।म.ञ्र. राजप़ (असाधारण) ठदनांक 28.05.83 के पृ़ ठ ᐃ. 1635-45 पर ञ्रकािशत।

म.ञ्र. अिध. ᐃ. 2998/दस/3/83ठदनांक 24.10.83 के ᅧᏄᅧारा िवधान ᐃमांक 25 वषᇑ83ठदनांक 1.11.83 से ञ्रभावशील ᱟआ।

अ᭟याय 9

शि᳴तयाँ और

ञ्रठकया

₃धारा 52. अिधहरणीय (Confiscation) स᭥ पि᱊ का अिभᮕहण और उसके िलये ञ्रठᐃया - जब यह िव᳡ वास करने का कारण हो ठक ठकसी आरिᭃत वन और संरिᭃत वन या वन उपज के स᭥ ब᭠ ध म᭟ कोई अपराध ठकया गया है तो वन उपज और सम᭭ त औजार नाव, यान, र᭭ सी, जंजीर या अ᭠ य ठकसी व᭭ तु को, िजनका ञ्रयोग ऐसे अपराध को करने म᭟ठकया गया है, ठकसी वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी ᅧᏄᅧारा अिभᮕिहत ठकया जा सकेगा।

ᳯटᱡ पणी

धारा 52. वन अिधनियम स.प. धारा 30 अिधव ता अिधनियम 1961- स᭥ पि᱊ के समपहरण क᳇ कायᇑवािहयाँ - (क) वन अपराध म᭟ञ्रािधकृत अिधकारी के समᭃ समपहरण कायᇑवािहय (Confiscution Proceedings) म᭟ अिधव ता क᳇उपि᭭थित अनु᭄ेय नह᳭ है।

(ख) समपहरण कायᇑवाही म᭟ञ्रािधकृत अिधकारी ᅧᏄᅧारा सा᭯ य अिभिलखत करने हेतु कोई उपबंध िवᳰमान नह᳭ है। (कुलदीप शमाᇑ िव. म.ञ्र. रा᭔ य वग᳥, 2012 (2) म.ञ्र. लॉ.ज. 453 (म.ञ्र.)।

यान क᳇ ज᭣ ती कायᇑवाही आर᭥ भ करने के पूवᇑ एकमान पूवᇑवतᱮ शतᇑ यह है ठक उसके ᅧᏄᅧारा वन-अपराध घᳯटत ठकया जाना आव᭫ यक है। (म.ञ्र. रा᭔ य िव. से᭠ स एजे᭠ सीस 2005 (1) िविध भा᭭ वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 ठᐃ. लॉ. ज. 1832 = 2004 सु.को. के (ठᐃ.) 1313)।

(2) इस धारा के अधीन ठकसी स᭥ पि᱊ को ज᭣ त (Seize) करने वाला अिधकारी, ऐसी स᭥ पि᱊ पर यह उपदᳶशᇑत करने वाला िच᭠ ह लगावेगा ठक इसका इस ञ्रकार अिभᮕहण (Seizure) ठकया गया है और अिभᮕहीत स᭥ पि᱊ को यथाशीᮖ या तो सहायक वन-संरᭃक के पद से अिन᭥ न ᮰ेणी के ठकसी अिधकारी के, िजसे रा᭔ य सरकार ने अिधसूिचत ᅧᏄᅧारा इस िनिम᭜ त अिधकृत ठकया हो (जो इसम᭟ इसके प᳡ चात् "ञ्रािधकृत अिधकारी" (Authorised

Oficer) के नाम से िनंदष्ट है) के समक्ष पेश करेगा। जहाँ पिरणाम (Quanitity), प्रपुंज (Bulk) या अन्य वास्तिवक (Genuine) कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए यह साध्य न हो िक अभिगृहीत सम्पित्त को प्रािधकृत अधिकारी के समक्ष पेश िकया जावे, वहाँ वह अभिग्रहण (Seizure) के बाबत िरपोर्ट प्रािधकृत अधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के िवरुद्ध दािण्डक कार्यवाही (Criminal proceedings) तुरन्त आरम्भ करने का मत होतो वह ऐसे अभिग्रहण की िरपोर्ट, उस अपराध का िजसके कारण अभिग्रहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकािरता रखने वाले मिजस्ट्रेट को करेगा :

परन्तु जब वह वन-उपज, िजसके बारे मे ऐसे अपराध िकये जाने का िवश्वास है, सरकार की सम्पित्त है और अपराधी अज्ञात है तो यिद अधिकारी, पिरिस्थित के बारे मे िरपोर्ट अपने पदीय विरष्ठ (Official Superior) को यथाशक्य शीघ्र दे देता है तो पर्याप्त होगा।

(3) उपधारा (5) के अध्यधीन रहते हुए जहाँ प्रािधकृत अधिकारी, यथािस्थत अभिगृहीत सम्पित्त अपने समक्ष पेश िकये जाने पर या अभिग्रहण के बारे मे िरपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है िक उसके बारे मे कोई वन अपराध िकया गया है वह िलिखत आदेश द्वारा और अभिलिखत िकये जाने वाले कारणों, से उस वन उपज को जो इस प्रकार अभिगृहीत की गई है, समस्त औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों िकसी अन्य वस्तु सिहत िजनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के िलए िकया गया है अिधहृत (Confiscate) कर सकेगा। अिधहरण के आदेश की एक प्रित अिवलम्ब उस वन वृत्त संरक्षक को भेजी जायेगी िजसमे इमारती लकड़ी या वनोपज अभिगृहीत की गई है।

(4) धारा (3) के अधीन िकसी सम्पित्त को अिधहरण करने वाला आदेश तब तक नहीं िकया जायेगा जब तक िक प्रािधकृत अधिकारी -

(क) सम्पित्त के अिधहरण के िलये कार्यवाही िकये जाने के बारे मे सूचना, उस अपराध का, िजसके कारण अभिग्रहण िकया गया है, िवचारण करने की अधिकािरता रखने वाले मिजस्ट्रेट को िविहत प्रारूप मे नहीं देता।

3. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोिधत 27.3.2010 से प्रभावशील।

(ख) उस व्यिक्त को िजसकी सम्पित्त अभिगृहीत की गई है, या िकसी ऐसे अन्य व्यिक्त को िजसके बारे मे प्रािधकारी अधिकारी को यह प्रतीत होता हो िक उसका ऐसी सम्पित्त मे कोई िहत है, िलिखत सूचना नहीं दे देता है।

(ग) खण्ड (ख) मे िनंदष्ट व्यिक्तयों को अिधहरण के िवरुद्ध अभ्यावेदन, ऐसे समय के भीतर, जैसा िक सूचना मे िविनंदष्ट िकया जावे, करने का अवसर नहीं दे देता; और

(घ) अिधहरण करने वाले अिधकारी कऽ एवं तथा उस १ यि□ या उन १ यि□य□ कऽ िजसे या िज३ ह७ ख□ ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस ०ःयोजन के िलये िनयत कऽ गई तारीख को नह८ कर लेता।

(5) धारा (3) के अधीन ठक३ ह८ औजार□, यान□, नाव□, र☆ स□, जंजीर□, या अ३ य व☆ तु को अिध०त करने का आदेश नह८ठकया जावेगा, यठद उपधारा (4) के ख□ ड म७ िविनंद□ ट कोई १ यि□, "०ःािधकृत अिधकारी" के समाधान०ःद ४प म७ यह सािबत कर देता है ठक ठक३ ह८ ऐसे औजार□, यान□, नाव□, र☆ स□, जंजीर□ या अ३ य व☆ तु□ का ०ःयोग उसकऽ जानकारी या मौनानुकूलता के िबना या यथा ि☆थित उसके नौकर या अिभकता□(Agent) कऽ जानकारी या मौनानुकूलता ठक िबना ठकया गया था और यह ठक वन अपराध ठकये जाने के िलये पूव□□ त व☆ तु□ के ०ःयोग को रोकने के िलए सम☆ त स□ यक् (Reasonable) और आव☆ यक पूवा□वधािनयाँ (Precautions) बरती गई थी।

ि८ट□ पणी

वन अपराध म७०ःयु□ त वाहन को समप□रण का आदेश पा६रत करने के पूव□ यह □ यान म७ रखा जाना चािहए ठक □ या यह ०ःमािणत होती है ठक उस अपराध म७०ःयु□ त वाहन को उसके ☆ वामी कऽ जानकारी म७०ःयु□ त ठकया गया था। ऐसे िन□ कष□ के अभाव म७ यान के समप□रण का ओदश िवखंिडत ठकया गया। (०ःकाश राय िव. म.०ः. रा३ य 2006(4) मिनसा 145 म.०ः. = एवं देवकऽ नंदन शमा□ िव. ०ःािधकृत अिधकारी एवं अपर वन मंडलािधकारी वग□. 2011 (3) म.०ः. वी. नो. 132 (म.०ः.)।

िवचारण ३ यायालय □□ारा सभी आरोिपय□ को वन-अपराध□ म७ दोषमु□ त ठकया गया था तब उस अपराध म७०ःयु□ त वाहन के समप□रण का आदेश ि☆थर रखे जाने यो□ य नह८ था अत: उसे िवखंिडत ठकया गया। (केशव ०ःसाद गु□ ता िव. म.०ः.

रा३ य वगै. 2013 (2) म.०ः. लॉ.ज. 149 (म.०ः.)।

वन-अपराध म७०ःयु□ त मशीन एवं ड□ पर□ को ठेकेदार ने ठकराये पर लेकर उसको जानकारी ठदए िबना उसका किथत वन-अपराध म७०ःयोग ठकया था। ॅकंतु अपीलाथ८ को बार-बार अवसर ठदए जाने के बावजूद उसने मूल प६रवहन करार ३ यायालय के सम□०ः☆ तुत नह८ठकया था अत: उसके अिभवाक को िनर☆ त करने के ओदश कऽ पुि□ कऽ गई। (रामे३□पाल ×संह िव. म.०ः.

रा३ य वगै. 2013 (2) म.०ः.लॉ.ज. 226 (खंडपीठ म.०ः.)।

इ३ दौर से कार मािलक ने उसके मामा को कार से भोपाल प□ँचाने हेतु कार चालक को भेजा था। भोपाल से इ३ दौर वािपसी या□ा म७ कार चालक ने कुछ १ यि□य□ को या□ा करने दी, जो अवैध ४प से चंदन कऽ लकड़ी ले जा रहे थे।

इस तः य का कार मािलक को ाान नहĩ था। चूँ8क ज७ त कार का उपयोग कार पĕरवहन 8कया गया था अत: कार के समपĺरण आदेश को िवखि@डत 8कया गया। (देवकई नंदन िव. ाािधकृत अिधकारी 2012 (2) म.ा.लॉ.ज. 45 म.ा.)।

1(6) अिभगृहीत स᭥ पि᭜, ाािधकृत अिधकारी के आदेश कई अपील ाािधकारी ᳇ारा पुि᳥ होने तक या उसके ᳇ारा व ᮧेरणा से कारᭅवाई ᮧार᭥भ करने कई कालाविध कई समाि᳙ तक, इसमᱶ से जो भी पूवᭅतर हो, धारा 52-क के अधीन यथािवहीत अिभर᭯ा मᱶ बनी रहेगी।

1(7) जहाँ मामले कई अिधकाĕरता रखने वाला ाािधकृत अिधकारी, अिभᮕहण मᱶ या अ᭠वेषण मᱶ ᭭वयं अ᭠तवᭅिलत है, वहाँ अगला उᲬ च ाािधकारी इस धारा के अधीन कायᭅवािहयᲂ के संचालन के िलए उसी ᮰ेणी के 8कसी अ᭠य अिधकारी को मामला अ᭠तĕरत कर सकेगा।"

2(नवीन धारा 52 क, ख, ग, का अ᭠त:᭭थापन) - मूल अिनअिधिनयम मᱶ धारा 52 के प᳟ात् िन᭥निलिखत धाराये अ᭠त:᭭थािपत कई जावᱶ अथाᭅत् :

---

1. म.ा. अिध. ᮓ. 7 वषᭅ 2010 ᳇ारा जोड़ा गया।

2. म.ा. अिध. ᮓ. 25 वषᭅ 1983 ᳇ारा धारा 52, क, ख, ग का अ᭠त᭭थापन।

धारा 52-क. ािधकृत अिधकारी के आदेश के िवᱧ अपील -1ाािधकृतअिधकारी के आदेश से ᳞िथत कोई ᳞िᲦ, आदेश 8कये जाने कई तारीख से तीस 8दन के भीतर या य8द ऐसे आदेश स᭥ब᭠धी तः य (Fact) कई संसूचना उसे नहĩ दी गई हो, ऐसे आदेश कई जानकारी होने कई तारीख से तीस 8दन के भीतर उस वन वृ᭜त के वन संर᭯क को (िजसमᱶ वन उपज अिभᮕहीत कईगई हो) (िजसे इसमᱶ इसके प᳟ात् "अपीलीय अिधकारी" के नाम से िनᳰदᭅ᳥ट है) को िलिखत मᱶ अपील, ऐसे फामᭅ मᱶ तथा ऐसी फईस के साथ जो िविहत कई गई है, कर सकेगा और उसके साथ अिधहरण (Confiscation)आदेश कईामािणत ाित संल᭄ न कईजावेगी।

᭭प᳥टीकरण

(1) इस उपधारा मᱶ तीस 8दन कई कालाविध कई गणना करने मᱶ वह समय अपवᳶजᭅत (Excluded) कर 8दया जायेगा जो आदेश कईाित ाा᭡त करने के िलये अपेि᭯त रहा हो।

(2) उपरोᲦ त धारा 1 मᱶ वᳶणᭅत "अपीलीय अिधकारी" जब कोई अपील ᮧ᭭तुत न हो, तब ाािधकृत अिधकारी के आदेश के आदेश ाा᭡त 8कये जाने कई तारीख से 308दन के अ᭠दर '᭭व ᮧेरणा' (Suo-moto) से कायᭅवाही कर सकेगा और उसकई सूचना, अिभᮕहण करने वाले अिधकारी को, तथा ऐसे

ϐकसी अ३ य ॣ यि□ को, िजसका ϐक अपीलीय अधिकारी कϩ राय मЂ, अिभहरण के आदेश से ꣓भािवत होना संभाॣ य है, दे सकेगा या अपील के ꣒ापन ꣓ा꣔ त होने कϩ दशा मЂ वह अपील कϩ सूचना उन ॣ यि□य□ को देगा और मामले के अिभलेख मंगा सकेगा:

पर३ तु अपील कϩ औपचाϋरक सूचना, यथापूव꣗□ त अपीलाथЃ, अिभ꣙हण करने वाले अधिकारी, और ꣓ितकूलत: ꣓भािवत होने वाले ϐक३ हЅॣ यि□य□ मЂ से उनको ϐदया जाना आवꣃ यक नहЇ होगा जो सूचना का अिध० यजन (Waive) कर दЂ या िज३ हЂ अपील सुनवाई कϩ तारीख 'अपीलीय अधिकारी' ꣚꣛ारा अ३ य रीित से सूिचत कर दी जावे।

(3) अपील ꣓ािधकारी, अपील कϩꣃ व꣓ेरणा से कϩ जाने वाली कायꣂवाही के बारे मЂ꣓ािधकृत अधिकारी को सूचना िलिखत मЂ देगा।

(4) अपील ꣓ािधकारी, अिधहरण, कϩ गई िवषय-वꣃ तु कϩ अिभरꣃ꣔ा (Custody), पϋरर꣔ण (Practitioner) या ॣ ययन (Dsiposal) (यϐद आवꣃ यक हो) के िलए अ३ तϋरम आदेश कर सकेगा जैसे ϐक उस मामले मЂ पϋरिꣃथित मЂ३ याय संगत और उिचत होते ह□।

(5) 'अपील अधिकारी' मामले कϩ꣓कृित या अ३ तगꣂत जϋटलता□ को ꣖ यान मЂ रखते ꣙ए अपील के प꣔कार□ को, उनका ꣓ितिनिध० व उनके अपने-अपने िविध ॣ यवसाियय□(Legal Practitioner)꣚꣛ारा ϐकये जाने अनु꣒ा दे सकेगा।

(6) अपील कϩ या 'ꣃ व꣓ेरणा' से कϩ जाने वाली कायꣂवाही कϩ सुनवाई के िलये िनयत कϩ गई तारीख को या ऐसी तारीख को जो सुनवाई ꣃ थिगत कϩ जाने के पꣃ चात् िनि꣎त कϩ गई हो, अपील अधिकारी, अिभलेख का पϋरशीलन करेगा, और यϐद अपील के प꣔कार ꣃ वयं उपिꣃथत ह□ तो उनकϩ सुनवाई करेगा या स꣄ यक् ꣘प से ꣓ािधकृत अधिकारी के आदेश कϩ पुि꣏ करने, उसे उलटने (Revesal) या उसे उपा३ तϋरत (Modify) करने का आदेश पाϋरत करने कϩ कायꣂवाही करेगा :

पर३ तु यϐद कोई अ३ तϋरम आदेश पाϋरत करने के पूवꣂ, अलील ꣓ािधकारी, अपील या ꣃ व꣓ेरणा से कϩ गई कायꣂवाही के उिचत िनणꣂय के िलये आवꣃ यक समझता है तो अितϋर□ त जाँच या तो ꣃ वयं करेगा या ꣓ािधकृत अधिकारी से करावेगा, और ϐकसी ऐसे त꣐ य का, जो िवचाराथꣂ हो, ꣓ा□ यान या ख꣙ डन करने के िलये, प꣔कार□, को शपथ प꣕ फाइल करने को अनु꣒ात कर सकेगा और त꣐ य□ का ꣓माण शपथ (Affidavits) ꣚꣛ारा ϐदये जाने कϩ अनु꣒ा दे सकेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी पाइरणामिक ँवरूप (Consequential nature) के ऐसे ओदश पाइरत कर सकेगा जैसे वह आवँयक समझे।

(8) अिउतम आदेश, या पाइरणामिक ँवरूप आदेश कइ ्रित अनुपालन के अथवा अपील अिधकारी के आदेश के अनुकूल अउ य समुिचत आदेश पाइरत करने के िलए "्रािधकृत अिधकारी" को भेजी जावेगी।

1. म.्र. अिध. ॖ. 7 वषᄃ2010 ᄃारा जोड़ा गया।

धारा 52. ख. अपील अिधकारी के आदेश के िवरु सेशन उयायालय के समᄃ पुनरीᄃण 52-ख-

(1) अपील का कोई भी पᄃकार, जो अपील अिधकारी ᄃारा पाइरत ठकये गये अिउतम आदेश से या पाइरणामिक वरूप आदेश से ᄃयिथत हो, उस आदेश के, िजसके िवरु आᄃेप ठकया जाना ईᄃसत है, तीस ठदन के भीतर, सेशन उयायालय को पुनरीᄃण के िलये यािचका ्रँतुत कर सकेगा िजसके सेशन खᄃड के भीतर अिधकारी का मुᄃयालय िँथत हो।

पᄃटीकरण - इस उपधारा के अधीन तीस ठदन कइकालाविध कइ संगणना करने मᄃ, वह समय अपवᄃजᄃत ठकया जावेगा जो अपील अिधकारी के आदेश कइ्रमािणत ्रित अिभ्राᄃ त करने के िलये अपेिᄃत रहा हो।

(2) सेशन उयायालय, अपील अिधकारी ᄃारा पाइरत ठकये आदेश कइ पुिᄃकर सकेगा, या उसे उपट सकेगा या उसे उपाउतइरत कर सकेगा।

(3) पुनरीᄃण मᄃ पाइरत ठकये गये आदेश कइ ्रितयाँ अपील अिधकारी तथा ्रािधकृत अिधकारी को अनुपालन हेतु, या ऐसे अितइरᄃ त ओदश पाइरत करने हेतु या ऐसी अितइरᄃ त कायᄃवाही करने हेतु भेजी जावेगी जैसी कइउयायालय ᄃारा िनदᄃिशत कइ जावे।

(4) इस धारा के अधीन ठकसी पुनरीᄃण को ᄃहण करने, उसकइ सुनवाई करने और उसका िविनित करने के िलये, सेशन उयायालय, यथाशᄃ य उउ हᄃ शिᄃयᄃ का ्रयोग करेगा और ्रठᄃया का अनुसरण करेगा िजसका ठक ्रयोग और अनुसरण वह दᄃड ्रठᄃया संिहता (Criminal Procedure Code 1973) (1974 का 2) के अधीन ठकसी पुनरीᄃण का ᄃहण करने, उसकइ सुनवाई करने और उसका िविनँचय करने के समय करता है।

(5) दᄃड ्रठᄃया संिहता, 1973 (1974 का 2) मᄃ अउतᄃवᄃᄃट ठकसी त्रितकूल बात के होते ᄃए भी, इस धारा के अधीन पाइरत ठकया गया सेशन उयायालय का ओदश अिउतम होगा और उसे ठकसी उयायालय के समᄃ्रँनगत नहᄃठकया जायेगा।

ि टप्पणी

वन अपराध म ज त संपि वाहन के समपरण का आदेश को अपीलीय ािधकारी/वन संरक ारा िवखंिडत कर करण को पुन: आदेश पािरत करने हेतु ितेिषत कया गया था। ऐसा आदेश अंितम आदेश है अत: अपीलीय ािधकारी के आदेश के िव िनगरानी सेशन यायालय म पोषणीय है। (म.. रा य िव. भानुताप संह 2009 (1) म.. हा. टु. 33)।

िनगरानी यायालय (सेशन यायालय) ारा वाहन को सुपुदगी म देने के आदेश के िव समादेश यािचका अचलनीय है। (धरमच िव. पंजाब रा य 2009) (1) म.. हा. टु. 38)।

धारा 52. ग. कितपय पिरिथितय म यायाल क अिधकािरता का वजन -उस अपराध का, िजसके कारण उस स पि का अिभहण (Seizure)कया गया है जो क अिधहरण क िवषय-व तु है, िवचारण करने क अिधकािरता रखने वाले मिजट को, स पि के अिभगहण के िलये कायवािहयाँ शु क जाने के बारे म धारा 52 क उपधारा (4) के अधीन सूचना के ा त हो जाने पर, कसी यायालय, अिधकरण, या ािधकारी (जो धारा 52, 52-क, 52ख म िनंद ट ािधकृत अिधकारी, अपील अिधकारी या सेशन यायालय से िभ न हो) को इस अिधिनयम म या त समय वृ त कसी अ य िविध म अ तव ट कसी तितकूल बात होते ए भी, उस स पि के क जे, पिरदान, ययन या िवतरण के िवषय म कोई आदेश करने क अिधकािरता नह होगी िजसके बारे म धारा 52 म अिधहरण क कायवािहयाँ शु हो गई ह.।

प टीकरण - यहां त समय वृ त कसी िविध के अधीन, वन अपराध क िवचाउरण करने क अिधकािरता दो या अिधक यायालय को हो, वहां ऐसी अिधकािरता रखने वाले मिजट के यायालय म से कसी एक को धारा 52(4) के अधीन सूचना ा त होने का यह अथ लगाया जावेगा क उस उपब ध के अधीन सूचना सम त यायाल को ापत हो गई है और अिधकािरता का योग करने का वजन सम त यायालय पर वतत होगा।

(2) उपधारा (1) म क गई कोई बात धारा (61) के अधीन यावृत (Saved) शि को भािवत नह करेगी।

ि टप्पणी

वन अिधिनयम के उपबंध के अंतगत वन अपराध म यु त ाली को वन अिधकारी ारा अिभहीत कया गया था। धारा 52 के अधीन त संबंध म वन अिधकारी ारा थानीय मिजट को ेिषत सूचना ाि उपरांत ज त शुदा ाली को मिजट के िलए सुपुदगी म दोन का अिधकार नह है। (राम िनवास िव. गेम रज च बल सचुरी, भंड 2012 (2) म.लॉ.ज.

661 (म.ः.)।

ध्टा पणी - (1)ो कƒ हैयालाल पुु जानकƒलाल ँाख्ण िनवासी सेƒ धवा का ̧क ̧. MHB 5995ठदनांक 24.2.85 को जा त ॐआ। इस जा ती कƒ सूचना धारा 52(4) क अƒ तगर्त सेƒ धवा िंथत मिजं ̧ेट को दी गई। ो कƒ हैयालाल ने धारा 451द.ः.सं. के तहत ̧क को सुपुदर्नामे पर देने हेतु ƒ यायालय सेƒ धवा मƒ आवेदन ठदया जो ःकरण ̧. 63/85 दजर्ॐआ। यह आवेदन ƒ यायाधीश महोदय के आदेश ठदनांक 2.5.85ारा खध्रज ॐआ।

इस आदेश के िवƒ उƒ हने उ च ƒ यायालय, बेƒ च इƒ दौर मƒध्रवीजन िपटीशन दजर्ठकया जो ःकरण ̧. Cr. R/105/85 दजर्ॐआ। इस ध्रवीजन िपटीशन मƒ धारा 451 C-PC के अƒ तगर्त ̧क को सुपुदर्ामे पर देने के अितध्र त यह भी िनवेदन ठकया ठक ̧क मƒ सागौन इमारती लकड़ी थी जो म.ः. वनोपज ƒ यापार (िविनमयन) अिधिनयम, 1669 से िनयिƒुत है तथा वह इस िनयम मƒ घोिषत specified forest produce पर उसकƒ धारा 22 के अनुसार भारतीय वन अिधिनयम, 1927 या अƒ य िनयम लागू नहƒ होते।

उ च ƒ यायालय ने अने फैसले ठद. 11.4.86 मƒ िनणर्य ठदया ठक यिप सागौन इमारती लकड़ी िविनशर् ट वनोपज है, लेठकन केवल उस सƒ बƒ ध मƒ ही अƒ य िनयम नहƒ लगते िजनका ःावधान म.ः. वनोपज ƒ यापार (िविनयमन) अिधिनयम 1969 मƒहै तथा धारा 52(ग) इस पर लागू होता और ध्रवीजन िपटीशन खाध्रज ॐआ।

वन अपराध ःकरण मƒ राजसात ठकये गये वाहन के शासकƒय उपयोग/िव̧य के िलये ःठ̧या :

मƒ यःदेश शासन, वन िवभाग, भोपाल के पु̧. 239/4573/10/2/91ठदनांक 10 जनवरी 1992 के ारा वन अिधिनयम के अƒ तगर्त राजसात ॐए वाहन के शासकƒय उपयोग मƒ लेने, अथवा िव̧य करने हेतु िनƒ न ःठ̧या िनधार्ध्रत कƒ है, तथा :

भ. व. अ. 1927, म. ः. वनोपज (ƒ यापार-िविनयमन) अिधिनयम 1969, म. ः. तेƒ दू पƒ ता (ƒ यापार िविनयमन) अिधिनयम 1964 एवं म.ः. वनोपज अिभवहन (गमन) िनयम 1961 के अƒ तगर्त अवैध वनोपज के पध्रवहन मƒ िला त वाहन राजसात करने के अिधकार वन अिधकाध्रय को ठदये गये ह., इन ःावधान के अƒ तगर्त जो भी वाहन राजसात ठकये जाते ह. उनके शासकƒय उपयोग अथवा िनवतर्न के सƒ बƒ ध मƒ राƒ य शासन ारा िनƒ नानुसार ःठ̧या िनधार्ध्रत कƒ जाती है :

राजसात शुदा वाहन जैसे कार, ̧क आठद, यठद िवभागीय कायर् के उपयु त ह तो सƒ बिƒधत वन मƒ डलािधकारी वाहन के समƒ त िववरण उपलƒ ध कराते ॐए उ त वाहन के शासकƒय उपयोग मƒ लाने के िलए, शासन से अनुमित हेतु, ःƒ ताव मु.व.सं. (संरƒण) मु.व.सं. (उƒ पादन) के माƒ यम से ःƒ तुत करƒगे। िजन वाहन को शासकƒय उपयोग मƒ लाया जाता है उसके सƒ बƒ ध मƒ वाहन का िनमार्ण वषर्, उ त वाहन के ारा आज तक

तय कइ दूरी, वाहन कइ वतμमान िथित आठद के स ब ध मऺ मोटर वाहन िनरीक (Motor Vehicle Inspector) या अ य ठकसी ािधकृत अिधकारी का माण प करण के साथ शासन को तुत ठकया जावेगा।

(2) यठद राजसात ॠआ वाहन शासकइय उपयोग हेतु अनुपयु त पाया जाता है तो उसका िनवतμन; िन नानुसार ठकया जावेगा :

(क) येक वन वृ त से राजसात शुदा वाहन के अवरोध मू य िनधाμरत करने हेतु िन नानुसार सिमित का गठन ठकया जावेगा :

(अ) स बि धत वन वृ त के वन संरक .... अ यक्ष,

(ब) िजस वर म डल के अ तगμत वाहन

राजसात ठकये गये है उनको छोड़कर

अ य ठकसी दो वन म डल के वन

म डलािधकारी .... सद य

(स) वन म डलािधकारी, िजसके े

के वाहन राजसात ठकये गये ह. ....सद य सिचव

(द) लोक िनमाμण िवभाग (ई. ए ड एम)

या संचाई िवभाग (E & M) के ितिनिध .... सद य

(कम से कम कायμपालन य ी तर के ह)

उपरो त सिमित, वाहन का अवरोध मू य िनधाμरण करने मऺ अ य मु के साथ साथ वाहन का िनमाμण वषμ, वाहन का मूल मू य, वतμमान मऺ नये वाहन के मू य एवं वाहन कइ वतμमान िथित का भी यान रखेगी।

(ख) वन म डलािधकारी (िजसके े मऺ वाहन राजसात ठकया गया है) ारा आव यक सार चार उपरा त सील ब द िनिवदा के मा यम से िनिवदा बुलवाई जावेगी।

(ग) अवरोध मू य से अिधक ऑफर ा त होने पर िव य कइ वीकृत देने हेतु वन म डलािधकारी ही सम हगे। यठद दो बार िनिवदा के यास होने के प चात् भी अवरोध मू य से कम रािश कइ िनिवदा ा त हो तो 10% तक कम रािश कइ वीकृित देने हेतु वन संरक सम हगे। यठद 10% से कम मू य कइ िनिवदा ा त हो तो िव य मु य वन संरक (संरण) ारा वीकृत ठकया जावेगा।

(घ) िनिवदा पूरी करने के ठया, क के राजसात के आदेश पाठरत होने के ठदनांक से, चार माह के अ दर पूरी कइजावेगी।

उप सिचव

म.ः. शासन

शासन कड अिधसूचना

(1) म. ः. शासन वन िवभाग कड अिधसूचना ᠘. 2998/दस/3/83ᠶदनांक 24-10-83 से धारा 52 संशोिधत के अ३ तगᇔत रा३ य शासन ने सहायक वन संर᠐ क को 'ःािधकृत अिधकारी' िनयु त ᠶकया है।

(2) म.ः. शासन वन िवभाग कड अिधसूचना ᠘. 1808/दस/3/83ᠶदनांक 11-5-84 जो राजप ᠶद. 11-5-84 के पृ ठ 1523 पर ःकािशत ᡠई के अ३ तगᇔत रा३ य शासन ने उप वन संर᠐ क तथा िवशेष कतᇔ᠒ य अिधकारी को धारा 52 (संशोिधत) के अ३ तगᇔत 'ःािधकृत अिधकारी' िनयु त ᠶकया है।

(3) धारा 52 मᱶ52A. 52B तथा 52C म᭟ यःदेश रा३ य संशोधन अिधिनयम ᠘. 25/1983᳇ारा जोड़ी गई और 1नव᭥ बर 1983 से ःभावी कड गई।

३ यायालय के िनणᇔय के उ रण

(1) वन अिधकारी कड अिभᮕहण और िगर᭢तारी कड धारा 52 के अ३ दर शि उस दशा मᱶ कायᇔवाही कड जाने के िलए ःािधकृत करती है जब वन अिधकारी को यह िव᳡ वास करने का कारण हो ᠶक वन स᭥ ब३ धी अपराध ᠶकया गया है। यह ᭟ यान देने यो य है ᠶक ःािधकारी न केवल वन उपज िजसके स᭥ ब३ ध मᱶ अपराध ᠶकया गया है उसको अिभᮕहीत (Seize) करने शि रखता है बि᭨क उन औजार(Tools), नाव(boats) गािडय(Carts) या पशु जानवर को भी जो अपराध करने मᱶःयोग मᱶ लाये गये ह. - उ३ हᱶ भी अिभᮕहीत कर सकता है। वन-अिधकारी को ऐसे ᭃ यि को िबना वार᭠ट िगर᭢तार करने कड भी शि है िजसके िव᳇ यह युि यु त स३ देह (reasonable suspicion) मौजूद है ᠶक उसका ऐसे वन-अपराध से स᭥ ब३ ध है ᠶक िजसकड सजा एक माह के कारावास तक हो सकती है यह धारा 64 मᱶ उपबंिधत ᠶकया गया है - अयो᭟ याःसाद िव. ᭭ टेट म. ः. - 1978 (1) म.ः.वी.

नोट 491 (िज᭭टस जी.पी. ×संह (Oी गुᱧःस३ न ×संह - म. ः. हाईकोटᇔ)

(2) धारा 52 - लास 121 फारे᭭ ट मै३ युअल हा᭨ यूम 1 - इमारती लकड़ी का अिभᮕहण-ःािधकारी पर ःमाण भार है ᠶक वह िस करे ᠶक अवैध साधन᳇ारा ᭃ यि इमारती लकड़ी के क᭣ जेदार बने ह. - यᠶद यह त᭝ य िस नहᱭ होता है तो इमारती लकड़ी छोड़ने के यो य होगी - (िज᭭टस गोलवलकर-िमस. िपटीशन नं. 38/1958 िनणᱮत ᠶदनांक - 18.11.1959 (म᭟ यःदेश हाईकोटᇔ) ;

(3) अिधहरण करने का आदेश (order of confiscation) ठीक िनर᭭ त ᠶकया गया - सेश३ स जज ने ᳯर᭭ हीजनल को दो आधार पर मंजूर कड िजसे हाईकोटᇔ म.ः. के िज᭭टस ᭃ ही.डी. यानी ने उिचत ठहराया। सेश३ स जज का

िनणय का पहला आधार यह था ठक क३ सरवेटर फारे ट-अपीलीय अिधकारी ने यांि◌क तौर पर मि त् क का ◌ःयोग ठकये िबना आदेश पाहरत ठकया और इस तः य कऽ अनदेखी कऽठक या खदान संरि◌त वन मऌ थी ? हर१ हीजनल कोट सेश३ स जज इस िन् कष पर पः◌ँचे ठक सवछ न ़ बर 121/1 रकवा 8.25 है टेयर का प ा हर पोडे३ ट को ठदया गया था और यह सामी◌ी हरकाड पर उपल ध नहछ है िजससे यह दशात हो सके ठक यह भूिम संरि◌त वन मऌ शािमल कऽ गई थी जो न शा पेश ःआ है उससे यह दशत नहछ होता ठक सवछ न ़ बर 267का कोई क ़ पाटमे३ ट (भाग) था जो संरि◌त वन मऌ समािव् ट है। इस आधार पर सेशन जज का फैसला उिचत है - (िडिवजनल फारे ट आफऽसर िव. गोरधन लाल - 1986 (II) म. ◌ः. वी. नोट 182 जाि टस १ ही. डी. यानी म. ◌ः. हाईकोट)

(4) धारा 52 (2) के अधीन हरपोट - अिभहीत स ़ पिः के स ़ ब३ ध मऌ अिभहण करने वाला अिधकारी ◌ःािधकृत अिधकारी यथाशी ही अिभहण के बारे मऌहरपोट करेगा। यठद दाि डक कायवाही तुर३ त आर ़ भ करने का मत हो तो िवचारण कऽ अिधकाहरता रखने वाले मिज टे्ट को ऐसे अिभहण कऽहरपोट कऽ जायेगी। अिभहण करने के समय तथा हरपोट करने के समय के बीच अ३ तर थोड़ा रहना चािहये ह त या महीने नहछ बीतना चािहये - (कमलेश कुमार हरवंश लाल छावड़ा िव. टेट म.

◌ः.- 1985 म.◌ः.ला.ज. 72 = ए.आयआर. 1985 म.◌ः् 130 िज टस मुले तथा िज टस यानी);

(5) म य◌ःदेश सरकार ारा धारा 52 तथा 55 मऌठकया गया संशोधन पूवगामी (भूतल ◌ी) (Retrospective) नहछ है अथात् संशोधन ठदनांक से पूव◌ःभावी नहछ है। संशोिधत धारा 52(3) मऌ धारा 52(बी) के अधीन क३ सरवेटर फारे ट के आदेश के िव सेश३ स कोट मऌ िनगरानी (पुनरी◌ण-Revision) का ◌ःावधान है। धारा 52-सी के अधीन कोट कऽ अिधकाहरता पर उस दशा मऌ रोक लगाई गई है जब वन अपराध काहरत करने मऌ◌ःयोग मऌ लाये गये वनोपज या वाहन के बारे मऌ िडवीजनल फारे ट आफऽसर ने कोट को यह इिःला कर दी हो ठक उनके अिधहरण (Confiscation) कऽ कायवाही ◌ःार ़ भ कऽ गई है - धारा 55 (संशोिधत) के अधीन मिज टे्ट ारा अिधहरण का आदेश धारा 52(2) लगायत 52 सी के अ यधीन (Subject to) रहेगा और धारा 54 के अधीन स ़ पिः के १ ययन (disposal) का आदेश मिज टे्ट ारा ठदया जाना तभी स ़ भव है जब अिधहरण कऽकायवाही कऽ जाने कऽ कोई इिःला वन म डलािधकारी कऽ ओर से कोट को नहछ िमली हो - (अहमद जी िव. टेट म. ◌ः. - 1985 JIJ 482 = 1985 म.◌ः.ला.ज. 243 = AIR 1986 म.◌ः. 1-िज टस सी.पी. सेन तथा िज टस अव थी - (म.◌ः. हाईकोट)

(6) धारा 52 म. ◌ः. हाईकोट के कूट परी◌ण का अवसर देने के िलए मामला लौटाया - े टर तथा ◌ाली के अिधहरण (Confiscation) का आदेश ःआ। हरझव फारे ट मऌ एक े टर तथा ◌ाली को चैक ठकया गया और 290 ताजे बाँस और 9 ताजी बि लयाँ उनमऌ लदान कऽ गई पाई गई। े टर को धरमदास चमकार ारा चलाया जा रहा

था। Ġै□ टर के साथ ০िमकगण थे िज३ ह□ने बताया ठक ये वनोपज ĕरझव৯ফारे॑ ट से काटी गई है। नॉन ए১ लीकै७ ट के कहने पर संगवही के आरि॑ित जंगल से काट कर सेमरा गांव ले जाई जा रही थी। ন्ायवर के पास Ġ्ा◌ं्िजट पास नह७ था, इसिलये वनोपज को अिभ৮हीत ठकया गया हैर केस रिज॑ टर ৩आ। ন्ायवर शो काज नोĕटस पर जवाब आया ठक Ġै□ टर Ġ्ाली च३ं्का३ त उफ৯ रामवल का है िजसे उसने ही ×संघरोड़ी रोड के िलए पानी लाने के िलए लगाया गया था। धरमदास इस Ġै□ टर का □ लीनर होना जवाब म७ बताया गया। 1 अ्ै्ल 1984को काम समा১ त होने पर Ġक धरमदास क§ देख रेख म७ छोड़ा गया था। जवाब के अनुसार ये बांस िन॑ तार के िलए सगुना, फददू िगरधारी, स८ पत, श८ भू, दारोनी, धरमदास □ लीनर क§ परमीशन पर ले जा रहे थे। उ३ ह□ने बांस तथा बि५लयां अपनी होने या उनके कहने पर काटे जाने के त: य से इ३ कार ठकया। यह जवाब नामंजूर ठकया गया और अपराध धारा 52 सह पĕठत धारा 5 तथा 12 वन उपज ३ यापार िविनयमन अिधनयम 1969 के अधीन ठकया जाना पाया गया। Ġै□ टर Ġ्ाली के अिधहरण (Confiscation)का आदेश ठदया गया। क३ सरवेटर फारे॑ ट शहडोल (म৸ य्देश) के यहाँ अपील क§ गई जो 16.08.1984 को खाĕरज ৩ई। अितĕर□ त सेश३ स कोट৯ के यहाँ ĕर३ हीजन क§ यािचका ्॑ तुत क§ गई। िजसम७ यह िविन त ठकया गया ठक अिभयोजन ने यह सािबत नह७ठकया ठक िजस जगह से अिभ৮हण (Seizure)ठकया गया वह जगह आरि॑ित वन थी। मौिखक सा॑ य इस बारे म७काफ§ नह७ है तथा अिभयु□ तजन को वन अिधकाĕरय□ ने जो गवाहान के कथन िलये उन पर कूट परी॑ण (Cross examination)का अवसर नह७ठदया गया जो कानून के िवपरीत है उ३ ह□ने िवचारण तथा अपील कोट৯ के िनण৯य□ को र□ठकया और Ġै□ टर/Ġ्ाली लौटाये जाने का आदेश ठदया गया। म৸ य ्देश हाईकोट৯ म७॑ टेट म. ्. क§ ओर से मामला प৩ंचने पर िज॑टस गुलाब सी. गु১ ता ने मानपुर D.F.O. को मामला लौटाते ৩ए अिभयु□ त जन को गवाहान पर कूट परी॑ण करने का अवसर देने के प॑ चात् कानून के अनुसार िनण৯य देने के िनद৶श के साथ आदेश पाĕरत ठकया। (॑ टेट म. ्. िव. हीरालाल पटेल - 1993 FLT (समरी) 15 म. ्.

हाईकोट৯, (िज॑टस गुलाब सी. गु১ ता (म.्.)।

(7) धारा 52, 52A तथा 52B के अधीन अिधहरण का आदेश - दुखी ३ यि□ अ॑ थायी ३ यादेश (Temporary Injunction) के िलए ्ाथ৯ना कर सकती है।

अ॑ थायी ३ यादेश के िलए मामले क§ सुनवाई करते समय ३ यायालय को गुणागुण (on meritis) पर मामले को नह७िवचार म७ लेना चािहये। अ॑ थायी ३ यादेश क§ काय৯वाही पूरक काय৯वाही (Supplemental proceedings) होती है िजसम७ मूल मामले को ्ेस नह७ठकया जाता है। िसिवल ्ठĠया संिहता क§ धारा 94 (सी.पी.सी.) पूरक काय৯वाही के िवषय म७॑ प্ ट है धारा 94□ लाज सी म७३ यायालय क§ शि□ अ॑ थायी ३ यादेश क§ मंजूरी के बारे म७ है। ३ यायालय िजसके सम॑ अिधकाĕरता का ्॑ न उठाया जाये उसे अ३ तĕरम आदेश जारी करने क§ शि□ है िबना इसके ठक पहले

अिधकाıरता पर िवचार ꠸कया जाए। जब तक ꠸क अिधकाıरता का ꠷ǹ न नकारा꠶ मक न िनण꠶त ꠸कया जावे तब तक ꠷ाथिमक ꠸ि꠸से ꠸यायालय को मामले से संबंिधत कानून स꠸ मत सम꠸ त काय꠸ एवं ꠸कसी काय꠸वाही को करने का अिधकार है - (꠷ीतपाल꠸संह िव. ꠸ टेट म. ꠷. 1988 ज.ला.ज. 549 = AIR 1989 NOC 207 (िज꠸टस ए. के. दुबे - म. ꠷. हाईकोट꠸)

(8) धारा 52(2) तथा 54 - स꠸ पि꠸ का ꠸ ययन - (disposal of property) इस काय꠸वाही म꠸ अि꠸तम आदेश के अ꠸ यधीन बने रहकर अ꠸ त꠸रम ꠸ ययन का आदेश ꠸दया जा सकता है। बाद म꠸ जो अि꠸तम (Final order) आदेश ꠸यायालय का होगा उसके अनुसार अ꠸ त꠸रम आदेश ꠷भािवत रहेगा। श꠸ बीर अली िव. ꠸ टेट म. ꠷. - 1986 ज. ला. ज. 469 = 1987 म. ꠷. लॉ.

ज. 57 िज꠸टस ꠸ही. डी. ꠸ यानी म. ꠷. हाईकोट꠸)

(9) धारा 52-C द꠸꠸ ड ꠷꠸꠸या संिहता 1973 क꠸ धारा 451 तथा 457-वन अपराध का꠸रत करने म꠸ किथत ꠸प से ꠷योग ꠸कये गये, अिधहरण ꠸कये जाने वाले (of vehicle to be confiscated) यान क꠸ सुपुद꠸गी के आवेदन को मिज꠸꠸ेट नामंजूर कर ꠸दया। उस आदेश के िव꠸꠸꠸꠸ हीजन हाईकोट꠸ म꠸ क꠸ गई िज꠸टस के.एल. इसरानी म.꠷. हाईकोट꠸ ने ꠸रषीनाथ꠸संह िव꠸꠸ टेट म. ꠷. - 1992F.L.T. 109 (म.꠷.) म꠸ यह करार ꠸दया ꠸क जब ꠸क पुिलस ꠸꠸꠸ारा नह꠸ बि꠸क र꠸ज अिधकारी ꠸꠸꠸ारा अिभ꠸हीत (Seized)꠸कया गया और उसे मिज꠸꠸ेट के सामने पेश नह꠸꠸कया गया तथा उस ꠸क के स꠸ ब꠸ ध म꠸ धारा 52 फोरे꠸ ट ए꠸ ट 1927क꠸ आक꠸ष꠸त होती है तब मिज꠸꠸ेट का अिधकारी उस ꠸क को अ꠸ त꠸रम अिभर꠸꠸ा म꠸꠸दये जाने के बारे म꠸ समा꠸ त हो जाता है उसके अिधकार के बाहर क꠸ बात हो जाती है (बाबूलाल लोधी िव. ꠸ टेट म.꠷. 1987 म.꠷.ला.ज. 316=1987 ज.ला.ज. 423;तथा क꠸ हैयाला िव. ꠸ टेट - 1988 ज.ला.ज. 94 अनुस꠸रत) - (मामले के त꠸ य ये थे ꠸क फारे꠸ ट िडपाट꠸मे꠸ ट ने एक ꠸क को 35 प꠸ थर ले जाते ꠸ए 8.12.1990 के ज꠸ त (Seize)꠸कया था ꠸क꠸ तु फारे꠸ ट िवभाग क꠸ क꠸ टडी म꠸꠸क आवेदक ले भागने म꠸ सफल हो गया। फारे꠸ ट िडपाट꠸मे꠸ ट ने इस बारे म꠸ पुिलस ꠸ टेशन रायसेन म꠸꠸रपोट꠸ दज꠸ कराई, पुिलस ने केस धारा 353, तथा 186 सह प꠸ठत धारा 34 (IPC) के रिज꠸ टर ꠸कया और बाद म꠸꠸क चोरी होने के बारे म꠸ धारा 379 (IPC) और जोड़ दी गई। अिभयु꠸ तो क꠸ जमानत 23.12.90 को ली गई और 25-12-90 को ꠸क ज꠸ त ꠸कया गया तथा चालान 26-12-90 को CJM रायसेन के सम꠸꠸꠸कया गया। उसी ꠸दन आवेदक ने ꠸क के सुपुद꠸गी म꠸ देने हेतु आवेदन धारा 451, 457 (CrPC) म꠸ पेश ꠸कया। फारे꠸ ट र꠸ज आ꠸फसर ने एक आवेदन CJM को पेश ꠸कया िजसम꠸ यह बातया गया ꠸क आवेदक के िव꠸꠸ फारे꠸ ट ए꠸ ट 1927 क꠸ धारा 26 म꠸ केस रिज꠸ टड꠸ है और ꠸क No. MPD 9007 वन अपराध से संबंिधत है वन अिधकारी न यह भी िनवेदन ꠸कया ꠸क धारा 52 फारे꠸ ट ए꠸ ट के अधीन िवचारण ꠸यायालय, ꠸꠸िमनल कोट꠸ को इस

मामले मऺ आवेदन धारा 451, 457, CrPC के तहत िवचार करने कऻअिधकािरता नहऱ है। अतएव Ƀायल कोटब्र ने Ƀक आवेदक को सुपुदब्रगी मऺऻदये जाने का आवेदन िनरʼ त कर ऻदया। सेशɕ स जज के समꢀ िरȫ हीजन िपटीशन फायल कऻ गई वह भी नामंजूर ɠई, उसके बाद आवेदक ने िरट िपटीशन नं. M.P. No. 473/1991फाइल कऻ जो मंजूर होकर िमजʼɃेट को यह िनदɨश ऻदया गया ऻक आवेदक के आवेदन पर ताजा िविनʻ चय (Fresh decision)इस ɕ यायालय ȫारा ऻदनांक 21-3-91 मऺऻदये गए observations के ꢂकाश मऺ िलया जावे ऻकɕ तु CJM रायसेन ने दुबार िविनʻ चय मऺ भी आवेदक कऻ सुपुदब्रगी मऺɃक ऻदये जाने कऻ अजꢃ नामंजूर कर दी। उसके िवɷ हाईकोटब्र मऺ पुन: िरȫ हीजन पेश कऻगई थी।

इस िरȫ हीजन मऺ हाईकोटब्र के समꢀ यह भी तकब्रꢂʼ तुत ऻकया गया था ऻक रेट िपटीशन मऺ हाईकोटब्र ने जो िनदɨश ऻदये थे उससे आवेदक को सुपुदब्रगी मऺ लेने के अिधकार अꢄजब्रत ɠए - इस तकब्र के िविनʻ चय मऺ पैरा 9, 10 मऺ1992 FLT 109 (112) मऺजिʼटस के.एल. इसरानी ने कहा ऻक -

(1) Proceeding for embracing a right acquired or accured (2) and a legal proceeding for acquisition of a right इन दोन मऺ अɕ तर है, पहला िनिहत अिधकारी रिꢀत है ऻकɕ तु मेरी राय मऺ इस कोटब्रȫारा िरट िरटीशन मऺऻदया िनदɨश ऻक िविधक कायब्रवाही सुपुदब्रगी मऺȫ हीकल Vehicle लेने कऻ जाय - वह Saved असुरिꢀत नहऱ है जबऻक कोटब्र को फोरʻ ट िवभाग से नोिटस और इिɢला िमल चुकऻऻक वन अपराध के ꢂयोग से ȫ हीकल सʹ बिɕधत है इसिलये िमजʼɃेट को आवेदक कऻ सुपुदब्रगी मऺɃक ऻदये जाने बाबत आवेदन सुनते और िविनʻ चय कऻ अिधकािरता नहऱ है (1990 MPLJ 188 = JLJ 249) (डौलूमल िव. ʼ टेट म.ꢂ. डीबी हाईकोटब्र म.ꢂ.)

(10) ए.पी. Оीवाʼ तव िव. ʼ टेट म. ꢂ. - 1990FLT 325 मꢅ यꢂदेश हाईकोटब्र - (जिʼटस गुलाब सी. गुꢆ ता- मꢅ यꢂदेश) धारा 319 तथा 482 CrPC) तथा धारा 420, 467 तथा 468-(IPC)- धारा 482 (CrPC) के अधीन आवेदन कऻ गा

ता-िवरले मामल मऺ शिꢂयोग उस दशा मऺ जब िववशकारी पिरिʼथितयां शिꢂयोग के िलए मौजूद ह अɕ यथा 482 CrPC के तहत हʼ तꢀेप नहऱऻकया जा सकता।

मामले के संिꢀꢆ त तɲ य ये ह.ऻक 15-1-1980 को धारा 379 (IPC) के अपराध के िलए िरपोटब्र दजब्र कराई गई। यह पुिलस ʼ टेशन कडागांव मऺꢂितꢂाथꢃ नʹ बर 2, 3 तथा एक मृत िवनोद कुमार जो अब मर गया है - के नाम सिहत दजब्रɠई। उसमऺकहा गया ऻक जंगल कऻ लकड़ी लॉट नʹ बर 996/1022 बेईमानी से अिभयु तȫारा फजꢃ डा यूमऺट के आधार पर हटाई गई। पुिलस ने अपराध 420/467/468 (IPC) के अपराध कऻ चाजब्र शीट (चालान) ꢂथम Оेणी ɕ याियक िमजʼɃेट जगदलपुर मऺ पेश कऻ, जब मामले मऺ चाजब्र लगाने के ꢂʻ न पर िमजʼɃेट ने िवचार ऻकया तब आवसेदक कऻ भी ɢʼ तता (involvement)ꢂʼ तुत

चालान के अपराध मे होना ्रतीत ्हुई और मिज्ट्रेट ने धारा 319 (CrPC) के अधीन आवेदक को भी अभियु त(अपराधकता्ओ) क्ेणी मे शािमल ्कये जाने और समन ्कये जाने का ओदश पा्रत ्कया। ओदश ्दनांक 29-11-1986 से दुखी होकर आवेदक ने म् य्रदेश हाईकोट्ट मे धारा 482 (CrPC) के अधीन हाईकोट्ट क िवशेषािधकार क शि य के अधीन मिज्ट्रेट ्वारा उ हे अभयु त बनाये जाने के आदेश को िनर त ्कया जाने का िनवेदन ्कया। जि्टस गुलाब सी. गु ता ने इस मामले मे धारा 482 CrPC क शि याँ ्कन अव था मे्रयोग क जा सकती ह. उनका इस मामले मे मौजूद होना नह् पाया और करार ्दया ्क ्राथिमक द्ि्ट मे मिज्ट्रेट ने ्रकाड्ट चालान आ्द देखकर आवेदक के िव्र मामला बनाना पाकर उ हेअभयु त मे जोड़े जाने और समन ्कये जाने का ओदश ्दया है जो ठीक है इस तर पर उस ओदश मे कोई ह त ेप धारा 482 CrPC के अधीन नह््कया जा सकता। इस मामले मे हाईकोट्ट ने िन न ्रकार से केस पर िवचार ्कया -

(1) जोिग दर ्संह िव. टेट पंजाब - AIR 179 SC 339, मे सु्रीम कोट्ट लॉ कमीशन क्रपोट्ट (्रमांक 41) के ्रकाश मे िवचार करके िविन त ्कया ्क यह सभी यायालय को लागू है, धारा 319 के अधीन यायालय को यह शि दी गई है ्क वह ऐसे यि/ यि य के िव्र जो मामले मे अभियु त नह् बनाये गये ह.्क तु िजनके िव्र िवचारण के दौरान अपराध मेअभ्ु त होने क पया्ट त सा य है (against whom there appears sufficient evidence during trial, indicating his involvement in the offence as an accused) अ य अभियु त के साथ िवचारण ्कया जाने के िलए िनद्श ्दया जा सकता है (हरीशंकर यास िव. टेट म.्र. 1991 (1) म.्र.वी.नो. 116) मे िभ न मत है)

जि्टस गुलाब सी. गु ता म् य्रदेश ने इस मामले मे सु्रीमकोट्ट के उ्धृत केस मे श द "Evidence" (सा य) का िनव्टचन ्कया। उनके अभिमत मे धारा 319(1) CrPC मे श द "Evidence" से अभि्राय िवचारण के दौरान ्रकाड्ट क गई केवल - 'evidence' नह् है बि क धारा 169 तथा 170 CrPC जो मिज्ट्रेट के सम मामले भेजने क टेज है उसमे भी श द - 'evidence'्रयोग ्कया गया है जो दशा्टता है ्क अपराध के अ वेषण के दौरान जो साम्ी इक ी क गई वह भी 'सा य' होना मानी गई है - (ए.पी. ्ीवा तव िव. टेट म.्र. 1990 (1) म.्र.वी.नो - 218) सु्रीम कोट्ट ने रघुवंश दुबे िव. टेट िबहार मेअपनाये गये द्ि्टकोण का अनुमोदन ही - (AIR 1967 SC 1167) क पुि्ट ही जोिग दर ्संह िव. टेट पंजब AIR 1979 SC 339 मे भी है (अ्ण दुबे िव. टेट म.्र. 1991 CrI.J. 840 (844-845) मे क है।

(11) टेट म. ्र. िव. राकेश कुमार - 194(1) MPJR 368 जि्टस एस. के. दुबे, (्रिमनल ्र् हीजन नं. 191/1990िनण्टत ्दनांक 14-6-1994 वािलयर ब.च);

इस मामले के संिं◌ंि◌ ◌ त त० य इस ◌ꣲकार ह.ϐक पुिलस िपछोर (िजला िशवपुरी) म◌ृ य◌ꣲदेश को यह इ◌ि◌ला िमलने पर ϐक Ꮆक न◌ ◌ बर UTP 6276- अ◌ ◌ सी बैग त◌ꣳदू प० ता-वन उपज Ꮆ◌ा◌ं◌िजट पार (प◌ꢡरवहन परवाना) िलये िबना ले जा रहा है। पुिलस ने Ꮆक को 15-8-1990 (12.30 p.m.) पर Seize अिभ◌ꢟहण कर िलया। सीजर मेमो बनाया और ◌ꢥ◌ायवर राकेश को क◌ ◌ टडी म◌ꣳ िलया। एक केस धारा 379 (IPC) तथा म◌ृ य◌ꣲदेश त◌ꣳदू प० ता (◌ ◌ यापार िविनयम) अिधिनयम, 1964 क◌़ धारा 5, 7 तथा 8 के अधीन िपछोर पुिलस ◌ꢦ◌ꢦ◌ारा रिज◌ ◌ टर ϐकया गया जो Ꮆ◌ाइम नं. 139/1990 पर कायम ◌ꢫआ।

Ꮆक ज◌ ◌ त करने के बाद पुिलस िपछोर (िजला िशवपुरी - म. ◌ꣲ.) ने र◌ꣳज आϐफसर िशवपुरी (म. ◌ꣲ.) को इ◌ि◌ला दी ϐक वन अिधिनयम के तहत वन अपराध ϐकया गया है अतएव वह Ꮆक के अिधहरण (Confiscation) क◌़ काय◌ꢥवाही कर◌ꣳ। इस इ◌ि◌ला के साथ F.I.R. तथा Seizure Memo क◌़◌ꣲितिलिप भेजी गई। िड◌ ◌ टी िडवीजनल फारे◌ ◌ ट ऑϐफसर िशवपुरी म. ◌ꣲ. ने 20-8-1990 को चीफ जुडीिशयल मिज◌ ◌ Ꮆ◌े◌ट िशवपुरी (म. ◌ꣲ.) को इ◌ि◌ला क◌़ϐक सी◌ꣳ ड ◌ꣲ◌ापट◌ꢠ के वन अपराध म◌ꣳ◌ꣲयोग ϐकये जाने के कारण अिधहरण क◌़ काय◌ꢥवाही (Confiscation proceedings)◌ꣲ◌ार◌ ◌ भ क◌़ जा रही है - सी◌ꣳ ड ◌ꣲ◌ापट◌ꢠᏆक No. UTP 6276 तथा 80बै◌ ◌ स त◌ꣳदू प० ता है।

राकेश कुमार ◌ꢡर◌ ◌ पांडेट को अिधहरण क◌़ काय◌ꢥवाही के ◌ꣲ◌ार◌ ◌ भ करने का नो◌ꢡटस ϐदया गया लेϐकन वह 1-10-90 के नो◌ꢡटस के बावजूद िनयत ϐदनांक 15-10-90 तक उपि◌ ◌ थत नह◌ꢞ◌ꢫआ। इसिलये उपवन म◌ ◌ डलािधकारी ने एक प◌ ◌ ◌ीय काय◌ꢥवाहीद क◌़ और अपराध धारा 41 तथा 52 फारे◌ ◌ ट ए◌ ◌ ट, 1927 तथा धारा 5 म. ◌ꣲ. त◌ꣳदू प० ता◌ ◌ यापार (िविनमय) अिधिनयम, 1964होने का सािबत पाया।

इसी बीच ◌ꣲथम ◌े◌णी मिज◌ ◌ Ꮆ◌े◌ट िपछोर (िशवपुरी) के सम◌ ◌ राकेश कुमार ने धारा 451 तथा 457 (CrPC) के अधीन अिभ◌ꢟहीत Ꮆक को सुपुद◌ꢥगी (custody) म◌ꣳ देने का आवेदन पेश ϐकया। र◌ꣳज आϐफसर क◌़◌ꢡरपोट◌ꢥ के बाद ◌ꢡर◌ ◌ पांडेट का आवेदन नामंजूर ϐकया गया ◌ ◌ य◌ ◌ϐक Ꮆक धारा 52 भारतीय वन अिधिनयम, 1927 के अधीन अिभ◌ꢟहीत (seized)ϐकया गया था। ◌ ◌ याियक मिज◌ ◌ Ꮆ◌े◌ट ◌ꣲथम ◌े◌णी िपछोर (िजला िशवपुरी म. ◌ꣲ.) ने यह आदेश भी ϐदया ϐक Ꮆक को क◌ ◌ टडी म◌ꣳ देने क◌़◌ ◌ यायालय को अिधका◌ꢡरता (Jurisdication) नह◌ꢞ है। ◌ꣲथम ◌े◌णी मिज◌ ◌ Ꮆ◌े◌ट ने र◌ꣳज आϐफसर िपछोर (िशवपुरी) को एक लेटर जारी ϐकया ϐक
अिभ◌ꢟहीत Ꮆक धारा 379 (IPC) के मामले म◌ꣳ भी केस ◌ꣲ◌ापट◌ꢠ है इसिलए उसके िनण◌ꢥय तक ज◌ ◌ त ◌ꣲ◌ापट◌ꢠ को िड◌ ◌ पोज ऑफ नह◌ꢞϐकया जावे।

इस आदेश से दुखी होकर ◌ꢡर◌ ◌ पांडे◌ ◌ ट ने सेश◌ ◌ स कोट◌ꢥ के सम◌ ◌◌ꢡर◌ ◌ हीजन पेश क◌़। सेश◌ ◌ स जज ने ◌ꢡर◌ ◌ हीजन मंजूर करते ◌ꢫए यह समुि◌ ◌ क◌़(Observed)ϐक यह शंका◌ ◌ पद है ϐक Ꮆक अिधहरण ϐकये जाने यो◌ ◌ य है या नह◌ꢞ और इस ◌ꣲकार िनद◌ꢥश ϐदया ϐक ◌ꢡर◌ ◌ पाड◌ ◌ ट को Ꮆक सुपुद◌ꢥगी म◌ꣳ Rs. 50.000 पचास हजार ◌ꢝपये के बंध प◌ ◌ पर ϐदया जावे। इस आदेश के िव◌ꢝ◌ ◌ ◌ टेट म. ◌ꣲ.

ने हाईकोटᲈ मᱶ वािलयर ब.च मᱶᳯर᭪हीजन पेश कᳱ िजसमᱶ जि᭭टस एस.के. दुबे ने िन᳜ निलिखत िविन᳟ चय ᳰकया :

(A) वन अपराध को कᳯरत करने मᱶ वन उपज तथा ᭪हीकल अिधᮕहीत (Seized) कᳱ जाती है और अिभहरण कᳱकायᲈवाही (Proceedings for Confiscation) ᮧार᭥ भ कᳱ जाती है िजसकᳱ इि᭜ला फारे᭭ ट ए᭍ ट 1927 कᳱ धारा 52(4) के अधीन अिधहरण कᳱ कायᲈवाही के बारे मᱶ अपराध का िवचारािधकार रखने वाले मिज᭭ᮝे ट ᳇ारा ᮧा᳙ त कᳱ जाती है, तब कोई भी ᭠ यायालय ᳯᮝ᭣ यूनल या ᮧािधकारी-धारा 52, 52A तथा 52-B मᱶ िनᳶदᲈ᳥ ट ᳰकसी को भी यह अिधकार नहᱭ रहेगा ᳰक वह ᮧ᳟ नाधीन ᮧापटᱮ के क᭣ जे, िडले᭪ हरी, िड᭭ पोजल या िड᭭ᮝी᭣ यूशन के बारे मᱶ कोई आदेश दᱶ। पैरा 5-[1994(1) MPJR 368];

(B) धारा 451 द᭛ ड ᮧᳰᮓया संिहता केअधीन अिभᮕहीत ᮧापटᱮ के िड᭭ पोजल, (᳞ यय-िनराकरण) या िनपटारे के स᭥ ब᭠ ध मᱶ - म᭟ यᮧदेश रा᭔ य वन अिधनियम मᱶ धारा 52 अ᭠ त: ᭭ थािपत कᳱ गई। अत: धारा 52C (सी) कᳱ दिृ᳥से मिज᭭ᮝे ट कᳱअिधकाᳯरता समा᳙ त हो गई है (The jurisdication of the Magistrate to make any order with regard to disposal etc. of the orders seized proertyunder Section 451, CrPC is ousted in view of Section 52-C, inserted in the Forest Act (1) MPJR 368 (S.K. Duey, J)

(C) वन अपराध के िलये यह पेनट कोड या अ᭠ य ᳰकसी अिधनियम के अधीन अपराध कᳱ साथ अपराध मᱶ पुिलस आᳰफसर ᳇ारा ᮧक के सीजर (Seizer) धारा 52(1) के अधीन अिधहरण (Confiscation) कᳱ कायᲈवाही के ᮧार᭥ भ कᳱ जाने कᳱइि᭜ला के प᳟ चात् इस ᭠ यायालय कᳱ राय मᱶ कोई फकᲈ नहᱭ पड़ेगा और स᭥ बि᭠धत मिज᭭ᮝे ट कᳱ धारा 451 तथा 457 तथा 457 CrPC के ᮧावधान᭠ के अधीन अिभᮕहीत िवषय व᭭ तु के स᭥ ब᭠ ध मᱶ अ᭠ तᳯरम या अि᭠तम अिभर᭯ा का आदेश पाᳯरत करने के िलए कायᲈवाही कᳱ अिधकाᳯरता समा᳙ त रहेगी (will stand ousted)। वह ᳞ िᲦ िजसके िवᱧ᳍ कायᲈवाही ᮧार᭥ भ कᳱ है - उसे ᮧािधकृत अिधकारी को इस बात का समाधान (तुि᳥) करना होगा ᳰक इस ᮧकार अिभᮕहीत कᳱ गई स᭥ पि᭜ अिधहरण ᳰकये जाने (Confiscation) कᳱ दायी नहᱭ है यᳰद अिधहरण ᳰकये जाने का आदेश ᳰदया जाता है तो ऐसे ᳞ िᲦ को अपील के उपचार का और उसके बाद ᳯर᭪ हीजन सेश᭠ स कोटᲈ मᱶ करने का उपाय करना चािहये जहाँ धारा 52-C(सी) के अधीन अिधकाᳯरता ᮧदान कᳱगई है - Para 11-1994 MPJR 368 (at page 372-373) (म᭟ यᮧदेश) (जि᭭टस एस. के. दुबे);

इसकᳱ पुि᳥मᱶ अ᭠ य पूवᲈ के ᱧ×लंग म᭟ यᮧदेश तथा अ᭠ य िनᳶदᲈ᳥ ट ᳰकये गये ह. -

(अ) क᭠ हैयालाल िव. ᭭ टेट म. ᮧ. - 1988 ज. ला. 94 -ᮧक फारे᭭ ट आᳰफसर ᳇ारा सीज ᱟआ तथा कोटᲈ मᱶ पेश नहᱭ ᳰकया गया था। अिधहरण कᳱ कायᲈवाही कᳱ इि᭜ला धारा 52(4) के अधीन वन िवभाग ने मिज᭭ᮝट को दी थी उस इि᭜ला धारा 52(4) के अधीन वन िवभाग ने मिज᭭ᮝट कᳱ अिधकाᳯरता सी᭠ ड ᮧापटᱮ के िड᭭ पोजल करनेकेआदेश देने कᳱ समा᳙ त हो जाती है।

(आ) ĕरषीनाथ ×संह िव. ̆ टेट म. ◌ु. - 1992 म. ◌ु. ला. ज. 159 - केस पुिलस मЊ धारा 353 तथा 186 सहपĕठत धारा 34 (IPC) के साथ रिज ̆ टर Ћआ था, फारे ̆ ट िवभाग ने Ƚक को सीज (Seize) ĉकया था - कҕ हैयालाल केस - 1988 JLJ 94 तथा बाबूलाल लोधी िव. ̆ टेट म. ◌ु. 1987 JLJ 423 का अनुसरण, करते Ћए डीबी म. ◌ु. हाईकोटҟ ने धारा 52-C के अधीन मिज ̆ Ƚ ेट कҀ अिधकाĕरता, सीҕ ड ◌ुापटҴ के िड ̆ पोजन के सҝ बҕ ध मЊ वҗजҟत मानी।

(इ) रЊज फारे ̆ ट आĉफसर िव. ĉक रोडीलाल 1987 Cr. L.J. 1314 अिधकाĕरता का वजҟन केवल धारा 52-B(2) (IF Act) के तहत तब नहҁ रहता जब सेशҕ स कोटҟ ĕरҩ हीजन कҀ सुनवाई करता है और अिधहरण के आदेश के िवҙ कҀ गई अपील खाĕरज कҀ जाती है।

(ई) टेट म. ◌ु. िव. कुंअर लाल - 1994 (I) म. ◌ु. वी. नोट 48 - िजसमЊ Ƚे टर-Ƚ ◌ाली को पҍ थर के Slabs के साथ फारे ̆ ट आफҀसर ने सीज ĉकया था और इҕला CJM को दी थी। धारा 457 CrPC का आवेदन मिज ̆ Ƚ ेट ने खाĕरज कर ĉदया था लेĉकन सेशҕ स कोटҟ ने ĕरҩ हीजन मंजूर कर ली थी उसके िवҙ हाईकोटҟ म. ◌ु. ने आदेश ĉदया ĉक धारा 52, 52-A, 52-B और 52-C फारे ̆ ट एҀ ट (म.◌ु. राҕ य संशोधन) के देखने से सेशҕ स, जज ҡारा ĉदया गया आदेश िबҕ कुल अवैध है (is patently illegal);

(उ) अशोक कुमार िव. ̆ टेट मҼ य◌ुदेश-ĉĸिमनल ĕरҩ हीजन नं. 59/1989 िनणҴत ĉद. 13.4.1994) म. ◌ु. हाईकोटҟ (Unreported case) मЊ यही अिभमत ◌ुकट ĉकया गया है।

(ऊ) Distinguished Cases - (I) भगवान भाई िव. वन मҰ डल अिधकारी - 1995 म. ◌ु. वी. नोट 44;(2) ̆ टेट म. ◌ु. िव. बंशीलाल 1991 म. ◌ु. वी. नोट 118◌ु ̆ नाधीन मामले मЊ इसिलये लागू नहҁ होते ह. यĉक इन दोन मामल मЊ अिधहरण (Confiscation) कҀ कायҟवाही नहҁ◌ुारҝ भ कҀ गई थी और इस बारे मЊ कोई इҕला अिधकाĕरता से संबंिधत ҕ याियक मिज ̆ Ƚ ेट को नहҁ दी गई थी।

(12) धारा 52-ए-अपील-अिधहरण (Confiscation) के आदेश से दुखी ҩ यि - अपील - आदेश ĉदये जाने कҀ तारीख से या आदेश सҝ बҕ धी तҍ य कҀ संसूचना िमलने से जानकारी होने कҀ तारीख से तीस ĉदन (thirty days) के भीतर उस सरकल के ◌ुभारी वन संरҴक (अपील ◌ुािधकारी) को िजसके Ӵेҙ मЊ वनोपज या सҝ पिҕ को अिभҀहीत (Seized) ĉकया गया है - अपील कर सकेगा और अपील का ҩापन िनयम (3) के अनुҙप होगा तथा ह ̆ ताҴĕरत एवं सҍ यािपत ĉकया जायेगा। आदेश कҀ◌ुमािणत ◌ुितिलिप लगाई जायेगी तथा अपील के ҩापन पर कोटҟ कҀ ̆ टाҝ प पचास ҙपये मूҕ य के लगाये जायЊगे।

आदेश कइ नकल ०ा ा त करने मः लगा समय - अपील कइ ि याद मः मुजरा ८दया जायगा - िप३ नूलाल िव. ०ीराम 1990रा. िन. 371 पैरा 5 रे१ ह३ यू बोडक्र, (िसकतर ×संह िव. ०तीम ×संह - 1985 रा. िन. 430)

आदेश कइ संसूचना (जानकारी) से अपील कइ ि याद िगनी जायेगी और मानी जायगी - रामदीप िव. िगरधारी - 1987रा. िन. 2401, िडवीजनल फारे ं ट आ८फसर पूव2 ब ं तर िव. इ३ दर ×संह - 1973 स. िन. 578.

आदेश के िवषय व ं तु (त: य) कइ जानकारी होना चािहये, पा६रत होने कइ जानकारी काफइ नह८ है -

(बस३ त ×संह िव. ं टेट - (1972 रा. िन. 428 पैरा 4, तथा 6) छोटेलाल िव. म. ०. रा३ य 1988 रा. िन. 13, केशरी िव. झ ु बू - 1990 रा. िन. 237३ याय से इ३ कार नह८ होगा,

(मोहर×संह िव. जसवंत ×संह - 1980 रा. िव. 16)

अपील का अिधकार - कानून मः िनिहत अिधकार (Vested right) है और कानून ारा सृिजत (created by Law) - कानूनी अिधकार (Statutory right) है इसे अ३ यथा नह८ छीना जा सकता - छोगालाल िव. म. ०. रा३ य 1994 रा. िन. 388 (जि ं टस आर. ितवारी म. ०. हाईकोटक्र), (सीताराम िव. म. ०. रा३ य 1979 रा. िन. 509 पैरा 7 फुल ब.च हाईकोटक्र म. ०.) िव.

महाराजा मा० तक्र डं ×संह जू देव िव. किम ं नर ऑफ ए सपे३ डीचर टै स - 1982 ज. ला. ज. 249 हाईकोटक्र);

अपील मूल आदेश के िव होगी -

आदेश अिधका६रता रिहत हो उसे िनर ं त करना कतक्र१ य है - (बाबूलाल िव. छोट लाल - 1975 797 पैरा 25 फुलब.च हाईकोटक्र)

कानूनी ०ािधकारी या ६ ु यूनल ारा पा६रत आदेश य८द युि यु त तकक्र संगत (Reasoned order) या आ यापक (Speaking order) नह८८दया गया है तो वह िनर ं त ८कये जाने योगय हो जाता है - अिनल कुमार िव. अपीली अथा६रटी - 1987 रा. िन. 185 पैरा 4 हाईकोटक्र म. ०. 1976 JLJ 293 फुल ब.च हाईकोटक्र म. ०. 1984 रा. िन. 398 पैरा 4, 7, 8 (AIR 1977 SC 112)

म. ०. वन (अपील का फामक्र) िनयम 1988

म. ०. शासन, वन िवभाग - अिधसूचना . 18-3-88-X-3 ८दनांक 30-11-88 भारतीय वन अिधनियम, 1927 (. XVI वषक्र1927) कइ धारा 52 उपधारा (क) के उपख ड (4) तथा धारा 52(क)के उपख ड (1) के अ३ तगक्रत ०द० त शि य का उपयोग मः लाते ४ए रा३ य शासन िन ि न िनयम बनाता है अथाक्रत् :

(1) संि ा त नाम, िव ं तार तथा लागू होने कइ ितिथ :

(1) ये िनयम "म‿ य ाृदेश वन (अपील का फामङ्ग) िनयम 1988" कहलाव७गे।

(2) इनका िव᳴ तार स᳚ पूणङ्ग म‿ य ाृदेश पर है।

(3) ये िनयम उस िितथ से लागू ह◌ागे जो रा३ य शासन ᳇ᳯ᳇◌ारा म‿ य◌ृदेश राजप◌ु म७ अिधसूिचत कइ जावे।

नोट - म. ाृ. शासन वन िवभाग, कइ अिधसूचना ᳲा. 18-3-88-x-3८दनांक 30 नव᳚ बर,88 म‿ य ाृदेश वन (अपील का फामङ्ग) िनयम 1988 के िनयम 1 के उपिनयम (3) के अ३ तगङ्गत ाृद० त शि◌य◌ को उपयोग म७ लाते ७ए रा३ य शासन 1८दस᳚ बर 1988 वह िितथ िनि त करता है िजस ८दन से उपरो◌ त िनयम लागू ह◌गे।

2. प᳇रभाषाएं - इस िनयम म७ जब तक ८क कोई बात िनयम या स३ दभङ्ग के िवपरीत न हो :

(क) "अिधिनयम से ता० पयङ्ग भारतीय वन अिधिनयम 1927 (ᳲा. XVI वषङ्ग1927) िजस ᱨप म७ म‿ य ाृदेश म७ लागू है, होगा।

(ख) "अपीलीय अिधकारी" से ता० पयङ्ग सकङ्गल के ाृभावी वन संर᳴िक से है।

(ग) "ाृािधकृत अिधकारी" से ता० पयङ्ग रा३ य शासन ᳇ᳯ᳇◌ारा धारा 52 उपधारा (2) के अ३ तगङ्गत अिधकृत अिधकारी से है।

(घ) फामङ्ग से ता० पयङ्ग इस िनयम के साथ संल◌ न फामङ्ग से है।

(3) (1) राजसात करने के आदेश के िवᱧ◌ अपील : धारा 52(क) कइ उपधारा (1) के अ३ तगङ्गत ाृािधकृत अिधकारी ᳇ᳯ᳇◌ारा पा᳇रत राजसात करने के आदेश के िवᱧ◌, अपील ᱨ◌ाप म७ िन᳚ न िववरण होना चािहये यथा :

(क) वह िलिखत म७ होगा

(ख) अपीलकताङ्ग के नाम व पते का उ᳴ लेख

(ग) उस आदेश, िजसके िवᱧ◌ अपील कइ जा रही है, के ८दनांक का उ᳴ लेख

(घ) अपीलकताङ्ग को वह आदेश ाृा᳙ त होने के ८दनांक का उ᳴ लेख

(ड.) घटना का ᳴ प᳥ ट िववरण

(च) अपील के आधार◌ का ᳲमवार उ᳴ लेख तकङ्ग एवं िववरण सिहत

(छ) सं᳴ि᳙᳙ त म७ चाही गई राहत का उ᳴ लेख

(ज) अपील आवेदन अपीलकताङ्ग अथवा उसकेअिधकृत अिभकताङ्ग᳇ᳯ᳇◌ारा िन᳚ न फामङ्ग म७ाृकािणत एवं ह᳴ ता᳙᳇रत होना चािहये - यथा :

म., ……………….. ऊपर ϐदये अपील ृ◌ाप मϋϐदया अपीलकताϗ एतद्ǔारा घोिषत करता ϑं ϐक अपील मϋϐदया

िववरण मेरे ृ◌ान व िवं वास के आधार पर सही है।

अपीलकताϗ के ह̐ ता᐀र

2. अपील का आवेदन अपील कताϗ अथवा उसके अिधकृत अिभकताϗǔारा अपीलीय अिधकारी को ᳞ि᭍गत ᱨप से

(Personally)ᮧᳩ तुत ϐकया जावेगा।

3. अपील के ृ◌ाप पर पचास ᱧपये के कोटϗ कᳱ̐ टा᭥ प लगाये जावϋगे।

4. स᭥ पि᭜ के राजसात करने कᳱ कायϗवाही ᮧार᭥ भ करने कᳱ सूचना ᮧेिषत करना।

अिधिनयम कᳱ धारा 52 उपधारा 4 के ख᭛ ड (क) के अ᭠ तगϗत, ᮧािधकृत अिधकारी, उस मिज̐ᮝेट को, िजसको ज᭣ ती के

थान पर ᱟए अपराध के िवचारण का ᭃेᮢ ािधकार हो; स᭥ पि᭜ के राजसात करने कᳱ कायϗवाही ᮧार᭥ भ करने कᳱ सूचना फामϗ

"A" मϋ देगा।

नोट : फामϗ"A" नीचे ϐदया है।

फामϗ"A"

ϐदनांक ....

ᮧेषक ....

....

ᮧित,

᭠ यायाियक द᭛ डािधकारी

....

....

(1) उसस᭥ पि᭜ का िववरण िजसको राजसात ϐकया जाना ᮧ̐ तािवत हो तथा उन पᳯरि̐थितय᭠ का संिᭃ᭡ त िववरण, िजसके कारण वह ज᭣ त कᳱ गई हो।

(2) राजसात ϐकये जाने के िलए ᮧ̐ तािवत स᭥ पि᭜ के मािलक का पूणϗ िववरण :

(3) उस ᳞ि᭍ का नाम िजसके पास से वह स᭥ पि᭜ ज᭣ त कᳱ गई

(4) जꢀ ती का ꢁ थान, ꢂदनांक एवं समय

(5) उस अिधकारी का नाम, िजसने िवचाराधीन सꢃ पिꢄ जꢀ त कꢅ।

(6) िवचाराधीन सꢃ पिꢄ का अनुमािनत मूꢆ य।

(7) अपराध/अपराधꢇ का िववरण िजसके कारण जꢀ ती कꢅ गई।

(8) िवचाराधीन सꢃ पिꢄ को राजसात करने कꢅ कायꢈवाही ꢉारꢃ भ करने का ꢂदनांक

ꢉािधकृत अिधकारी के हꢁ ताꢊर

ꢋटꢀ पणी - Confiscation तथा forfeiture मꢌ अꢍ तर है। भारतीय दꢎ ड िवधान के अनुसार अिधꢏत (Confiscation) के आदेश देने के पूवꢈ, िजसकꢅ सꢃ पिꢄ अिधहरण कꢅ जा रही है, उसको सुनवाई तथा बचाव का पूणꢈ अवसर ꢂदया जाना चािहये। यह कायꢈवाही आवꢐ यक है, जꢀ ती ꢂकसी अपराध मꢌ जाँच के पꢐ चात् िनमुꢈꢇ त हो सकती है।

[1]धारा 53. धारा 52 के अधीन अिभगृहीत सꢃ पिꢄ को िनमुꢈꢇ त करने कꢅ शिꢇ - रꢌजर से अिनꢃ न पंिꢇ वाला कोई वन अिधकारी, िजसने या िजसके अधीनꢁ थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अꢍ य वꢁ तु अिभगृहीत कꢅ है, इस ꢉकार अिभगृहीत सꢃ पिꢄ को धारा 52 के अधीन ꢉािधकृत अिधकारी या मिजꢁꢑेट के समꢊ, जो उस अपराध का िजसके मꢇे अिभꢒहण ꢂकया गया है, िवचारण करने कꢅ अिधकाꢋरता रखता हो, जब ऐसा अपेिꢊत हो, पेश करने हेतु एवं अिधकारी ꢓारा यथा ꢉाꢇ किलत ऐसी सꢃ पिꢄ के मूꢆ य के बराबर कꢅ ऐसी रकम कꢅ, ऐसे ꢉाꢔप मꢌ, जैसा ꢂक िविहत ꢂकया जाए, ꢉितपूꢕतꢈ का उसके ꢁ वामी ꢓारा िनꢖ पादन करने पर उꢍ हꢌ िनमुꢈꢇ त कर सकेगा ।"

धारा 54. तदुपꢋर ꢉꢂꢏया - ऐसी ꢂकसी ꢋरपोटꢈ कꢅ ꢉािꢗ पर मिजꢁꢑेट सब सुिवधापूणꢈ शीꢒता से ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी कꢅ िगरꢘतारी और िवचारण तथा सꢃ पिꢄ का िविध के अनुसार ꢙ ययन के िलये आवꢐ यक हो :

[2]परꢍ तुसꢃ पिꢄ के ꢙ ययन से सꢃ बिꢍधत आदेश पाꢋरत करने के पूवꢈ मिजꢁꢑेट यह िविनित करꢌगे ꢂक ऐसी सꢃ पिꢄ के सꢃ बꢍ ध मꢌ धारा 52(4) के अꢍ तगꢈत ऐसी सूचना, इस ꢍ यायालꢓ या अꢍ य ꢍ यायाल मꢌ जो जꢀ त सꢃ पिꢄ के िवषय मꢌ िवचारण (Try)हेतु सꢊम है, ꢉाꢀ त ꢚई है या नहꢛ।

[3]धारा 55. वन-उपज, औजार आꢂद कब अिधहरणीय हꢇगे - (1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वनोपज, जो सरकार कꢅसꢃ पिꢄ नहꢛ है, और िजसके िवषय मꢌ वन अपराध ꢂकया गया है और ऐसे वन िवषयक अपराध के करने मꢌꢉयुꢇ त सब औजार, नावꢌ, छकड़े और पशु अिधहरणीय हꢇगे।

4(1) ऐसी समꣃ त इमारती लकड़ी या वनोपज या दोन मꣳ से ꣲꣀ येक दशा मꣳ, जो सरकार कꢂ सꢀ पिꢅ नहꢆ है और िजनके िवषय मꣳ कोई वन अपराध ꢄकया गया है और समꣃ त औजार, नावꣳ, यान, रꣃ से, जंजीरꣳ, या कोई अꢌ य वꣃ तु िजनको ꣲꣀ येक दशा मꣳ, ꢄकसी वन अपराध के करने मꣳ ꣲयोग ꢄकया गया है, अपराधी को ऐसे वन अपराध के िलये दोषिस ठहराये जाने पर धारा 52, 52-क 52-ख, और 52-ग के उपबꢌ ध के अधीन रहते ꢕए अिधहरणीय होगी।

---

1. म.ꣲ. अिध. ꢁ. 7 वषꢂ2010 ꣇ारा जोड़ा गया।

2. म.ꣲ. िवधान ꢁ. 25 वषꢂ1983 ꣇ारा जोड़ा गया।

3. धारा 54 के अꢌ तगꢂत सꢀ पिꢅ के ꣱ ययन को जो ꣲावधान है उसमꣳ सुपुदꢂ नामा शािमल है अत: ꢁक सुपुदꢂ नामे पर दी जा सकती है। (सािबर अली िव. म. ꣲ. शासन, 1987 धारा 57)

4. म.ꣲ. िवधान ꢁ. 25 ꣇ारा 55(1)ꣲितꣃ थािपत।

(2) ऐसा अिधहरण, ऐसे अपराध के िलये िविहत ꢄकसी अꢌ य दꢔ ड के अितꢇर त हो सकेगा।

ꢇटꢑ पणी (1) - यꢄद मवेशी मािलक अपनी मवेिशय को अवैध ꢙप से वन मꣳ चरवाहे के ꣇ारा चरवावे या ꣲवेश करावे तो ऐसे मवेशी वन अिधनियम के अꢌ तगꢂत राजसात् ꢄकये जा सकते ह.। मवेशी अपराध के साधन है, य ꢄक ऐसे मवेशी से अपꢇरप व पौधे न ꢎ ट होते ह. तथा ऐसे मवेिशय को वन मꣳ ꣲवेश कराकर या उनसे चरवाकर ꣱ यि धारा 26 (च) का अपराध करता है अत: ऐसे मवेशी राजसात् ꢄकये जा सकते ह.।

ꢇटꢑ पणी (2) - वन मꣳ अवैध ꢙप मꣳ वनोपज, या इमारती लकड़ी कꢂ चोरी करने के िलए उपयोग मꣳ आने वाले, बैल भी राजसात् ꢄकये जा सकते ह.।

धारा 56. वन अपराध के िलये िवचारण कꢂ समािꢒ पर -उस वन उपज का ꣱ ययन िजसके सꢀ बꢌ ध मꣳ यह अपराध ꢕआ है, जब ꢄकसी वन िवषयक अपराध का िवचारण समाꢑ त हो जाता है, तब वह वन उपज, िजसके सꢀ बꢌ ध मꣳ ऐसे अपराध ꢕआ है, सरकार कꢂ सꢀ पिꢅ है या उसका अिधहरण ꢕआ है तो वह वन अिधकारी ꣇ारा अपने भारसाधन (Charge) मꣳ ली जावेगी, और ꢄकसी अꢌ य दशा मꣳ, उसका ऐसी रीित से ꣱ ययन (Disposal) ꢄकया जावेगा, जैसा ꢌ यायालय िनꢂदꢂ ꢎ ट करꣳ।

धारा 57. जब अपराधी अꣅात है, या पाया न जा सके तब ꣲꢄꢁया -जब अपराधी अꣅात है, या पाया नहꢆ जाता, तब यꢄद मिजꣃꢁेट का यह िनꢎ कषꢂ है ꢄक कोई अपराध ꢄकया गया है, तो वह आदेश दे सकेगा ꢄक वह सꢀ पिꢅ िजसके सꢀ बꢌ ध मꣳअपराध ꢕआ है, वह अिधꢂत कꢂ जावे और वन अिधकारी ꣇ारा अपने भारसाधन मꣳ ले ली जाये या उस ꣱ यि को दे दी जावे िजसे मिजꣃꢁेट उसका हकदार समझता है :

पर३ तु जब तब ठक ऐसी स॓ पि॑ के अिभ॒हण क॥ तारीख से एक मास का अवसान न हो गया हो, या उस पर ठकसी अिधकार का दावा करने वाले ﾝ यि॒ क॥, यठद कोई हो, या ऐसे सा॑ य क॥, यठद कोई हो, िजसे वह अपने दावे के समथ॔न म॓ पेश करे, सुनवाई नह॓ हो जाती है तब तक ऐसा कोई आदेश नह॓ ठदया जावेगा।

िट॒पणी (1) यह धारा उस वन उपज के ﾝ ययन का ॒ावधान करती है जो शासन क॥ स॓ पि॑ नह॓ है लेठकन उसके स॓ ब३ ध म॓ वन अपराध ॒आ है, ऐसी स॓ पि॑ भी अिधहरण के यो॒ य है।

(इ॔ाािहम अकबर अली िव. रा३ य शासन व अ३ य (1963) (1) ठक. लॉ. ज. 664)

धारा 58. धारा 52 के अधीन अिभ॒हीत िवन॑ वर (Perishable) स॓ पि॑ िवषयक ॒ठ॒या - मिज॒॑॓ट धारा 52 के अधीन अिभ॒हीत और शी॒(Speedy) और ॒कृ॰ य (Natural), ॑यशील (Decay) स॓ पि॑ के िव॒य के िलये इसम॓ या इसके पूव॔अ३ त॔व॔ ट ठकसी बात के होते ॒ए भी िनद॔श दे सकेगा और आगम॒(Sale Proceeds) को इस ॒कार बरत सकेगा, िजस ॒कार वह उस स॓ पि॑ को बरतता यठद बेची नह॓ गई होती।

धारा 59, धारा 55, 56, 57 के अधीन आदेश॒ क॥ अपील -वह अिधकारी िजसने धारा 52 के अधीन अिभ॒हण ठकया है या उसकेपदीय व॔र॒ ठ॒ म॓ से कोई, या इस ॒कार अिभ॒हीत स॓ पि॑ म॓ िहतब॒ होने का दावा करने वाला कोई ﾝ यि॒ धारा 55 या 57 के अधीन पा॔रत ठकये गये ठकसी आदेश क॥ तारीख से एक मास के अ३ तर, उसके िव॒॒ अपील, उस ३ यायालय म॓ कर सकेगा िजसम॓ ऐसे मिज॒॑॓ट ॒॒ारा ठदये गये आदेश॒ क॥ अपील मामूली तौर पर होती है और ऐसी अपील कर पा॔रत आदेश अि३तम होगा।

[1]धारा 60.(1) स॓ पि॑ कब सरकार म॓ िनिहत होगी - धारा 52 केअधीन ठकसी ॒ािधकृत अिधकारी ॒॒ारा अिध॒त क॥जाने के िलये आदेिशत स॓ पि॑ धारा 52 (क) के अधीन अपील के पेश ठकये जाने पर या "॑ वे॒ेरणा" से क॥ जाने वाली काय॔वािहय॒के प॑ चात् धारा 52 (ख) के अधीन सेशन ३ यायालय के सम॑ठकये गये पुनरी॑ण क॥ काय॔वािहय॒ के प॔रणाम के अ॒ याधीन रहते ॒ए, पुनरी॑ण क॥ काय॔वाही समा॒ त हो जाने पर, सम॑ त िव॒ लंगम॒(Encumbrances) से मु॒ त होकर सरकार म॓ िनिहत होगी :

पर३ तु ऐसा िवधान (Vesting) िन॓ नानुसार होगा :

(क) जहाँ अपील ॒ािधकारी के सम॑ कोई धारा 52 (क) के अधीन अपील करने के अपील नह॓ क॥ जाती है या उसके ॒॒ारा व॒ेरणा से कोई काय॔वाही नह॓ क॥ िलए या "॑ व॒ेरणा" से काय॔वाही करनेके िलए िविनंद॔ ट कालाविध का, जाती है। अवसान हो जाने पर।

1. म.ऽ. िवधान ᐱ. 25 वषᭅ83 कᳱ धारा 7ᳱारा संशोिधत।

(ख) जहाँ धारा 52 (क) के अधीन अपील धारा 52 के अधीन पुनरीᭃण के िलये

ᮧािधकारी ᳇ारा अि᭠तम आदेश पाᳯरत ᳰकये जाते ह.ᳰक᭠तु धारा 52(ख) के

यािचका ᮧ᭭तुत करने के िलए िविनᳶदᭅ᳥ट कालाविध का अवसान होने पर।

अधीन कोई पुनरीᭃण नहᱭᳰकया जाता।

(2) जब ᳰक, यथाि᭭थित, धारा 55 या धारा 57 के अधीन ᳰकसी स᭥पि᭜त के अिधहरण के िलये आदेश पाᳯरत ᳰकया जा चुका है और ऐसी अपील के िलये धारा 59᳇ारा पᳯरसीिमत कालाविध बीत गई है, और ऐसी कोई अपील नहᱭ कᳱ गई है, या ᳰक ऐसी अपील के ᳰकये जाने पर अपील ᭠यायालय, ऐसी स᭥पूणᭅ स᭥पि᭜त या उसके ᳰकसी ᮪भाग के बारे मᱶ ऐसे आदेश कᳱ पुि᳥ करता है, तो यथा ि᭭थित, ऐसी स᭥पूणᭅ स᭥पि᭜त या उसका ऐसा कोई ᮪भाग सम᭭त िव᭨लंगम से मु᳥त होकर सरकार मᱶ िनिहत होगा।

धारा 61.अिभᮕहीत स᭥पि᭜त को िनमुᭅ᳥त करने कᳱ शि᳦ कᳱ᳞ावृि᭜त(Saving) - इसमᱶ इसके पूवᭅ अ᭠त᳞ᭅ᳥ट ᳰकसी बात कᳱ बाबत यह नहᱭ समझा जायेगा ᳰक वह रा᭔य सरकार ᳇ारा इस िनिमत सश᳥त अिधकारी को ऐसी स᭥पि᭜त को तुर᭠त िनमुᭅ᳥त करने के िनदᱷश देने से िनवाᳯरत करती है जो धारा 52 के अ᭠तगᭅत अिभᮕहीत कᳱ गई हो।

ᳯट᭡पणी

वन-अपराध मᱶᮧयु᳥त ज᭡त ᮝक को ᮧािधकारी ᳇ारा समपᳶत ᳰकए जाने के आदेश मᱶ उᲬ च ᭠यायालय ᳇ारा िविधवत ह᭭तᭃेप नहᱭᳰकया जा सकता है। (मोह᭥मद आिशक िव. महारा᳦ रा᭔य 2009 (1) C.C.S. (88)।

धारा 62.दोषपूणᭅ अिभᮕहण के िलये द᭛ड - कोई वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी तंग करने के िलये और अनाव᭫यक ᱨप से ᳰकसी स᭥पि᭜त का अिभᮕहरण इस बहाने से करता है ᳰक ऐसी अिभᮕहीत स᭥पि᭜त अिधहरणीय है, वह उस अविध के िलये कारावास से जो ₹(एक वषᭅ) तक का हो सकेगा या जुमाᭅने से जो ₹(एक हजार ᱨपये) तक का हो सकेगा या दोन से द᭛डनीय हो सकेगा।

धारा 63.वृᭃ एवं इमारती लकड़ी पर िच᭠ह के कूटकरण (Counter feiting) और िवᱨपण (Defacing) करने और सीमा-िच᭠ह को बदलने के िलये शाि᭭त- जो ᳞ि᳥ᳰकसी लोक (Public) या ᳞ि᳥ को हािन पᱟँचाने या ᭃित पᱟंचाने या भारतीय द᭛ड संिहता (1960 का 45) मᱶ यथा - पᳯरभािषत सदोष (Wrongful) लाभ के आशय से -

(क) जानबूझकर ठकसी इमारती लकड़ी या खड़े वृ ि पर लगे ठकसीऐसे िच३ ह का कूटकरण करेगा िजसे वन अिधकारी यह उपदिशत करने के िलए ोयोग करते ह.ठक ऐसी इमारती लकड़ी या वृ ि सरकार क या ठकसी ि यि कसे पितत है, या उसे, ठकसी ि यि ारा िविधत: काटा या हटाया जा सकेगा, या

(ख) ठकसी वन अिधकारी या उसके िनदश के अ३ तगत ठकसी वृ ि या इमारती लकड़ी पर लगाये ठकसी ऐसे िच३ ह को बदलेगा, िवूिपत करेगा या िमटायेगा, या

(ग) ठकसी वन या पड़त भूिम (Waste Land) के, िजस पर इस अिधनियम के उपब३ ध लागू होते ह. सीमा िच३ ह को बदलेगा (Alters), सरकायेगा (Moves), न ट करेगा (Destroys) या िवूिपत (Deface) करेगा वह कारावास से िजसक अविध ।[6 मास]से कम नह होगी और दो वष तक हो सकेगी या जुमाने से जो ०. 5000/- (पांच हजार तक) या दोन से दि डत हो सकेगा :

ट पणी : (1) भारतीय द ड संिहता क धारा 23 म सदोष लाभ (Wrongul gain) क िन न पिरभाषा दी है -

"सदोष लाभ अथात् गैर-कानूनी ूप से अजत स पि िजस पर लाभ पाने वाले ि यि का कानूनी हक नह होता।"

(2) भारतीय द ड संिहता क धारा 28 म कूटकरण (Counter feit) क िन न पिरभाषा दी है -

"एक ि यि ारा कूटकरण ठकया गया है जब कहा जायेगा जो एक व तु ऐसी बनाता है जो दूसरे के समूप (Resemble) हो, और इस समूपता से उसका उ य धोखा देने का हो या वह जानता हो ठक इस ोकार धोखा देने का काय हो सकता है।"

---

2. म.ो. िवधान 9 वष1965 धारा ारा संशोिधत।

1. िवधान मांक 7 वष2010ारा संशोिधत।

ट पणी : (2) इस धारा के अ३ तगत ठकये अपराध का वन अिधकारी ारा धारा 68 के अ३ तगत शमन (Compounding) नहठकया जा सकता है।

ट पणी : (3) इस िच३ ह से अिभोेत वन भूिम क बाहरी सीमा के अितिर त वन सीमा के अ३ दर क सीमा से भी है जो यह ोदिशत करे या पृथक् करे ठक ठकस खंड के वृ ि िगराये जाने ह.। जैसे काटने वाले कूप क सीमा िच३ ह। (देख AIR 1943नागपुर, पृ ठ 139-140)

धारा 64. वारंट के िबना िगर तारी करने क शि

(1) ϑकसी ऐसे ͩ यि को, िजसके िवϧ या युिय त सϦ देह िवमान है ϑक वह एक मास या उससे अिधक के कारावास से दड नीय ϑकसी वन अपराध से सबंिधत (Concerned) है कोई वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी िबना ϑकसी मिजϾेट के आदेश के या िबना ϑकसी वार ट के िगरतार कर सकेगा।

(2)इस धारा के अधीन िगरतार करने वाला हर अिधकारी िबना ϑकसी अनावयक िवल ब के और बधप पर िनमुत करने सबधी अिधिनयम के उपबध के अधीन रहते ϩए िगरतार ϑकये ͩ यि को ऐसे मिजϾेट के, िजसे इस मामले मअिधकाϕरता ाोत है, के समिया िनकटतम पुिलस टेशन के भारसाधक अिधकारी के पास ले जावेगा या भेजेगा।

(3) इस धारा ϑकसी बात कबाबत यह नहसमझा जावेगा ϑक वह ऐसे कायके िलए जो अयाय 4 के अधीन अपराध ह., तब तक ϑक धारा 30 के खड (ग) के अधीन ऐसा काय ितिष न कर ϑदया हो।

(1) ϊटपणी - यϑद कोई लाटेशन वाचर ϑकसी ͩ यि को संदिित वन मिनिष वृि काटते देखता है, तो उसको वृिक रिा ϑक िनिमत उस ͩ यि को पकड़ना पड़ेगा तथा यह माना जावेगा ϑक लाटेशन वाउचर भा.व.अ. कधारा 2(2) के अतगत "वन अिधकारी" है।

नोट : लाटेशन वाचर के कजे से छूट भागना धारा 224 IPC के अतगत अपराध है, साथ ही लाटेशन वायर को चोट पϩँचाना धारा 332 भा. व. द. िव. के अतगत अराध है।

(अदुल अजीज िव. यूिनयन टेरीटरी िपुरा 1963(1) CRI LJ 558)

धारा 65. ϑकसी िगरतार ͩ यि को बधप पर िनमुत करने कशि : वन िेपाल (Forest ranger) से अिन न पंि को कोई वन अिधकारी िजसने या िजसके अधीन थ ने, धारा 64 के उपबध के अधीन ϑकसी ͩ यि को िगरतार ϑकया है, ऐसे ͩ यि को उसके ारा यह बधप िन पाϑदत ϑकये जाने पर िनमुत कर सकेगा ϑक यϑद या जब ऐसी अपेिा कजावेगी, तो और तब म. मामले के मारे मअिधकाϕरता ाोत मिजϾेट के समिया िनकटतम पुिलस टेशन के भारसाधक अिधकारी के समिउपिथत हो जाऊँगा।

धारा 66. अपराध का ϑकया जाना िनवाϕरत करने कशि - हर वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी ϑकसी वन िवषयक अपराध के ϑकये जाना को िनवाϕरत करेगा और उसे िनवाϕरत (Prevent) करने के योजन के िलये हतिेप कर सकेगा।

1धारा 66-क. अपराध का यन या दुेरण - कोई ͩ यि, जो इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाए गए िनयम के ϑकहउपबध का उलंघन करने का यन करेगा या उसके उलंघन करने का दुेरण करेगा, उसके बारे मयह समझा जाएगा ϑक उसने ऐसे उपबंध या िनयम का उलंघन ϑकया है।"

धारा 67. अपराध□ का संिर्◌ाा त िवचारण (Summary Trial) करने कऽ शि□ - िजला मिजःटेट या राज्य सरकार ारा िनिमत िवशेषतया सश□ त कोई ूथम वगर् मिजःटेट, दण्ड ूबया संिहता, 1898 (1898 का 5)के अधीन ठकसी ऐसे वन िवषयक अपराध का सिर्◌ाा ततः िवचारण कर सकेगा जो .... 2(एक वषर्) से अनिधक कारावास या ....2(एक हजार ॽपये) से अनिधक जुमार्ने से या दोन□ से दण्डनीय है।

---

1. म.ू. िवधान . 7 वषर्2010 ारा संशोिधत ।

2. म.ू. िवधान . 9 वषर्1965 ारा संशोिधत ।

धारा 68. अपराध□ का ूशमन करने कऽ शि□ - राज्य सरकार, राजपऽ मझ अधिसूचना ारा ठकसी वन अधिकारी को शि□ूदान कर सकेगी ठक वह -

1(क) ठकसी ऐसे ्यि□ से, िजसके िवॽ□ या युि□यु□ त सन्देह िवमान है ठक उसने धारा 62 या धारा 63 मझ िविनंदर्ष्ट अपराध से िभन्न कोई वन अपराध ठकया है, उस अपराध के िलए, िजसके बारे मझ यह सन्देह है ठक उसने ऐसा अपराध ठकया है, ूितकर के ॽप मझ कोई धनरािश ूितगृहीत करे; और

1(ख) जब कोई सम्पि अधिहरण ठकए जाने के दाियत्वाधीन होने के कारण अधिगृहीत कर ली गई है, तब समुिचत ूािधकारी ारा अधिहरण का आदेश पािरत ठकए जाने के पूवर् ऐसे अधिकारी ारा यथा ूा□ किलत उसके मूल्य का संदाय कर ठदए जाने पर, उस सम्पि को िनमु□ त करे।

1(2) ऐसे अधिकारी को, यथािःथित ऐसी धनरािश या ऐसे मूल्य, या दोन□ का संदाय ठकए जाने पर, संिद□ध ्यि□ को, यठद वह अिभरर्◌ाा मझ है, उन्मोिचत कर ठदया जाएगा, और अिभगृहीत कऽ गई सम्पि, यठद कोई हो, िनयुर्□ त कर दी जाएगी तथा ऐसे ्यि□ या ऐसी सम्पि के िवॽ□ आगे कोई कायर्वाही नहीं कऽ जाएगी।

1(3) कोई भी वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सश□ त नहीं होगा जब तक ठक वह रझजर कऽ पंि□ से अिनम्न पंि□का वन अधिकारी नहीं है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ूितकर के ॽप मझूितगृहीत धन कऽ रािश ठकसी भी मामले मझ वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी :

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले मझ िजसके संबंध मझ कोई अपराध ठकया गया है, और जो सरकार कऽ सम्पि नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले मझ िजसका मूल्य एक हाजार ॽपये से कम है तथा यठद अपराधी ने ूथम बार अपराध ठकया है, तो संठद□ध ्यि□ को उन्मोिचत ठकया जा सकेगा और अिभगृहीत कऽ गई सम्पि, (वन उपज से िभन्न), यठद कोई है, दस हजार ॽपये कऽ रािश के संदाय पर या अिभगृहीत सम्पि के मूल्य

पर, जो भी कम हो, िनमुk्त क§ जा सकेगी, अिभगृहीत वनर उपज केवल तभी िनमुk्त क§ जा सकेगी जब वह यथािंथित सरकार क§ स~ पि◌ नह℗ है या जब उसके मू़ य का संदाय कर ठदया जाता है।"

22. रा३ य शासन धारा 68 के अ३ तगkत वन अपराध का शमन (Compound) करने के िलये िन~ न अिधकाधरय को अिधकृत करती है -

(i) सम त कले टर, ए िजा अिज टट किम नर और तहसीलदार।

(ii) सम त वन संर ोक, उप वन संर ोक, सहायक वन संर ोक, अित. सहायक वन संर ोक, तथा वन ोे ुपाल िजनका मािसक वेतन 100/-ए. से कम न हो तथा उसक§ सेवा वन ोे ुपाल के ॠप म दस वषk से कम न हो।

पर३ तु :

(अ) अिधनियम क§ धारा 79 के अधीन अपराध सके स~ ब३ ध मअिधकार का उपयोग केवल कले टर, वन संर ोक या वन म ड़ल के ◌ृभारी ही कर सकगे।

(ब) वन ोे ुपाल अिधकार का उपयोग तब ही कर पावगे जब उनको वन संर ोक ारा इस हेतु िवशेष ॠप से अिधकृत ठकया जावे।

(2) इस ◌ृकार ◌ृितकर के ॠप म िनधाkधरत रािश पुनरीोण म िन~ नानुसार अिधकाधरयारा घटाई जा सकेगी -

(अ) िजला¶ योारा, यठद िनयम क§ उपधारा (i) म िनधाkधरत करने वाला अिधकारी पद म िजला¶ यो से िन~ न ह।

(ब) वन संर ोक ारा, यठद रािश का िनधाkरण करने वाला अिधकारी वरन म ड़ल का ◌ृभारी अिधकारी हो।

(स) वन म ड़ल के ◌ृभारी अिधकारी ारा यठद रािश का िनधाkरण उस अिधकारी ारा ठकया गया हो जो उसके अधीन हो।

धटो पणी (1) ऐसे वनअपराध िजसम आधरोत वन म अवैध ॠप से वृो कटाई का आरोप हो तो वन अिधकारी, जो रा३ य शासन ारा ◌ृािधकृत हो, ऐसे अपराध का राजीनामा कर सकता है तथा लिकडय का बाजार मू़ य वसूल कर सकता है - (देख म. ◌ृ. लॉ जनरल 1957 पृ ठ 622 वीर ×संह गौड़ िवए म. ◌ृ. शासन)

---

1. म.◌ृ. िवधान ॠ. 7 वषk2010ारा संशोिधत ।

2. फारे ट मे३ युअल के अ¶ याय XV, पैरा 80 नोधटठफकेशन नं. 161-910-XV ठद. 15.2.32 ।

धारा 69. यह उपधारा ऽक वन उपज सरकार कइ है - जबऽक इस अिधनियम के अधीन कइ गई कायङ्गवाही मᲂ या इस अिधनियम मᲂ या इस अिधनियम के अधीन ऽकये गये ऽकसी कायङ्ग के पहरणामᲃ व३प ऐसा ूᲃ न उठता है ऽक या वन उपज सरकार कइ है या नहᱭ, जब तक ऽक ूितकूल सािबत न कर ऽदया जावे, यह उपधारणा कइ जायेगी ऽक यह सरकार कइ स᭥ पि᳇ है।

अ᭟ याय 10

पशु अितचार

धारा 70 पशु अितचार अिधनियम, 1871 का लागू होना - ऽकसी आरिᭃत वन मᲂ या ऽकसी संरिᭃत वन के ऽकसी ूभाग मᲂ, जो िविध पूवङ्गक (Lawfully) चरागाह के िलये ब३ द ऽकया गया है, अितचार करने वाले पशु को, पशु अितचार िनयम 1871(1871 का 1) धारा 11 के अथङ्ग मᲂ लोक बागान (Public Plantation) को नुकसान करने वाला पशु समझा जावेगा और ऽकसी वन अिधकारी ᳇ारा या पुिलस अिधकारी ᳇ारा अिभᮕहीत (Seized) और पहरब(Impound)ऽकया जस सकेगा।

धारा 71. इस िनयम के अधीन िनधाङ्गहरत जुमाङ्गन को बदलने कइ शि - रा३ य सरकार राजपᮢ मᲂ अिधसूचना ᳇ारा िनदᱷश दे सकेगी ऽक पशु अितचार अिधनियम, 1871 (1871 का 1) कइ धारा 12 के िनयत जुमाङ्गने के बदले इस अिधनियम कइधारा 70 के अधीन पहरब हर पशु के िलये ऐसा जुमाङ्गना उᮕहीत (Levied)ऽकया जावेगा जैसा वह ठीक समझती है ऽक३ तु वह िन᳜ निलिखत से अिधक नहᱭ होगा -

1(i) ू᭜ येक हाथी के िलये .... एक हजार ᱧपये

1(ii) ू᭜ येक ऊँट के िलये .... दो सौ पचास ᱧपये

1(iii) ू᭜ येक भ.स के िलये .... एक सौ ᱧपया

1(iv) ू᭜ येक घोड़ा, खᲃ सी ट᭗टू .... एक सौ ᱧपया

बछेड़ा, बछेड़ी, ख᭒ चर, सांग, बैल, गाय या बछड़ी (Heifer)

1(iv) ू᭜ येक बछड़े (call) गधा सुअर, मेढ़े, मेटी, मेमने, बकरी या उसके मेमने .... पचास ᱧपये

1नोट - पर३ तु पहरबता कइ कालाविध के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खचङ्ग वन म᭛ डलािधकारी ᳇ारा जुमाङ्गन के अितहर त िनयत कइ गई ूचिलत दर पर वसूलीय होगा।

नोट - पशु अितचार िनयम अलग पहरिश᳥ ट मᲂऽदया है।

---

1. म.ू. िवधान ᮓ. 7 वषङ्ग2010᳇ारा संशोिधत ।

अ᭟ याय 11

वन अिधकाɛरय के स᳇बᲂध मᱶ

धारा 72. राᲯ य सरकार वन अिधकाɛरय के कितपय शि यॉं िविनिहत कर सकᱶगी -

(1) राᲯ य सरकार ᳰकसी वन अिधकारी मᱶ िन᳜ िनिलखत सब शि यॉं या उनमᱶ से कोई शि िविनिहत कर सकेगा, अथाᭅत् -

(क) ᳰकसी भूिम पर जाने और उसका सवᱷᭃण, सीमांकन या न शा तैयार करने कᳱ शि ।

(ख) सािᭃय को हािजर होने के िलये और द᭭ तावेज (Documents) एवं सारवान् (Material) व᭭ तु को पेश करने के िलये िववश करने वाल िसिवल ᭠ यायालय कᳱ शि ।

(ग) दᲁ ड ᮧᳰᮓया संिहता (1988) के अधीन तलाश वारᲁ ट िनकालने कᳱ शि और

(घ) वन िवषयक अपराध कᳱ जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान साᭃ य लेने और उसे अिभिलिखत करने कᳱ शि ।

(2) उपधारा (1) के खᲁ ड (घ) के अधीन अिभिलिखत कोई साᭃ य मिजᭅᮝेट के सामने पᲂ चा०वतᱮ िवचारण मᱶᮕा होगा यᳰद वह अिभयु त ᳞ यि कᳱ उपिᭅथित मᱶ िलया गया हो।

धारा 72 के अ᭠ तगᭅत बने िनयम - (नोटीᳰफकेशन नं. 1126ᳰद. 22-11-1911)

राᲯ य शासन समᭅ त वन अिधकाɛरय को जो वन मᲁ डल के ᮧभार मᱶ है, और समᭅ त सहायक वन संरᭃक को, (िज᭠ह ने फारेᭅ ट कोड कᳱ धारा 40 मᱶ िनधाᭅɝरत वन िविध कᳱ परीᭃा पास कर ली है) धारा 72 के अ᭠ तगᭅत समᭅ त अिधकार उनके ᮧभाग-ᭃेᮢ मᱶ उपयोग करने हेतु अिधकृत करती है। साथ ही समᭅ त पɝरᭃेᮢ अिधकारी एवं सहायक पɝरᭃेᮢ अिधकारी िज᭠ हᱶ वन अपराध कᳱ जाँच हेतु अिधकृत ᳰकया गया है, सािᭃय को हािजर होने के िलये समन जारी करने हेतु अिधकृत करती है।

साᭃ य को भोजन ᳞ यय (Diet money) का भुगतान - वन अिधकाɛरयᲂᲂारा कᳱ जा रही वन अपराध कᳱ जाँच मᱶउपिᭅथत होने वाले साᭃ य कᳱ वन-मᲁ डलािधकारी ᳇ारा भोजन ᳞ यय का भुगतान ᭭ थानीय ᭠ यायालय मᱶᮧचिलत दर से, या िजला᭟ यᭃ ᳇ारा िनधाᭅɝरत दर पर कर सकता है।

ɩटᱶ पणी (1) धारा 72 के अ᭠ तगᭅत वन अिधकारी ᳇ारा अिभयु त के समᭃ तथा उसका ᮧितपरीᭃण का अवसर ᮧदान करने के बाद िलये गये साᭃ य, दिᲁडक ᮧकरण के िलये मह० वपूणᭅ साᭃ य है जो दᲁ डािधकारी के समᭃᮧयोग ᳰकये जा सकते ह.।

(ज.लॉ.जनᭅल 1960ɩटᱶ पणी 160, स᭯ जन ᳲसंह िव. म. ᮧ. राᲯ य)

(2) ऐसे वन अिधकाɛरय को िज᭠ हᱶ धारा 72 के अ᭠ तगᭅत ᮧािधकृत ᳰकया गया हो, जाँच पड़ताल, के अिधकार ह. तथा बयान शपथ पर िलिपब करने का अिधकार है।

(3) इस धारा के अ३ तगऻत रा३ य शासन ीĀारा ◌ा◌िधकृत वन अधिकाĘरय◌ं को १ यवहार ◌ाĖया संि◌हता, 1908 तथा अब १ यवहार ◌ाĖया संशोधन अिधनियम, 1976 के अ३ तगऻत १ यवहार ३ यायाधीश के वे अिधकार समाि◌व◌् ट Ėकये गये ह. जो १ यवहार ◌ाĖया संि◌हता के अ३ तगऻत साि◌ि◌य◌ं को आ७त करने तथा लेख ◌ा◌ं तुत करने का है तथा अ३ य त० समय ◌ा◌वधान सि◌मिलत है।

धारा 73. वन अिधकाĘरय◌ं को लोक सेवक समझा जावेगा - सभी वन अिधकाĘरय◌ं को भारतीय द◌् ड ि◌वधान संि◌हता (1860 का 45) के अ३ तगऻत लोक सेवक समझा जायेगा।

1धारा 74 स◌ं◌ावपूवऻक Ėकये गये काय◌ं के ि◌लये पĘर◌् ◌ाण -

इस अिधनियम के या उसके अधीन बनाये गये ि◌नयम◌ं या Ėकसे गये आदेश◌ं के अधीन सद्भावनापूवऻक कऽ गई या 2इस ◌ाकार कऽ जान७ सेछोड़ दी गई Ėकसी बात के ि◌लये Ėकसी लोक सेवक के ि◌व९◌ं कोई वाद, अभियोजन या अ३ य ि◌विधक कायऻवाही नह८ होगी।

Ęट◌ पणी - (1) सद्भावनापूवऻक कऽ पĘरभाषा भातीय द◌् ड ि◌वधान, 1860 कऽ धारा 52 म७ दी है। ि◌जसके अ३ तगऻत कोई बात "सद्भावनापूवऻक " कऽ गई या ि◌व◌ं वास कऽ गई नह८ कही जाती यĖद वह स◌् यक् ◌् यान के ि◌बना कऽ गई या ि◌व◌ं वास कऽ गई हो।

(2) ए.आई.आर. 1960 उड़ीसा 151(163) पर यह ◌ाि◌तपाĖदत Ėकया है Ėक "सद्भावनापूवऻक" कायऻ का ि◌वचार अभियु◌ं त कऽ ि◌◌ं थित तथा Ėकन पĘरि◌◌ं थितय◌ं म७ उसने कायऻĖकया है उसके स◌् ब३ ध म७ देखा जाना चाि◌हए।

Ęट◌ पणी

वन अपराध म७३ यायालय ीĀारा उसका सं◌ान ि◌लए जाने पर इस धारा के ◌ा◌वधान ◌ायो३ यनीय ह.। (योगेश ि◌व. योगे३◌ं वग९. ि◌व. म.◌ा. रा३ य वग९. 2013(1) म.◌ा.लॉ.ज. 498 (खंडपीठ म.◌ा. = 2013 (1) म.◌ा.वी.नो. 172 (खंडपीठ म.◌ा.)।

धारा 75. वन अिधकारी १ यापार नह८ कर७गे - रा३ य सरकार कऽ ि◌लिखत अनु◌ि◌ के ि◌बना कोई वन अिधकारी, माि◌लक या अिभक० ताऻ के ९प म७ इमारती लकड़ी या अ३ य वन उपज का १ यापार नह८ करेगा, या Ėकसी वन के प◌ं (Lease) म७ या वन के ठेके म७ ि◌हतब◌ं नह८ होगा या बनेगा चाहे वे उन रा३ य ◌ि◌◌ं ० के, ि◌जन पर यह ि◌नयम ि◌न◌ं ताĘरत होता है, अ३ दर हो या बाहर हो।

धारा 76. ि◌नयम बनाने कऽ अितĘर◌ं त शि◌याँ - रा३ य ि◌न◌् निलिखत के ि◌लये ि◌नयम बना सक७गी -

(क) इस अिधिनयम के अधीन ठकसी वन अिधकारी को शि□याँ या क० तभ्ण्१ य□ को िनिहत व सीिमत करने के िलये।

(ख) इस अिधिनयम के अधीन जुमाभ्णना और अिधहरण के आगम□ म७ से अिधकाहरय□ और सूचना देने वाले पुर☉ कार□ का िविनयमन करने के िलये।

(ग) सरकार के वृ☉० और इमारती लकड़ी का जो ◌ृायवेट १ यि□य□ क॰ भूिमय□ म७ उगे ७ए ह. या उनके अिधप० य म७ है, के संर☉ण पुनरो० पादन, और १ ययन करने के िलये, और

(ग-क) इस अिधिनयम क॰ धारा 53 के अधीन अिभगृहीत स◡ पि७ को िनमुभ्ण□ त ठकए जाने के िलए दी जाने वाली ◌ृितभूित का ◌ृा९प िविहत करने के िलए,

(ग-ख) इस अिधिनयम क॰ धारा 80-ए क॰ उपधारा (3) के अधीन वन पदािधकारी के आदेश के िव९□ रा३ य शासन को या इस िनिम० त रा३ य शासन ☰☰ारा ◌ृािधकृत ऐसे पदािधकारी को अपील करने क॰ कालाविध और रीित िविहत करने के िलए,

(घ) साधारणत: इस अिधिनयम के उपब३ ध□ को ठ☐यािवत करने के िलये।

धारा 76. के अ३ तगभ्णत बने िनयम - अिधसूचना ☐. 130-130-484-XVठद. 31.1.28☐. 624-625-341-XVठद. 12-6-28 एवं ☐. 78-XV-ठद. 12-6-29

(धारा 76 (क) एवं (ख) के अ३ तगभ्णत)

(1) सम☉ तवन संर☉क, सम☉ त कले□ टर, अिस☉ टे३ ट किम☉ नर, उप वन संर☉क, सहायक वन संर☉क, अितहर□ त सहायक वन संर☉क (अब सहायक वन संर☉क) (चाहे वे पहरवी☉ाधीन (Probation) ह□ या अ३ यथा) तहसीलदार, वन ☉े☉ुपाल, उप वन ☉े☉ुपाल, वनपाल, वनर☉क, (चाहे वे अ☉ थाई िनयुि□ पर ह□, या ☉ थाई) को इस अिधिनयम के अ३ तगभ्णत सम☉ त कायभ्ण करने एवं अिधिनयम म७ठदये वन अिधकाहरय□ के अिधकार□ का उपयोग करने हेतु िनयु□ त ठकया जाता है।

---

1. म॥ य ◌ृदेश अिधिनयम 9, वषभ्ण1965☰☰ारा संशोिधत।

2. म. ◌ृ. िवधान ☐. 25 वषभ्ण1983☰☰ारा पुन: संशोिधत।

(2) िन◡ न तािलका म७◌ृथम कॉलम म७ठदये अिधकारी उनके आगे कॉलम 2 एवं 3 म७ दशाभ्णये अिधकार□ का उपयोग कर७गे :

	अिधकारी का वगभ्ण	धारा	अिधकार का सं☉☉ त उ५ लेख
	(1) (2)	(3)	
(1)	सम☉ त उपवन संर☉क तथा सहायक वन	21	आिर☉त वन क॰अिधसूचना के ९पा३ तरण

संरिक्षक जब वे वन मण्डल के प्रभार में हो।

26(1) (c)ऐसी अविध (Season) की अधिसूचना जारी करना जब

वन में आग जलाना प्रतिबन्ध न हो।

45 (2) बहती हुई (Drift timber) लकड़ी के डिपो घोिषत करना।

46 ब हती हुई लकड़ी के दावेदार को सूचना देना।

47 बहती लकड़ी के दाव को िनपटाना।

50 बहती लकड़ी के सम्बन्ध में भुगतान लेना।

61 जप्त सम्पत्ति को छोड़ने के िनर्देश देना।

83 (a) शासकीय बकाया धन की वसूली के िलये वनोपज का बेचना।

80 'A' आरिक्षत एवं संरिक्षत वन की भूिम पर से अवैध कब्जेदार

(2) समस्त िजलाध्यक्ष(Collectors), उप वन संरिक्षक, सहायक िजलाधीश (Asstt. Collector) उप-िजलाधीश (Dy Collectors) सहायक वन संरिक्षक, उप वन मण्डलािधकारी, तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, पिरक्षेत्र अधिकारी, तथा उप वन क्षेत्रपाल तथा वनपाल जब वे वन संरिक्षक द्वारा िवशेष, रूप से अधिकृत हो।

26 (2) (a) धारा 26 (1) में प्रतिबिन्धत कार्य की अनुमित देना।

(3) िडपो जाई (Device) के

41, 62 म. प्र. ग्रािमजट रूल 1961 की धारा 14 के अधीन थािपत करना जहाँ वनोपज परीक्षण, हैमर लगाने एवं वसूल होने योग्य रकम का िनधार्रण करने हेतु ले जावेगी। म.प्र. ग्रािमजट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रिजस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना।

52-(A) धारा 52(3) के अधीन प्रािधकृत अधिकारी द्वारा पािरत आदेश पर अपील या Suo-moto कार्यवाही करना।

(4) समस्त वन संरिक्षक, वन मण्डलािधकारी, उप वन मण्डलािधकारी, या उपरोक्त अधिकािरयों द्वारा िलिखत में अधिकृत

41 म.प्र. ग्रािमजट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रूल 1961 की धारा 4(1)

42 (A) तथा उसके प्रावधानों के अन्तर्गत शासन की वनोपज

(जो ϑकसी ︷यिं कऽ न हो) के पιरवहन के िलये Ͼािзजट

︷यिं।

पास जारी करना।

(5) समੇ त उप वन संरिक्षक, वन संरिक्षक या 72 (a) अपने-अपने ◌ृभार ि◌ে◌ु मঌ -

उप वनमਘु डलािधकारी िजз हिने शासन (1)ϑकसी जमीन पर ◌ृवेश करने, उसका

सवϑि◌ण,

ीारा िनधाਜιरत िवभागीय परीि◌ा मঌ'वन

सीमांकन करने या उसका नि शा बनाना। िविध कऽ परीि◌ा पास कऽ हो'। (2) सािੇ य कऽ

उपिੇथित एवं अिभलेख कऽ◌ृੇ तुित के

िलए िववश करने।

(6) समੇ त वन ि◌े◌ुपाल, पιरि◌े◌ु अिधकारी, 72 (b) सािि◌यि को बुनाने हेतु समन जारी करने

का अिधकार।

उप वन ि◌े◌ुपाल या िपरि◌े◌ु सहायक,

िजз हঌ वन अपराधि कऽ जाँच हेतु अिधकृत

ϑकया गया हो।

(7) समੇ त उप वन संरिक्षक, वन 83 (1) शासन कऽ बकाया रािश कऽ वसूली के िलये वनोपज

क੍ जे मਘु डलािधकारी, सहायक वन संरिक्षक,

मঌ लेना।

उप वन मਘु डलािधकारी, वन ि◌े◌ुपाल,

पιरि◌े◌ु अिधकारी, या वन संरिक्षक ीारा

िवशेष ॿप से अिधकृत पιरि◌े◌ु सहायक।

(8) कोई पुिलस वन या राजੇ व अिधकारी। 41 म. ◌ृ. Ͼािзजट (फारेੇ ट ◌ृोि◌ूज) ॿल, 1961 कऽ

धारा 24

के अз तगਜत

42

वनोपज को परीि◌ण के िलये रोकना। (9) 1. उप वन मਘु डलािधकारी (◌ृािधकृत 52

(3) धारा 52 के अз तगਜत जि त वनोपज, वाहन, नाव, रੇ सि को अिधकारी)।

राजसात् करना (confiscate)

2. वन मਘु डलािधकारी

(10) समੇ त रेटेड एवं चराई पास जारी करने 26 (2) a आरिि◌त वनि मঌ धारा 26(1) का खਘु ड (घ), (च),

(छ) मঌ

वाले वঌडर।

वৃजਜत कायि कऽ अनुमित

देना।

धारा 76 (घ) के अз तगਜत बने िनयम - अिधसूचना Ͼ. 1126ϑदनांक 27-11-1911 एवं 211ϑदनांक 12-3-1912 :

(फारेੇ ट मैз युअल पैरा 77 उ੍धृत)

(1) वन अपराध की जाँच परिक्षेत्र अधिकारी या उस परिक्षेत्र सहायक के द्वारा की जावेगी जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस हेतु अधिकृत किया हो।

साथ ही परिक्षेत्र सहायक द्वारा उसके स्वयं के पकड़े प्रकरण की जाँच तब तक नहीं की जावेगी जब ऐसा करने का विशेष, कारण न हो तथा उसे उस परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनुमित दी हो जिसका वह मातहत है।

(2) जाँच समाप्त होने पर आगे किसी अधिकारी द्वारा, बिना वन मण्डलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, जाँच नहीं की जावेगी तथा ऐसी जाँच वन क्षेत्रपाल से निम्न न अधिकारी को नहीं सौंपी जावेगी। यदि वन क्षेत्रपाल उपलब्ध न हो तो परिक्षेत्र अधिकारी को दी जावेगी। यदि अपराध, रिपोर्ट की तारीख से तीन माह पूर्व घटित हुआ हो, तो ऐसी जाँच वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वयं ही की जावेगी।

(3) वन रक्षक, अपराध का पता लगने के 48 घंटे में अपराध की रिपोर्ट समीपस्थ परिक्षेत्र सहायक या परिक्षेत्र अधिकारी को (जिन्हें रूल (1) में जाँच हेतु अधिकृत किया गया है) देगा।

(4) अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, परिक्षेत्र अधिकारी या परिक्षेत्र सहायक, जितनी जल्दी संभव हो, यदि वन परिक्षेत्र अधिकारी है तो अधिकतम एक माह तथा परिक्षेत्र सहायक है तो अधिकतम 15दिवस में जाँच पूर्ण करेगा। जाँच पूर्ण करेगा। जाँच जहाँ अपराध घटित हुआ है, या पकड़ा गया है उस स्थल या अन्य उसके पास सुविधाजनक स्थल पर की जावेगी। यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थलों पर भी जाँच की जा सकेगी यदि अपराधी का उपस्थित रहना आवश्यक न हो। पर जाँच अधिकारी तीन दिन में पूरी होना चाहिए लेकिन यह वन मण्डलाधिकारी का अधिकार है कि जाँच हेतु सन्तोषप्रद कारण दर्शाने पर आठ दिवस तक अवधि में वृद्धि कर दें। अवधि समाप्त होने पर जाँच प्रतिवेदन, रूल 7 या 8 में दर्शाये अनुसार जाँच कार्यवाही (Proceeding) के साथ प्रस्तुत कर दी जावे।

(5) इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करने वाला प्रत्येक अधिकारी, अपराध की सूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रकरण की कार्यवाही "केस डायरी" में रखेगा। वह उस डायरी में निम्न बातें उल्लेख करेगा :

(1) समय व दिनांक जब सूचना हुई।

(2) जाँच के लिये जहाँ गये वह स्थल का नाम व वहाँ की गई कार्यवाही।

(3) साक्ष्यों को बुलाने एवं कथन लेने का विवरण।

(4)अपराधी का कथन।

(5) अन्य कार्यवाही का विवरण, जो कि जैसे स्थल निरीक्षण आदि।

(5) जाँच पूणभ्ग करने कइ िितथ अंठकत करेगा वह सा॰ य के कथन लेगा तथा अपराधी का कथन लेखब करेगा व उसके ह॰ ता॰र करायेगा तथा यह ॰ प् ट करेगा ठक अपराधी ◌ुकरण मऊ राजीनामा करना चाहता है या नहठकेवल िनयम (6) कइ िॉथित को छोड़कर जाँच पूणभ्ग होने पर ठकसी ॄ यि को रोका नहठ जावेगा।

(6) सामा३ यत: अिधिनयम कइ धारा 64 के अ३ तगभ्गत ठकसी ॄ यि को तब तक िगर॒तार नहठठकया जावेगा जब तक उसका रहने का िनि त ॅठकाना हो या भागने कइ आशंका न हो। िगर॒तार ॄ यि को त० काल मिज॰ॡ◌ेट के स॑ मुख ◌ु॰ तुत ठकया जावेगा या िबना िवल॑ ब ठकये पुिलस मऊठदया जावेगा।

(7) (अ) यठद जाँच अिधकारी को ◌ुकरण का अिभसंधान (Compound) करने कइ शि है तो वह ◌ुकरण का अिभसंधान करेगा तथा ॰ितपूजूतभ्ग कइ रकम िनिअव॰ य देगा।

त करेगा, ठक३ तु कायभ्गवाही कइ सूचना वन म ्ु डलािधकारी को

(8) यठद जाँच अिधकारी ◌ुकरण के अिभसंधान हेतु अिधकृत नहठ है, या अपराधी ने राजीनामा देने से इंकार ठकया है, या उपि॰थत होने से इंकार ठकया है, या िनयम (4) मऊ िनधाभ्गॅरत अविध मऊ जाँच पूणभ्ग नहठ करवाई है तो वह ◌ुकरण मय कायभ्गवाही के िववरण के, अपने से वॅर् ठ अिधकारी के मा॒ यम से वन म ्ु डलािधकारी को ◌ु॰ तुत करेगा। जाँच ॅरपोटभ्ग के ◌ुा ्त होने पर वन म ्ु डलािधकारी आव॰ यक आदेश दऊगे। जाँच पूणभ्ग न होने पर आगे जाँच हेतु आदेश दऊगे। लेठकन यठद जाँच मऊ सात ठदन से अिधक समय लगेगा तो इसका ◌ुितवेदन िड ्ट ी किम॰ नर (िजलाधीश) को भेजा जावेगा।

केवल जब कोई ॄ यि िनयम 6 के अ३ तगभ्गत िगर॒तार ठकया गया हो, को छोड़कर ठकसी ◌ुकरण का ३ यायालय मऊचालान, िबना वन म ्ु डलािधकारी के आदेश, नहठठकया जावेगा। चालान हेतु प३ यायाधीश को िलखा जावेगा तथा िनधाभ्गॅरत चालान फामभ्ग लगाया जावेगा। इसी ◌ुकार िनयम 6 मऊ िगर॒तार ॄ यि का भी चालान बनाया जावेगा।

पैरा 77 (ब) िवभागीय आदेश ॣ. 1012-E-196ठदनांक 27-4-28 ।

केस डायरी के िलये िन॑ न फामभ्ग◌ुयु त ह ्गे :

अंॻेजी	िश ्ल IX	89
िह३ दी	"	99

सम॰ त अिधकारी जो ◌ुकरण का अिभसधान करऊगे "फारे॰ ट केस रिज॰ टर" मऊ िववरण रखऊगे। यह रिज॰ टर िश ्ल IXके फामभ्ग8 पर होगा। इस रिज॰ टर के िन॑ न िववरण ह ्गे :

(1) अनुдमांक (Serial Number)

(2) अपराध होने का पी.ओ.आर. न‿बर तथा ѕदनांक

(3)ѓरपोटӪ होने का या िशकायत या पता लगाने का ѕदनांक।

(4) अपराधी का नाम, िपता का नाम, िनवास-ӧथान एवं अपराधी का सामािजक ӧतर।

(5) चोरीके ॒करण मЮ वनोपज का मू५य या वन हािन के ॒करण मЮ हािन का मू५यांकन।

(6) जाँच का संिॕ८त िववरण व पाѓरत आदेश।

(7) अिधकारी के हӧतािॕर।

॒० येक ॒करण के िनणӪय पर िनणाӪयक अिधकारी के ѕदनांѕकत हӧतािॕर ह֖गे।

यह रिजӧटर वन मѿडलािधकारी ǔारा ॒० येक जनवरी, अ॒ैल, जुलाई व अ֒टूबर कѕ15 तारीख को िजले के कले֒टर को ॒ेिषत ѕकया जावेगा।

नोट : राजबाड़े सिमित के ॒ितवेदन पर शासन ने इस रिजӧटर को कले֒टर को ॒ӧतुत करने कѕ आवӬयकता समा८त कѕ। (फारेӧट कैЗयुअल पैरा 77(a) के अЗतगӪत)

धारा 77. िनयम֖ के भंग के िलये शािӧतयाँ - इस अिधिनयम के अधीन ѕकसी िनयम को, िजसके उ५लंघन के िलये कोई िवशेष शािӧत उपबिЗधत नहӄ है, भंग करने वाले ӎयि֒ को ऐसी अविध के कारावास से जो 2(छ: मास) तक का होगा और जुमाӪने से जो 1(पЗॅह हजार) Ѳपये तक हो सकेगा या दोनो से दѿडनीय होगा।

धारा 78. िनयम֖ को िविध का बल ॒ा८त होना - इन िनयम के अधीन राЗय सरकार ǔारा बनाये िनयम राजप֡ मЮ॒कािशत ѕकये जावЮगे और तदुपѓर, जहाँ तक वे इस अिधिनयम से सुसंगत ह., वहाँ तक वे इस ॒कार ॒भावशाली ह֖गे मानो वे इसमЮ अिधिनयिमत ѱए ह.।

---

1. वन अिधिनयम д. 7 वषӪ2010ǔारा संशोिधत।

2. वन अिधिनयम 9 वषӪ1965ǔारा संशोिधत।

अ҆याय 12

॒कѕणӪ(Miscelleneous)

धारा 79. वन अिधकाιरय□ एवं पुिलस अिधकाιरय□ को सहायता देने को आब□ ⁊ यि□ - (1) हर ऐसा ⁊ यि□, जो ϑकसी आरिϔत या संरिϔत वन मϑϑकसी अिधकार का ϙयोग करता है, या जो ऐसे वन से, ϑकसी वन उपज को लेने या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमϑ ढोर चराने के िलये अनु◌ ात है, और हर ⁊ यि□ जो ऐसे वन मϑϑकसी ऐसे ⁊ यि□ϔारा िनयोिजत है, और

ऐसे वन के समीपϔ थ ϑकसी ϒाम का हर ⁊ यि□ जो सरकार ϔारा िनयोिजत है या जो समुदाय ϙित कϐ जाने वाली सेवा□ के िलये सरकार से उपलिϐधयाँ पाता है, ऐसी जानकारी, जो ϑकसी वन िवषयक अपराध के ϑकये जाने के आशय कϐ उसके पास है, िनकटतम वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी को अनावϔ यक िवलϮ ब के िबना, देने के िलये आब□ होगा, और

(क) ऐसे वन मϑ वन अि□ को, िजसके बारे मϑ उसे ◌ ान या जानकारी हो बुझाने के िलये,

(ख) ऐसे वन के समीϔ य मϑϑकसी अि□ को, िजसके बारे मϑ उसे ◌ ान या जानकारी है, अपनी शि□ के अनुसार ϑकϣ हϑ वैध साधन□ϔारा, ऐसे वन मϑ फैल जाने से रोकने के िलए,

तुरϣ त कायϕवाही करेगा चाहे उसे ϑकसी वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी ϔारा ऐसी अपेϔा कϐ गई हो या नहϑ, और

(ग) ऐसे वन मϑ वन िवषयक अपराध रोकने, और

(घ) जब ϑक यह िवϔ वास करने का कारण है ϑक ऐसे वन मϑ ऐसा कोई अपराध ϑकया गया है तब अपराधी का पता लगाने और उसको िगरϖतार कराने मϑ उसकϐ सहायता माँगने वाले ϑकसी वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी कϐ सहायता करेगा।

(2) कोई ⁊ यि□, जो ऐसा करने के िलये आब□ होते ϑए भी िबना ϑकसी िविधपूणϕϙित हेतु (Law full excuse) िजसे सािबत करने का भार उसको होगा :

(क) उपधारा, (1)ϔारा अपेिϔत जानकारी िनकटतम वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी, को अनावϔ यक िवलϮ ब के िबना नहϑ देगा,

(ख) ϑकसी आरिϔत या संरिϔत वन मϑ वन अि□(Forest fire) के बुझाने के िलये उपधारा (1)ϔारा यथा-अपेिϔत कायϕवाही नहϑ करता।

(ग) ऐसा वन के सािमϔ य मϑ कϐϑकसी अि□ को ऐसा वन मϑ फैलने से नहϑ रोकेगा जैसा ϑक उपधारा (1) से आपेिϔत है, या

(घ) ऐसे वन मϑϑकसी अपराध का ϑकया जाना रोकने मϑ, या उस दशा मϑ, िजससे ϑक यह िवϔ वास करने का कारण है ϑक एसे वन मϑ ऐसा अपराध ϑआ है, अपराधी का पता लगाने और उसे िगरϖतार करने मϑ उसकϐ सहायता मांगी जाने पर ϑकसी वन अिधकारी या पुिलस अिधकारी कϐ मदद नहϑ

करेगा, वह ऐसी अविध को कारावास जो 1(छ: मास) तक क§ हो सकेगा और जुमा྄ने से जो 1(एक हजार ৯पये) एक का हो सकेगा, या दोन से, द ड नीय होगा।

ϵट७ पणी - धारा 79 इस धारा के अधीन वन अिधकारी एवं पुिलस अिधकारी को वन अपराध रोकने म७ सहयोग ॡदान करने क§ यव४ था है। ऐसी ही यव४ था भारतीय द ड ॡϐΓया संिहता, 1973 क§ धारा 37 म७ है तथा सहायता न देने वाले यि के िव৩ धारा 187 का अपराध माना गया है।

धारा 80 उन वन का ॡब३ ध जो सरकार एवं अ३ य यिय क§ संयु त स५ पि४ है -

(1) यϐद सरकार और कोई यिϐकसी वन या पड़त (Waste) भूिम म७, या उसक§ पूरी उपज या उसके ϐकसी भाग म७ संयु त िहतब है तो रा३ य सरकार या तो :

(क) उसम७ ऐसे यि को, उसके िहत के िलये लेखा देते ৠए, ऐसे वन, पड़त भूिम या उपज का ॡब३ ध अपने हाथ म७ ले लेगी, या

1. वन अिधिनयम 9 वष྄1965ᳩारा संशोिधत।

(ख) इस ॡकार संयु ततः िहतब यिᳩारा वह पड़त भूिम या उपज का ॡब३ ध करने के िलये ऐसे िविनयम जारी कर सकेगी जैसे वह उसके ॡब३ ध और उसम७ के सब पᭃकार के िहत म७ आव४ यक समझती है।

(2) जब ϐक उपधारा (1) के ख ड (ख) के अधीन सरकार ϐकसी वन या पड़त भूिम या उपज का ॡब३ ध अपने हाथ म७ लेती है, तो वह राजपᮢ म७ अिधसूचना ᳩारा यह घोिषत कर सकेगी ϐक ऐसे वन, पड़त भूिम या उपज पर अ᭟ याय 2 या अ᭟ याय 4 म७ अ३ त᳞व྄ ट कोई उपब३ ध उन पर लागू हगे और तदुपϵर ऐसे उपबंध त᭠नुसार लागू हगे।

1धारा 80 (अ) अनिधकृत ৯प आरिᭃत या संरिᭃत वन क§ भूिम पर क᭣ जा रखने के िलये शाि४त -

(1) ऐसे ᭃेᮢ क§ भूिम जो धारा 20 या 29 के अधीन आरिᭃत या संरिᭃत वन है के ϐकसी भूख ड पर कोई यि अनिधकृत ৯प से क᭣ जा करता है या क᭣ जे म७ रखता है, जैसा भी हो, इस अिधिनयम के अनतग྄त उसके िव৩ अ३ य कोई काय྄वाही जो क§ जा सकती है, पर ॡितकूल ॡभाव डाले िबना, वन अिधकारी, जो वन म डलािधकारी के पद से िन५ न न हो, के आदेश ᳩारा, संिᭃ᳙ त ৯प से (Summarily), बेदखल (Ejected) ϐकया जा सकता है और उस पर खड़ी फसल, या भवन, या अ३ य जो उस भूिम पर बनाया हो (Constructed), यϐद अिभयु त ᳩारा, वन म डलािधकारी ᳩारा िनयत अविध म७ नहϊ हटाई जावे, तो ऐसी ि४थित म७ वे सभी राजसात् (Forefeiture) यो य ह. :

पर३ तु ऐसे बेदखली आदेश, उपरो त उपधारा के अ३ तगᲈत, जब तक पाᳯरत नहĽϐकये जावᱶगे तब तक ϐक ऐसे ᮧ तािवत बेदखली ϐकये जाने वाले ᳞ िय को, समुिचत कारण बतलाये जाने का अवसर ᮧदान न ϐकया गया है ϐक उपरो त आदेश य न पाᳯरत ϐकये जावᱶ?

(2) ऐसी स पि, जो राजसात् कᳱ गई हो, का ᳞ ययन (Disposal) वन अिधकारी के आदेशानुसार होगा। ϐकसी भी फसल, भवन या अ३ य िनमाᲈण कायᲈ, जो भूिम को मूल ि थित मᱶ लाने के िलये हटाये जावᱶगे, उसक सम त ᳞ यय उस ᳞ िय से धारा 82 के अ३ तगᲈत ϐदये ᮧावधान से वसूली यो य होगा।

(3) कोई ᳞ िय, जो वन अिधकारी कᳱ उपधारा (1) के अ३ तगᲈत पाᳯरत आदेश से अस३ तु ट है, व ऐसी रीित या समयाविध मᱶ (जो िनि चत कᳱ गई हो) रा३ य शासन या रा३ य शासन ᳇ारा ᮧािधकृत अ३ य अिधकारी के सम अपील कर सकता है और उ त अिधकारी का आदेश, उ त अपील के िनणᲈय के अ यधीन रहते ᱟए अि३तम होगा।

(4) इस धारा के ᮧावधान, उन े ᮢᲂ तथा उन ितिथय से ᮧवृᱫ त ह गे, जैसा ϐक रा३ य शासन िविनंदᲈ ट करे। अलग-अलग ितिथयाँ िनधाᲈᳯरत कᳱ जा सकती ह.।

म. ᮧ. शासन सूचना ᮓ. 11658/X/65 रा३ य शासन धारा 80(अ) कᳱ उपधारा (3) के अ३ तगᲈत 'उपसिचवत म य ᮧदेश शासन' को अपील अिधकारी िनयु त करता है।

म. ᮧ. शासन अिधसूचना ᮓ. 6342/X/66ϐद. 24-6-66᳇ारा शासन िबलासपुर िजले मᱶ धारा 80(अ) के ᮧावधान लागू होने कᳱ ितिथ 1 जुलाई, 1966 िनयत करता है।

म. ᮧ. शासन अिधसूचना ᮓ. 5322/X/67ϐद. 14-6-67 जो म यᮧदेश राजपᮢϐद. 20-3-67 (असाधारण) पृ ठ 640 पर ᮧकािशत म य ᮧदेश शासन िन न िजल मᱶ धारा 80(अ) कᳱ उपधारा (4) मᱶᮧदᱫ त शि य के उपयोग मᱶ लाते ᱟए ϐदनांक 20-3-1967 से उ त धारा के ᮧावधान लागू करता है।

(राजपᮢϐद. 16-6-67 पृ ठ 1814)

(1) *पूवट िनमाड़ (2) *सीधी (3) *सरगुजा (4) *सीहोर (5) *रायगढ़ (6) *दुगᲈ (7) *ब तर (8) *सागर (9) *जबलपुर (10) *बालाघाट (11) * दमोह (12) *म डला (13) *िसवनी (14) * नरᳲसंहपुर (15) *रायसेन (16) *िछ३ दवाडा(17) *होशंगाबाद (18) *बतूल (19) *शजापुर (20) *राजगढ़ (21) *िवϐदशा (22) * वािलयर (23) *िभ ड (24) *िशवपुरी(25) *मुरैना (26) *गुना (27) *दितया (28) *इ३ दौर (29) *उ३ जैन (30) *देवास (31) *धार (32) *सतना (33) *रतलाम(34) *पि मी िनमाड़ (35) *म३ दसौर (36) *रीवा (37) *प३ ना (38) *सतना (39) *शहडोल (40) *छतरपुर (41) *टीकमगढ़ (42) *रायपुर।

1.

वन िवधान ⁄. 9 वष1965 कऻ धारा 17 से धारा 80 अ जोड़ी गई ।

ꥬटЭ पणी धारा 80-(A) (1)

(1) धारा 80 (A) के अधीन बेदखली होने वाला ꥻЭꥼ धारा 20 या 29 के अधीन आरꥻЭत या संरꥻЭत वन होना चािहये।

(2) अनािधकृत क꥚जा करना या क꥚जा बनाये रखना

(1) अꥸािधकृत ꥹप से क꥚जा करना - वा꥝ यांश मꥷ꥞यि꥝ को ꥸारꥍभ मꥷ ही क꥚जा िववाꥠदत भिम पर करने का कोई अिधकार नहꥡ होता है वह जबरदꥺ ती क꥚जा करता है, उसके पास कोई परिमट, लायसेꥳ स, प꥟ा या कोई ꥸािधकार ꥠकसी ꥸकार का नहꥡ होता है और वह उसके बावजूद क꥚जा िबना ꥠकसी ꥸािधकार के कर लेता है ;

(2) अꥸािधकृत ꥹप से क꥚जा बनाये रखता है या क꥚जे मꥷ बना रहता है - इस वा꥝ यांश का अथ यह हो सकता है ꥠक꥞यि꥝ का ऐसी भूिम का भले ही ꥸारꥍभ मꥷ क꥚जा ꥸािधकृत रहा हो लेꥠकन कानून (IF Act) या उसके अधीन बनाये गये िनयम꥝ के उपबꥳध꥝ के अधीन ꥠकसी ꥞यि꥝ को ꥠकसी भूिम पर क꥚जा रखने का अिधकार समाЭ त हो जाता है तो वह कानूनी ꥹप से अिधकार कऻ समाि꥟ हो जाना कहा जाता है और िविध के अधीन क꥚जे को अिधकार समाЭ त होने के बावजूद ꥞यि꥝ िववाꥠदत ꥸꥺ नाधीन भूिम पर अꥸािधकृत ꥹप से क꥚जा बनाये रखता है अथात् भूिम पर क꥚जे मꥷ बना रहता है तो वह धारा 80(1) के अधीन बेदखली के यो꥝ य हो जाता है।

(3) िबिꥣडग मꥷ फनꥢचर आꥠद रखा हो या अꥳ य सामान रखा हो उसे समपꥢत नहꥡꥠकया जा सकता उसके forfeit करने का अिधकार नहꥡ है - Marandmal Vs. State of M.P. 1981/MPLJ/Note 55=1981 (II) MPWN 118=1981 RN 349 RN 349 पैरा 3 हाईकोट (म. ꥸ.)

(4) क꥚जा अꥸािधकृत (unauthorised) होना चािहये - महाराज ꥤसंह िव. ꥺ टेट म. ꥸ. - 1979 रा. िन. 82, देवीꥤसंह िव. ꥺ टेट म. ꥸ. 1979 रा. िन. 355 (पैरा 4)

(5) केꥳꥼ सरकार के ꥺ वािम० व कऻ भूिम पर जो पि꥚लक ꥸेिमसेज (Evicition of unathorised occupants Act 1971) ए꥝ ट 1971 मꥷ आती है उसकऻ धारा 5 के अधीन (Estate Officer) सꥍ पदा अिधकारी ही बेदखली कऻ कायवाही कर सकता है। उस ए꥝ ट कऻ धारा 15 मꥷ अꥳ य कोट कऻ अिधकाꥦरता वꥥजत है - (ꥸभूनाथ िव.

बोड रे꥞ हꥳ यू - 1980 MPLJ 522 = 1980 JLJ 620 डीबी हाईकोट म. ꥸ.)

नो꠰टस शो-काज ꠰ प꠱ ट होना चा꠰हए - बाबूलाल ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. 1983RN 27 पैरा 2 रे꠰ ह꠰ यू बोड꠰ म. ꠰.

आर꠰꠰त वन एवं संर꠰꠰त वन भू꠰म म꠰ लै꠰ ड रे. को. म. ꠰. क꠰ धारा 248(1) तथा धारा 1(2) के अनुसार काय꠰वाही नह꠰क꠰ जा सकती। केवल धारा 80(1)(IF Act) के अधीन ही काय꠰वाही बदखली क꠰ जा सकेगी - भगवान दास ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. 1981रा. ꠰न. 243(V.P.Sheth M.BR)

आर꠰꠰त वन एवं संर꠰꠰त वन तथा अ꠰꠰धकृत क꠰ जा सा꠰बत करने का ꠰भार-रा꠰ य सरकार पर है - अजीजु꠰ ला खान ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. 1980 रा. ꠰न. 308 (308) पैरा 3, 4 अजु꠰꠰ी ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. 1983 NR 86 रे. वो. सौभाग ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. 1979 रा. ꠰न. 428 पैरा 6 (रे. बोड꠰)

धारा 80 (IF Act) - गवन꠰मे꠰ ट और अ꠰ य ꠰ य꠰꠰ क꠰ संयु꠰ त स꠰ प꠰꠰ म꠰ संयु꠰ त ꠰प से वन, पड़त भू꠰म या उपज म꠰꠰हतब꠰ता होने पर धारा 80(1) के अधीन गवन꠰मे꠰ ट ꠰ब꠰ ध को अपने क꠰ जे म꠰ धारा के ꠰꠰वधान꠰ का पालन करते ꠰ए ले सकती है और धारा 80 (2) (IF Act) के अधीन अ꠰ याय II तथा IV के ꠰꠰वधान लागू कर सकती है। अ꠰ याय II तथा IV (IF Act) के लागू कर ꠰दये जाने पर आप꠰꠰कता꠰ क꠰ जेदार को आप꠰꠰ करने का और अ꠰धकार꠰ के ꠰विन꠰ चय कराने का माग꠰ उनम꠰ बताये ꠰꠰वधान꠰ के अधीन खुल जाता है। अ꠰ याय II म꠰ आर꠰꠰त वन का स꠰ ब꠰ ध है तथा अ꠰ याय IV म꠰ संर꠰꠰त वन का स꠰ ब꠰ ध है।

꠰सिवल कोट꠰ म꠰ हम के आधार पर यह ꠰ था꠰पत करने क꠰꠰꠰थ꠰ना क꠰ जा सकती है ꠰क ꠰ववा꠰दत भू꠰म वन भू꠰म या पड़त भू꠰म नह꠰ है और वादी का वैधा꠰नक अ꠰धकार है - (नब꠰दा ꠰साद ꠰व. म. ꠰. रा꠰ य 1990 रा. ꠰न. 388- पैरा 3 हाईकोट꠰ म. ꠰.)

रे꠰ ह꠰ यू-पटवारी कागजात म꠰ ꠰ववा꠰दत भू꠰म "आर꠰꠰त वन" दज꠰ है। इस भू꠰म पर म. ꠰. लै꠰ ड रे꠰ हे꠰ यू कोड, 1959 लागू नह꠰ होगा। ꠰जनंदन ꠰संह ꠰व. ꠰ टेट म. ꠰. - 1983 - रा. ꠰न. 95 पैरा 7 रे. बोड꠰; म. ꠰. धारा 80 (अ) के अ꠰ तग꠰त अपील

꠰नयम 80 अ के ꠰व꠰꠰ अपील (꠰नयम)

म꠰ य ꠰देश शासन अ꠰धसूचना ꠰. 7356/X/65 ꠰दनांक 26-6-65 : रा꠰ य शासन धारा 80 (अ) क꠰ उपधारा (3)꠰꠰꠰रा ꠰द꠰ त श꠰꠰य꠰ को उपयोग करते ꠰ए ꠰न꠰ न ꠰नयम बनाता है :

(1) इस ꠰नयम म꠰ अ꠰धनियम से ता꠰ पय꠰ भारतीय वन अ꠰धनियम, 1927 (वष꠰1927 के (16) से है।

(2) कोई ꠰ य꠰꠰, वन अ꠰धकारी ꠰꠰꠰रा धारा 80 (अ) क꠰ उपधारा (1) के अ꠰ तग꠰त पा꠰रत आदेश क꠰ सूचना ꠰꠰꠰ त होने पर, 60꠰दवस के भीतर अपील कर सकता है।

(3) ꠰꠰ येक अपील ꠰न꠰ न रीे꠰त म꠰ होनी चा꠰हये :

(क) वह िलिखत मउ हो।

(ख) उसमउ अपीलाथठ का नाम व पता हो।

(ग) यह िविश् ट िववरण हो ठक ठकस ितिथ के आदेश के िव॰ अपील कॠ गई है।

(घ) अपीलाथठ को आदेश कॠ सूचना ठकस ितिथ को ाा त ॠई।

(ङ.) िविश् ट तः य का िववरण।

(च) अपील करने का कारण व आधार सुसंगत व िसिलसलेवार दजाा हो।

(छ) ठकस बात कॠ आ ि कॠ मांग कॠ गई का समावेश हो।

(ज) िन नानुसार अपीलाथठ या उसके अिधकृत एजे ट ारा ह ता िरत एवं स यािपत हो :

म. .... (अपीलाथठ), एतद् ारा यह घोषणा करता ॅं ठक उपरो त अपील ापन मउ अंठकत और ऊपर जो बातउ दशााात कॠ गई ह., मेरी यि गत जानकारी एवं िव वास से सही है।

ह ता िर

(4) अपील का ापन, िजस आदेश के िव॰ठकया गया हो, उसकॠ अिभ मािणत ितिलिप के साथ संल न होना चािहये, बशतष अपीलीय अिधकारी को स तु ट कर दे ठक कौन से अ छे कारण से उसने अिभ मािणत ित तुत नहॠ कॠ है और अपीलाथठ को, अपीलीय अिधकारी के आदेश कॠ ित देने हेतु यथा-समय जो शु क/अिभलेख/अपील अिधकारी िनि त करे, तुत करना होगा।

(5) अपील का ापन या तो अपीलाथठ ारा या उसके अिधकृत एजे ट ारा वयं अपीलीय अिधकारी को तुत करना चािहये या डाक ारा ेिषत करना चािहये।

नोट - उपसिचव, म. . शासन, वन िवभाग अपील अिधकारी मनोनीत ठकये गये ह.।

(अिध. . 11685-C-65 ठद. 19-11-65 राजप ठद. 19-11-65 पृ ठ 1587 पर कािशत)

धारा 81. ऐसी सेवा करने मउ असफलता िजसके िलये सरकारी वन कॠ उपज के ठकसी अंग का उपयोग ठकया जाता है - यठद कोई यि , ठकसी ऐसे वन कॠ उपज को या वन उपज के ठकसी भाग को, िजस पर सरकार का सा पि क अिधकार है या उसकॠ हकदार है, का अंश इस शताा पर हकदार है ठक ऐसे वन मउ स बि धत सेवा, स यक् ॰प से करता रहेगा, तो रा य सरकार का समाधान कर देने वाले ॰प मउ यह तः य मािणत हो जाने कॠ दशा मउठक वह अब ऐसी सेवा नहॠ कर रहा है, ऐसी अंश अिधहरणीय हो जावेगा :

पर३ तु जब रा३ य सरकार ꠱ꠑꠎ ारा, स॰ यक् ३प से िनयु त अधिकारी ꠱ꠑꠎ ारा हकदार १ यि क६, और ऐसे सा ं य क६ (य८द कोई हो) िजसे वह सेवा के स॰ यक् ३प म७८कये जाने के ◌ृमाण ं व३प ◌ृ ं तुत करे, सुनवाई न करे, तब तक ऐसे अंश का अधिहरण नह८ होगा।

ᱶट० पणी-धारा 81

1. इस धारा म७ वन उपज सरकारी स॰ पि७या सरकारी हकदारी म७ कोई भाग/अंश या िह ं सा ८कसी १ यि को सेवाएँ देने के एवज म७ (बदले म७) (in consideration) म७◌ृितफल ं व३प ८दया जाता है और ऐसा १ यि सेवाएँ आगे नह८ देता है तो रा३ य सरकार, सेवाएँ न देने पर, उस १ यि के वन उपज म७ हक के अंश या भाग को अध२त (confiscate) कर सकती है।

2. ८क३ तु ऐसी अधिहरण क६ काय॒वाही के पूव॒ स॰ बि३धत हकदार १ यि को कारण बता नो८टस देकर उसे प्◌ टीकरण देने का तथा सेवाय७ यथावत जारी होने के ◌ृमाण म७ सा ं य देने का अवसर देकर सुनवाई करना होगी।

3. सहज ३ याय का िस ा३ त है ८क िजस काय॒वाही से १ यि के स॰ पि७ स॰ ब३ धी अधिकार पर ◌ृितकूल ◌ृभाव पड़ता है उस काय॒वाही म७ उसे कारण बता नो८टस देकर जवाबदेही का एवं सा ं य का युि यु त अवसर देकर सुनवाई क६ जाना चािहये और ◌ृािधकारी को उसके जवाब एवं सा ं य पर िवचार करके उपयु त ३ यायोिचत िन् कष॒ िनकालना चािहये। रा३ य सरकार या ◌ृािधकारी को यह समाधान या संतुि कर लेना होगी ८क सेवाय७अपेि तआगे नह८ दी गई ह.। उनका पालन नह८८कया गया है और यह समाधान/संतुि ३ यायोिचत जांच से ही होगी।

[1]धारा 82. शासन को देय, बकाया राि श क६ वसूली - अथ॒द ड (Fines) के अित८र त सभी राि शयाँ जो इस अधिनियम के अ३ तग॒त रा३ य शासन को देय ह, या उसके अधीन बनाये गये ८कसी िनयम के अ३ तग॒त या इमारती लकड़ी के या अ३ य वनोपज के ठेके के कारण या इमारती लकड़ी या अ३ य वन उपज के स॰ ब३ ध म७८कसी संिवदा के कारण, िजसम७ संिवदा भंग के कारण वसूली यो य रकम शािमल है, या संिवदा के र करने के फल ं व३प, या इमारती लकड़ी के िव८य स॰ ब३ धी नो८टस क६ शत॒केअ३ तग॒त, अ३ य वनोपज क६ नीलामी ꠱ꠑꠎ ारा या िनिवदाआमं ्ण जो ८क वन अधिकारी या उसके ꠱ꠑꠎ ारा अधिकृत अधिकारी ꠱ꠑꠎ ारा जारी क६ गई हो, और सम ं त ि ितपूि त॒(Compensation) जो इस अधिनियम ꠱ꠑꠎ ारा रा३ य शासन को ◌ृदान ८कया जाना हो य८द िनि त समय म७ नह८ पटाई जावे तो वह त० समय ◌ृभावशील िवधान केअ३ तग॒त इस ◌ृकार वसूल ८कये जा सक७गे जैसे यह राि श राज ं व क६ बकाया राि श हो।

६टϿ पणी (1) धारा 82 के अधीन य8द कोई ठेकेदार ने वन िवभाग से कोई वनोपज का ठेका िलया है तथा बयाने

कइ रकम जमा कराई है, ठेकेदार ƐाƦेारा शेष रकम न पटाने के कारण, दोबारा नीलाम मƷ पिहले

से कम मू५ य ◌ाϿ त होने पर, ऐसी हािन कइ रािश बकाया भू-आगम के ̄प मƷ वसूल नहƭ कइ जा

सकती। ऐसी रािश ̆यवहारवाद मƷ वसूल होगी।

(देखƷAIR 1967 सु◌ीम कोटϗ203, 206, 207) जबलपुर लॉ जनϗल 1970६टϿ पणी ƙ. 82)

६टϿ पणी (2) य8द रा३ य शासन के अिधकारी वनोपज कइ िबƙ करते ह. तो उस मू५ य पर देय िवƙय कर

कइ रािश भूराज̀ व के सƥ̀ य वसूली यो□ य है।

(देखƷ - ओ६रय३ ट पेपर िम. िव. म. ◌. रा३ य, म. ◌. लॉ जनϗल 1971, पृ̆ ठ 514)

६टϿ पणी (3) धारा 82 मƷ म॥ य ◌देश संशोधन (ƙ. 9, वषϗ1965) के अ३ तगϗत वनोपज के नीलाम होने पर,

शत□ के उ५ लंघन के फल̀ व̄प, पुन: नीलाम होने पर य8द कम रािश ◌ाϿ त होती है; तो वह धारा 82

के अ३ तगϗत वसूली यो□ य है। (M.P.L.J. 1980, 465 P.B.)

६टϿ पणी (4) उपवन म̆ डलािधका६रय□ को बकाया रािश कइ वसूली कइ शि□ - अिधसूचना ƙ. 7-21

सात-सा. 7-78 8दनांक 19 जुलाई, 1979 - म. ◌. भू-राज̀ व संिहता, 1959 (ƙ. 20 वषϗ 1959) कइ धारा 25

कइ उपधारा (1)ƐाƦेारा ◌द० त शि□य□ को ◌योग मƷ लाते Ɨए रा३ य सरकार एतद् ƐाƦेारा रा३ य

के सम̀ त उपवन म̆ डलािधकारी को वे शि□याँ ◌दान करती ह. जो 8क उ□ त संिहता कइ धारा 146

तथा 147 ƐाƦेारा 8कसी तहसीलदार को ◌दाय कइ गई ह., और यह िनद϶श देती है 8क वे इस ◌कार

◌द० त कइ गई शि□ अपनी-अपनी अिधका६रता के ◌भार ̃ेϽ(Jurisdication) मƷ ऐसे बकाया धन कइ

वसूली हेतु ◌यु□ त ह□गी जो 8क -

(1) भारतीय वन अिधनयम, 1927 (ƙ. 16, वषϗ1927) कइ धारा 82 के अधीन भूराज̀ व कइ बकाया के तौर पर वसूली यो□ य रािश और

(2) रा३ य सरकार के वन िवभाग के ऐसे कोई अनुदान, अनुब३ ध, प□ा (Leases) या संिवदा के अधीन शोध हो िजसमƷ यह उपब३ ध हो 8क वह (धन) उस रीित से वसूली यो□ य है जैसे भू-राज̀ व कइ बकाया के तौर रािश वसूल कइ जाती है।

---

1. म.◌. िवधान ƙ. 9 वषϗ1965 कइ धारा 18ƐाƦेारा ◌ित̀ थािपत ।

६टϿ पणी (5) अिभसंधान 8कये गये ◌करण□ मƷ बकाया रािश कइ वसूली - जब वन िवभाग धारा 68 के अ३ तगϗत राजीनामा लेता है, तो ◌करण मƷ आयद कइ गई रकम, धारा 82 के अनतगϗत भू-राज̀ व के बकाया के समान वसूल कइ जा सकती है।

धारा 83. ऐसे धन के िलये वन उपज का धारणािधकार (Lien)

(1) जब ठकसी वन उपज के स‍ बꣳ ध मꣴ या उसके िलये कोई रािश देय है, तब ऐसी उपज पर उसकꣵ वसूली का ꣷथम भार है ऐसा समझा जावेगा, और जब तक ऐसी रािश चुका नही जावे, तब तक के िलये, वन अिधकारी ऐसी वन उपज, अपने क꣸ जे मꣴ ले सकेगा।

(2) जब यह रािश शो꣹ य (Due) होती है, तब चुका नह꣺ दी जाती है, तो वन अिधकारी ꣻारा ऐसी उपज का लोक नीलाम (Public auction) ꣻारा िव꣼य ठकया जा सकेगा, और िव꣼य के आगमꣽ को ꣷथमत: ऐसी बकाया रािश को चुकाने मꣴ ठकया जावेगा।

(3) यꣿद कोई धन उꣽ त बकाया रािश, चुकाने पर अितशेष रहे, उसके िलये यꣿद हकदार ꤀ यिꣽꣻारा िव꣼य कꣵ तारीख से दो माह के भीतर, दावा नह꣺ ठकया जाता तो वह सरकार को समप꤁त (Forfeited) हो जावꣴगी।

꤂ट꤃ पणी (1) - यह धारा वन अिधका꤂रयꣽ को (1) वनोपज कꣵ ज꤃ ती (2) तथा उसके िव꣼य के अिधकार देती है, ठेकेदार ꣻारा ठक꤄ त न पटाना वन िनिवदा कꣵ शतꣽ का बड़ा उ꤅ लंघन है तथा इस उ꤅ लंघन के िलये कटाई व ढुलाई का काय꤆ रोका जा सकता है तथा िनयम 29 के अꣳ तग꤆त वन संर꤇क ꣻारा िनिवदा समा꤃ त कꣵ जा सकती है तथा ऐसी िनिवदा कꣵ समा꤈ पर ठेका ꣻे꤉(Contract area) मꣴ अवशेष वनोपज शासन कꣵ स‍ पꤊ हो जाती है।

(म. ꣷ. शासन िव. सरदार बूटाꤋसंह राजनाꣳ दगांव, 1972 MPLJ 392, AIR 1972 MP 116)

꤂ट꤃ पणी (2) - धारा 82 एवं 83 एक दूसरे के पूरक ह. तथा बकाया वसूली हेतु दोनꣽ िविधयाँ काया꤆िꣳवत कꣵ जा सकती ह.। (AIR 1980 All 100 & 213)

धारा 84. इस अिधिनयम के अधीन अपेि꤇त भूिम के िलये यह समझा जावेगा ठक उसकꣵ आव꤄ यकता भू-अज꤆न अिधिनयम (1994 का 1) के अधीन लोक ꣷयोजन के िलये ह. -जब कभी राꣳ य सरकार को ऐसा ꣷतीत होता है ठक इस अिधिनयम के ꣷयोजन मꣴ, ठकसी ꣷयोजन के िलये कोई भूिम अपेि꤇त है तो ऐसी भिम के बारे मꣴ यह समझा जावेगा ठक भूिम अज꤆न अिधिनयम, 1894, कꣵ धारा (4) के अथ꤆ के अꣳ दर उसकꣵ लोक ꣷयोजन के िलये आव꤄ यकता है।

धारा 85. बꣳ धपꤌ के अधीन शो꣹ य िशꤍतयꣽ कꣵ वसूली - जब कोई ꤀ यिꣽ, इस अिधिनयम के ठकसी अनुबꣳ ध के अनुसार या उसके अधीन बनाये गये ठकसी िनयम के अनुपालन मꣴ ठकसी बꣳ धपꤌ(Bond) या िलिखत (Instrument)ꣻारा ꣷसंिवदा (Binds) करता है ठक वह उसके सेवक या उसके अिभकꤎ ता꤆ ठकसी काय꤆ को नह꣺ करꣴगे, तब भारतीय संिवदा अिधिनयम, 1872 (1872 का 9) कꣵ धारा 74 मꣴ ठकसी बात के होते ꤏए भी ऐसे बꣳ धपꤌ या िलिखत मꣴ जो रािश उनकꣵ शतꣽ के भंग होने कꣵ दशा मꣴ दी जाने वाली रािश के ꤐप मꣴ वꤑण꤆त है, ऐसे भंग होने कꣵ दशा मꣴ उस समꤍ त रािश को ऐसे वसूल ठकया जा सकेगा मानꣽ वह रािश भू-राजꤍ व कꣵ बकाया है।

धारा 85-क. केꣳ्ीय सरकार के अिधकार के िलये ꣱यावृिꣿ - इस अिधिनयम कꣃ कोई बात ꣰कसी राꣳ य सरकार को उस राꣳ य के बाहर कꣃ सꣀ पिꣿ के सꣀ बꣳ ध मꣵ कोई आदेश देने या कोई कायꣂ करने के िलये सꣀ पृ त सरकार कꣃ सꣀ मित के िबना केꣳ्ीय सरकार या अꣳ य राꣳ य सरकार के ꣰कꣳ हꣾ अिधकार पर अꣳ यथा ꣹ितकूल ꣹भाव डालने के िलये ꣹ािधकृत नहꣾ करेगी।

यह धारा राꣲपित के एडोꣁ टेशन आडꣂर, 1950 (Adopation Order, 1950)꣸ारा ꣹ितꣂ थािपत

धारा 86. िनरसन

꣠टꣁ पणी - इस धारा के अꣳ तगꣂत अनुसूची मꣵ बनाये गये िवधान का िनरसन बतलाया गया है तथा यह धारा िनरसन संशोधन अिधिनयम, 1984 (िवधान ꣲ 2, वषꣂ 1984) कꣃ धारा 2 के अꣳ तगꣂत बनाई गई अनुसूची के साथ िनरꣂ त कर दी गई है।

मꣳ य꣹देश वन सुरꣁा पा꣠रतोिषत िनयम 2004

1. संिꣁꣁ त नाम, िवꣂ तार, लागू होना :

(1) ये िनयम वन सुरꣁा पा꣠रतोिषत िनयम 2004 कहलावꣵगे।

(2) ये पूरे मꣳ य ꣹देश राꣳ य मꣵ लागू हगे।

1(3) ये िनयम, इनके म.꣹. राꣳ य पꣳ मꣵ꣹काशन कꣃ ितिथ से लागू हगे।

2. प꣠रभाषाएं : इन िनयम मꣵ, जब तक सꣳ दभꣂ मꣵ अꣳ यथा आपेिꣁत न हो :

(a) अिधिनयम से ताꣀ पयꣂ भारतीय वन अिधिनयम 1927 (XVI वषꣂ है 1927)

(b) 'वन संरꣁक' से ताꣀ पयꣂ वह अिधकारी फोरेꣂ ट सरकर का ꣹भारी अिधकारी हो या राꣳ य सरकार ꣸ारा

घोिषत अꣳ य अिधकारी जो उसके समकꣁ घोिषत ꣰कया गया हो।

(c) वन मꣳ डलािधकारी से ताꣀ पयꣂ वह अिधकारी है जो वनमꣳ डल के ꣹भार मꣵ हो।

(d) 'अꣳ य वꣂ तु' से ताꣀ पयꣂ वाहन, औजार, पशु, हिथयार, टूꣃ स आ꣰द है जो वन अपराध का꣠रत करने मꣵ

उपयोग मꣵ लाये गये हो।

इन िनयम मꣵ जो शꣳ द तथा अिभꣳ यि꣹योग मꣵ लाई गई है ले꣰कन उनको प꣠रभािषत नहꣾ꣰कया है, उसका वही अथꣂ

होगा जो उसके िलये अिधिनयम म७ ८दया गया हो।

3. पा६रतोिषक :

(1) वन अपराध म७ िल७ त अपराधी को, ३ यायालय ꠸ारा दोिषिस८कये जाने पर, या वन अिधकारी

꠸ारा

ꥳशमन करने पर, वन म꠰ डलािधकारी उस ꥷयि या ꥷयिय को, िज३ ह ने वन अपराध का पता

लगाने, या अपराधी को पकड़ने या अपराधी को दोषिस कराने या वन उपज तथा अ३ य व꠵ तु

राजसात करने म७ असामा३ य, सहायता क६ हो तथा राजसात क६ व꠵ तु का मू꠶ य ꠑ. 25000/- के

आसपास या अिधक हो, तो वन म꠰ डलािधाकरी उसको पा६रतोिषक दे सकता है। पा६रतोिषक क६

रािश ꥳकरण म७ ꥳा७ त ꠱ितपू꠲त꠳ से अिधक नह꠴ होगी।

(2) पा६रतोिषक क६ रािश ꠑ. 10,000/- या अिधक हो तो वन संर꠱क क६ पूव꠳ अनुमित ली जावेगी।

(3) पा६रतोिषक वन िवभाग म७ उपवन म꠰ डलािधकारी तथा पुिलस म७ उपिजला अधी꠱क से उ꠰ च अिधकारी को देय नह꠴ है।

(4) वीकृित अिधकारी : पा६रतोिषक क६ रािश वन म꠰ डलािधकारी ꠵ वीकृत कर सकते है।

(5) पा६रतोिषक क६ रािश क६ वसूली य८द पुर꠵ कार देने के प꠶ चात् अपराधी अपील म७ दोषमु त हो जाता

है तो पुर꠵ कार क६ रािश क६ वसूली नह꠴ होगी। जब तक ꥳकरण म७ कोई धोखाधड़ी न क६ गई हो।

(6) पा६रतोिषक गोपनीय होगा तथा वन िवभाग क६'गु७ त िनिध' से ꠵ वीकृत ८कया जावेगा। तथा सूचना

दाता का नाम गु७ त रखा जावेगा। उसका ३ यायालय म७ परी꠱ण नह꠴ होगा वन म꠰ डलािधकारी

कािं३ट३ जेट मद से यह रािश भुगतान कर सकते ह.।

(7) इन िनयम के लागू होने पर इससे स꠰ बि३धत, इस िवषय के पूव꠳ के सम꠵ त िनयम समा७ त हो जाव७गे, ले८कन इन

समा७ त िनयम के अ३ तग꠳त क६ गई काय꠳वाही को इन िनयम के अ३ तग꠳त क६ गई काय꠳वाही माना जावेगा।

अिध. ꠷. 25.10.2004-X-3८दनांक 5 अग꠵ त 2005

प६रतोिषक िनयम (3) का ꥳावधान वन ꥳािणय का िशकार या ऐसी वनोपज िजसका मू꠶ य िनधा꠳रण करना संभव न

हो पर लागू नह꠴ होगा।

1. ये िनयम म.ः. राजपु असाधारण ठदनांक 30.10.04 के पृ् ठ 998 पर ःकािशत।